RNI : UPHIN/2009/31180 ISSN: 2250-1894

सुमंगलम् प्रभा

(लोकमंगल की त्रैमासिक शोध पत्रिका)

SUMANGALAM PRABHA

Research journal of Humanities

Intellectual effort on social values

A peer reviewed (Refereed) & open access journal

Impact Factor : 2.535 (I2OR)

Vol.-16, No.-I, Issus-61 Year: April-June 2025

प्रबन्ध सम्पादक
डॉ0 हरनाम सिंह
असि. प्रोफेसर–अर्थशास्त्र,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

सम्पादक
राजकुमार
सचिव,
सुगंगलम सेवा साधना संस्थान,
लखनऊ।

सह सम्पादक
डॉ0 राघवेन्द्र प्रताप सिंह
असि.प्रोफेसर, दर्शनशास्त्र,
बाबू अमर बहादुर सिंह विधि महाविद्यालय,
कुण्डा प्रतापगढ़, उ0प्र0।

प्रकाशक

SUMANGALAM
सुमंगलम् सेवा साधना संस्थान

नवीन मार्केट, कैसरबाग, लखनऊ–उ0प्र0।

संरक्षक

- **प्रो. के.एन. सिंह,** कुलपति, दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बिहार।
- **प्रो. के.पी. सिंह,** कुलपति, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली उ0प्र0।
- **प्रो. प्रभा शंकर शुक्ल,** कुलपति, नार्थहिल इर्स्टन विश्वविद्यालय, शिलांग, मेघालय।
- **प्रो. योगेन्द्र सिंह**, पूर्व कुलपति, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया, उ0प्र0।
- **डॉ. अमित यादव,** निदेशक, भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद्, नईदिल्ली।
- **श्री मनोजकान्त मिश्र,** निदेशक, राष्ट्रधर्म प्रकाशन, लखनऊ।

परामर्शदाता

- **प्रो. प्रदीप राव,** गोरखपुर उ0प्र0।
- **प्रो. योगेन्द्र प्रताप सिंह,** प्रयागराज, उ0प्र0।
- **प्रो. पुनीत कुमार द्विवेदी,** इन्दौर, म0प्र0।
- **प्रो. दुर्गेश चौधरी,** अध्यक्ष, धर्म एवं दर्शन विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
- **प्रो. सभाजीत यादव**, पूर्व निदेशक, एन.टी.पी.सी.परिसर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
- **डॉ. परमेन्द्र सिंह,** जम्मू।
- **डॉ. राजकुमार चौबे,** झारखण्ड, बिहार।
- **डॉ. रेखा त्रिपाठी,** कानपुर, उ0प्र0।

सम्पादक मण्डल

- **प्रो. संन्तोष कुमार गुप्त** अध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, श्री मु.म.टा.स्ना.महाविद्यालय, बलिया।
- **प्रो. अशोक कुमार सिंह,** अध्यक्ष, मृदा एवं कृषि रसायन विभाग, श्री मु.म.टा.स्ना.महा.,बलिया।
- **डॉ. विनोद कुमार,** प्राचार्य, संघटक राजकीय महाविद्यालय, हसनपुर अमरोहा।
- **डॉ. जयन्त उपाध्याय,** अध्यक्ष, दर्शनशास्त्र विभाग, म.गा.अ.हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा, म0प्र0।
- **डॉ. निरंजन कुमार यादव,** हिन्दी, राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर उ0प्र0।
- **डॉ. ओम प्रकाश सिंह,** राजनीतिशास्त्र विभाग, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
- **डॉ. राजीव कुमार श्रीवास्तव,** समाजशास्त्र, श्री सुदिृष्ट बाबा स्ना.महाविद्यालय, रानीगंज, बलिया उ0प्र0।

सम्पादक मण्डल

- **श्री अनिल कुमार चौबे,** अधिवक्ता लखनऊ।

RNI : UPHIN/2009/31180 **ISSN: 2250-1894**

SUMANGALAM PRABHA

Research journal of Humanities

Intellectual effort on social values

A peer reviewed (Refereed) & open access journal

Sumangalam Prabha
A Peer Reviewed (Refereed) & Open Access Journal
RNI N0.- UPHIN/2009/31180

ISSN: 2250-1894
Vol.-16, No.-I, Issus-61
Year: April-June 2025

विषय सूची

1. महर्षि अरविंद घोष का आध्यात्मिक राष्ट्रवादी व्यक्तित्व **01–03**
– श्रीमती निर्मला सिंह

2. पंचायती राज व्यवस्था का ग्रामीण जीवन पर प्रभाव **04–06**
– डॉ0 गीता कुमारी

3- Dharma, Politics, and Morality: Issues in the Light of the Srimad Bhagavad Gita **07–11**
– Vivek Mishra

4. विशेष शिक्षा का अधिकार व समावेशन : विश्लेषणात्मक अध्ययन **12–14**
– अमिता मिश्रा

5- Global Outlook Of Retail Industry **15–21**
– Dr. Dinar fatima

6- Carpet Industries and Viksit Bharat Vision **22–26**
– Prof. (Dr.) Satvrat Singh Rawat[1], Mohammad Mahmood[2]

7. भारत और बांग्लादेश के मध्य संबंधः एक समीक्षा (भारत और पड़ोसी देश के संदर्भ में) **27–33**
– डॉ0 सुनीता महतो

8. बजरंग बाण में श्रीहनुमान का चित्रांकन **34–36**
– डॉ0 क्षेमेन्द्र भारद्वाज

9. भारतीय राजनीति में दल–बदल की बढ़ती प्रवृत्ति **37–39**
– डॉ० राजेश कुमार यादव

10. आधुनिक परिप्रेक्ष्य में लोक रक्षक राम के मानवीय सिद्धान्त **40–42**
– डॉ0 लक्ष्मी वर्मा

11. पारिवारिक रिश्तों पर सोशल मीडिया का प्रभाव **43–46**
– डॉ0 कल्पना

Sumangalam Prabha
A Peer Reviewed (Refereed) & Open Access Journal
RNI N0.- UPHIN/2009/31180

ISSN: 2250-1894
Vol.-16, No.-I, Issus-61
Year: April-June 2025

महर्षि अरविंद घोष का आध्यात्मिक राष्ट्रवादी व्यक्तित्व

श्रीमती निर्मला सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर–इतिहास
ठा0 बीरी सिंह महाविद्यालय, टूंडला फिरोजाबाद (उ0प्र0)

PP.N0- 01-03 Received: 05.04.2025 Accepted:13.04.2025 Email: drnirmala4213@gmail.com

सारांशः *भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में ऐसे अनेक महानायक हुए, जिन्होंने अपनी बुद्धि, साहस और विचारों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की थी। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले अमर शहीदों में महर्षि अरविंद घोष का नाम विशेष उल्लेखनीय है। अरबिंदो घोष न केवल स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे, बल्कि एक क्रांतिकारी, दार्शनिक, योगी, कवि ,और आध्यात्मिक गुरु भी थे, उनका जीवन भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण का प्रतीक है। अरबिंद घोष का जन्म 15 अगस्त, 1872 को कोलकाता के एक शिक्षित और समृद्ध परिवार में हुआ था। उन्होंने 1890 में भारतीय सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता उत्तीर्ण की, लेकिन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने की इच्छा के कारण ,वे घुड़सवारी परीक्षा में जानबूझ कर असफल हो गए और वे 1893 में भारत लौट आए। 1905 में बंग भंग आंदोलन से अरविंद घोष ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश किया। वे अखिल भारतीय कांग्रेस के उदारवादी खेमे के कट्टर विरोधी थे, उन्होंने उग्रवादी विचारों के समर्थक लाला लाजपतराय, विपिन चन्द्र पाल और बाल गंगाधर तिलक के विचारों और कार्यों का सदैव समर्थन किया। उन्होंने ' वंदे मातरम ' समाचार पत्र का संपादन किया , जिसमें ब्रिटिश शासन की भारत विरोधी नीतियों की तीव्र आलोचना की जाती थी। 1908 में ' अलीपुर बम कांड ' में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें एक वर्ष की जेल हुई। जेल से रिहा होने के बाद, उन्होंने 1910 में पांडिचेरी में आध्यात्मिक आश्रम की स्थापना की। उन्होंने वेद उपनिषद भागवत गीता और हिंदू देवी देवताओं को एक नई दृष्टिकोण से देखा और हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं को भारत माता की गुलामी से जोड़ कर आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। 5 दिसंबर 1950 को महर्षि अरविंद घोष का निधन हो गया ,महर्षि अरविंद का जीवन , स्वतंत्रता संघर्ष और उनके विचार आज भी हमारे बीच जीवित है इस शोध पत्र में महर्षि अरविंद घोष की आध्यात्मिक राष्ट्रवादी विचारों का अध्ययन किया गया है।*

कुजीभूत शब्द : महर्षि अरविंद घोष, आध्यात्मिक, राष्ट्रवादी, दार्शनिक, पुनर्जागरण, स्वतंत्रता आंदोलन

अध्ययन का उद्देश्य–अरविंद घोष भारतीय पुनर्जागरण काल के उन महापुरुषों में से थे, जिन्होंने अपने लेखों के माध्यम से राष्ट्रवादी चेतना को पुष्ठित करने और जनसाधारण को स्वतंत्रता संघर्ष के लिए प्रेरित करना ही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था। देश की युवा पीढ़ी के समक्ष महर्षि अरविंद घोष के संघर्षशील जीवन, क्रांतिकारी और आध्यात्मिक राष्ट्रवादी विचारों को प्रस्तुत करना ही इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य है।

अध्ययन की पद्धति– महर्षि अरविंद घोष के जीवन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका, क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी विचारों का विश्लेषण करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों का प्रयोग किया गया है । महर्षि अरविन्द के रचनात्मक कार्यों को विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं और पुस्तकों से एकत्रित करके विश्लेषण करने के पश्चात इस प्रस्तुत शोध पत्र में संकलित किया गया है।

प्रस्तावना– भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली अमर शहीदों में महर्षि अरविंद घोष का नाम उल्लेखनीय है। अरबिंद घोष ने एक क्रांतिकारी, दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता , लेखक और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की । अरबिंद घोष का जन्म 15 अगस्त, 1872 को कोलकाता के एक शिक्षित और समृद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता डॉ. कृष्णधुन घोष एक सिविल सर्जन और माता स्वर्णलता देवी एक सामाजिक कार्यकर्ता थीं। श्री अरबिंद घोष की प्रारंभिक शिक्षा दार्जिलिंग के एक ईसाई कॉन्वेंट स्कूल में शुरू हुई और 7 वर्ष की आयु में मैनचेस्टर इंग्लैंड में सेंट पॉल स्कूल से माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की , तथा उच्च शिक्षा लंदन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के किंग्स कॉलेज से विशेष शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ प्राप्त की। उन्होंने 1890 में भारतीय सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता उत्तीर्ण की, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने की इच्छा होने के कारण घुड़सवारी परीक्षा में जानबूझकर असफल हो गये । वे 1893 में भारत लौट आए ,उन्होंने 1896 से 1905 तक बड़ौदा रियासत में प्राध्यापक, वाइस प्रिंसिपल, निजी सचिव आदि के पद पर योग्यता पूर्वक कार्य किया ।

अरविंद घोष का राजनैतिक जीवन 1905 में बंग भंग आंदोलन से आरंभ हुआ। उन्होंने ' वंदे मातरम ' समाचार पत्र का संपादन किया और उसमें ब्रिटिश शासन की भारत विरोधी नीतियों की तीव्र आलोचना की । उन्होंने भारतीयों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए क्रांतिकारी मार्ग अपनाने का आग्रह किया। अरबिंद घोष ने अपने भाई बारीन्द्र घोष के साथ मिलकर अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की।समिति ने

अपने संकल्प से प्रेरित होकर बम विस्फोट और डकैतियों की ओर रुख किया, ताकि अंग्रेजों को भारतीय क्रांतिकारियों की ताकत दिखा सके। 1908 में 'अलीपुर बम कांड' में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और जेल में उन्होंने भागवत गीता एवं अन्य आध्यात्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। महर्षि अरविंद पर कोई आरोप सिद्ध न होने के कारण एक वर्ष बाद ही ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल से रिहा कर दिया ।1910 में जब अंग्रेजों ने उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाने की कोशिश की। तो वे फ्रांसीसी उपनिवेश पांडिचेरी चले गए, वहां उन्होंने 1910 में श्री अरविंद आश्रम ' के नाम से एक आध्यात्मिक आश्रम की स्थापना की। जहां महर्षि अरविंद ने वेद , उपनिषद ,भागवत गीता और हिंदू देवी देवताओं को एक नई दृष्टिकोण से देखा और हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं को भारत माता की गुलामी से जोड़ कर आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। 5 दिसंबर 1950 को अरविंद घोष का निधन हो गया , लेकिन उनका जीवन , भारत की स्वतंत्रता के लिए किए गए कार्य और विचार आज भी हमारे बीच जीवित है

अरविंद घोष का आध्यात्मिक राष्ट्रवाद– अरविंद घोष भारतीय पुनर्जागरण काल के उन महापुरुषों में से थे, जिन्होंने मातृभूमि को स्वतंत्र करने के लिए भारतवासियों को जागृत करने का कार्य किया। उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से राष्ट्रवादी चेतना को प्रसारित करने का कार्य किया। जनसाधारण को स्वतंत्रता संघर्ष के लिए प्रेरित करना ही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था। अरविंद घोष का मानना था कि '' स्वतंत्रता ईश्वर की ओर से दिया गया उपहार है, स्वतंत्रता कोई कृपा नहीं है, बल्कि यह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है , जो किसी अन्य सरकार के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, उनका यह विचार 20 वीं सदी के राष्ट्रवाद के लिए एक क्रांतिकारी अवधारणा थी।'' अरविन्द घोष ने अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समाचार पत्र ' इन्दु प्रकाश' में लेख लिखने से आरम्भ किये। उनके 'पुराने दीपकों के स्थान पर नए दीपक' (छमू स्ंउचे थ्वत व्सक) नामक शीर्षक के अन्तर्गत लिखे गए, सात लेखों की जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई थी, इस लेख माला में एक के बाद एक अनेक विस्फोटक लेख लिखे गए। समाचार पत्र 'वंदे मातरम' में भी अरविंद के लेखों का निरंतर प्रकाशन होने लगा। उनके लेखों के निरंतर प्रकाशन के कारण 'वंदे मातरम' सुर्खियों में रहने लगा। महर्षि अरविंद उग्र राष्ट्रीयता के प्रखर व्याख्याता के रूप में राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र में आ गए। 'वंदे मातरम' में महर्षि अरविंद के लिखे लेखों ने देशभक्ति और राष्ट्रीयता की ऐसी लहर पैदा कर दी, कि ब्रिटिश सरकार को' वंदे मातरम 'को बार–बार प्रतिबंधित करना पड़ा। महर्षि अरविंद ने स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए 'कर्म योगी और धर्म' जैसे समाचार पत्रों का प्रकाशन आरंभ किया ।

उन्होंने राष्ट्रवाद को एक नया रूप प्रदान किया। महर्षि अरविंद का राष्ट्रवाद राजनीतिक राष्ट्रवाद ना होकर आध्यात्मिक राष्ट्रवाद था ।अरविंद ने 'वंदे मातरम' में लिखा था ''राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है , राष्ट्रवाद तो एक धर्म है , जो ईश्वर के पास से आया है और जिसे लेकर आपको जीवित रहना है , हम सभी लोग ईश्वरीय अंश के साधन हैं।'' महर्षि अरविंद श्रीमद्भागवत गीता, उपनिषद ,रामायण एवं महाभारत में प्रस्तुत आदर्शों एवं व्यक्तियों से बहुत प्रभावित थे और इन ग्रंथों में व्यक्त आदर्शों और व्यक्तियों को , अरविंद अपने विचारों में महत्वपूर्ण स्थान देते थे । उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को बिट्रिश सरकार के विरुद्ध धर्म युद्ध के रूप में प्रस्तुत किया । जिस प्रकार श्रीमद्भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म युद्ध करने के लिए प्रेरित किया , उसी तरह महर्षि अरविंद ने भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध भारतीयों को संगठित होकर नैतिक बल द्वारा संघर्ष करने का प्रेरित किया। वे अपने देश भारत पर अंग्रेजी राज के घोर विरोधी थे तथा इसे भारत से संपूर्ण नष्ट करना चाहते थे। उनका मानना था कि '' क्रांति केवल हथियारों से नहीं होती , आत्मिक जागरण से भी होती है ,यदि भारत को स्वतंत्रता चाहिए, तो उसकी जनता को अपने आत्मबल, संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करना होगा।''

वे भारत को केवल एक देश अथवा भौगोलिक इकाई ही नहीं मानते थे, वे भारत को देवी मां के रूप में देखते थे। महर्षि अरविंद का कहना था '' मैं स्वदेश को मां मानता हूं। मां के रूप में उसकी भक्ति करता हूं। पूजा करता हूं, मां की छाती पर बैठकर यदि कोई राक्षस रक्तपात करने के लिए उद्यत हो, तो भला पुत्र क्या करता है, निश्चिंत होकर भोजन करने , स्त्री पुत्र के साथ आमोद प्रमोद करने बैठ जाता है या मां के उद्धार करने के लिए दौड़ पड़ता है।'' महर्षि अरविंद ने देशवासियों को भारत माता की रक्षा और सेवा करने के लिए सभी प्रकार के कष्टों को सहने की मार्मिक अपील की। उन्होंने भारतीयों से कहा कि '' भारत माता सदियों से अपनी संतानों को पालने में झुलाती रही है और उनका पालन पोषण करती रही है, पर दुर्भाग्य से आज वह विदेशी अत्याचारों की बेड़ियों में जकड़ी कराह रही है, उसका स्वाभिमान नष्ट हो चुका है, भारत माता के सपूतों का कर्तव्य है कि वह मां की गुलामी की बेड़ियां काटकर फेकें।'' अपने उग्र राष्ट्रवादी विचारों के कारण महर्षि अरविंद उग्र राष्ट्रीयता के प्रखर व्याख्याता के रूप में राष्ट्रीय आंदोलन के केंद्र में आ गए।

1905 के बंग भंग के पश्चात् बंगाल में राष्ट्रवादी आंदोलन बहुत जोरों से चलाया गया । श्री अरविंद के राष्ट्रवादी विचार बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय से भी अधिक उग्र और क्रांतिकारी थे । जब 1907 में सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी दो भागों में विभाजित हो गयी, तब उग्रवाद के समर्थन में अरविंद घोष , बाल गंगाधर तिलक , लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल के साथ में मजबूती से खड़े थे । महर्षि अरविंद और उनके साथियों ने उग्रवाद के रूप में राष्ट्रवाद को एक नया रूप प्रदान किया। इन्होंने अपनी उग्र विचारधारा से अंग्रेजों का विरोध करना प्रारंभ किया । महर्षि अरविंद ने परतंत्र भारत में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया ।महर्षि अरविन्द स्वतंत्रता के संघर्ष को निरंतर नयी उर्जा प्रदान करने में जुटे रहे।

राष्ट्रीय आन्दोलन को तीव्र और प्रखर बनाने वाले महर्षि अरविंद से अंग्रेज इतने घबरा गए कि अगस्त 1908 में उन्हें अलीपुर बम कांड में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर कोई अभियोग सिद्ध ना होने पर एक वर्ष बाद उन्हें रिहा कर दिया गया । जेल में उनके जीवन में एक नया मोड़ आया , उन्होंने इस अवधि में उन्होंने गीता और योग दर्शन का गहन अध्ययन किया। जेल से रिहा होने के बाद अरविंद ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और उन्होंने 1910 में पांडिचेरी में 'श्री अरविंद आश्रम ' के नाम से एक आध्यात्मिक आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम में उन्होंने वेद उपनिषद भागवत गीता और योग सूत्रों का गहन अध्ययन किया । उन्होंने पारंपरिक भारतीय शास्त्र को एक नए दृष्टिकोण से देखा और उसे आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया , उन्होंने अपना जीवन योग और ध्यान में समर्पित कर दिया । उन्होंने ' पूर्ण योग' (प्दजमहतंस लवह) का दर्शन विकसित किया , जो आत्मा,मन , समाज, और राष्ट्र के समग्र विकास की बात करता है।[5] दिसंबर 1950 को महर्षि अरविंद घोष का निधन हो गया लेकिन उनके उनकी विचारधारा आज तक जीवित है।

निष्कर्ष– महर्षि अरविंद घोष एक प्रकाश पुंज की भाँति पहले भारत के राजनीतिक व कालान्तर में आध्यात्मिक क्षितिज को आलोकित करते रहे। भारतीय राजनीति में अपनी 4–5 वर्षों की सक्रियता में ही उन्होंने अपनी प्रखर देशभक्ति व दूरदर्शिता से नई पीढ़ी को उत्साह व कर्मठता से भर दिया। राजनीतिक जीवन का परित्याग करने के बाद वे योग–साधना के बल पर दर्शन , साहित्य और आध्यात्मिक क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर आसीन हुए। अरविंद घोष एक स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे, वह एक युगदृष्टा थे , उनका विचार था कि सच्ची आजादी केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आत्मिक भी होनी चाहिए। उन्होंने भारतीयता की आत्मा को न केवल पुनर्जीवित किया , बल्कि इसे वैश्विक मंच पर भी प्रतिष्ठित किया ।अरबिंदो घोष न केवल स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे, बल्कि एक क्रांतिकारी, दार्शनिक, योगी , कवि ,और आध्यात्मिक गुरु भी थे, उनका जीवन भारत के राजनीतिक , सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागरण का प्रतीक है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. श्री अरविंद गीता पर निबंध पांडिचेरी श्री अरविंद आश्रम 1922.
2. निरोद रंजन बारन –श्री अरविंद के संवाद, पांडिचेरी श्री अरविंद आश्रम 2001.
3. पीटर हीस – श्री अरविंद का जीवन चरित, न्यूयॉर्क कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस 2018.
4. आर सी मजूमदार – भारत में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, नई दिल्ली ,फर्मा केएलएम 1963.
5. श्री अरविंद घोष – वंदे मातरम लेख संग्रह (1906 –1908) कोलकाता आर्य पब्लिकेशन हाउस 1945.
6. के डी चट्टोपाध्याय– श्री अरविंद और नव चेतना ,नई दिल्ली भारतीय विद्या भवन 1975.
7. के आर एस आयंगर , श्री अरबिंदो एक जीवनी और एक इतिहास, पांडिचेरी 1972.
8. सच्चिदानंद मोहंती (2008) श्री अरविंदो एक समकालीन पुस्तक (एक संस्करण) नई दिल्ली पृष्ठ– 36.
9. सर युग यादव (2007) श्री अरविंदो का जीवन मन और कला, सरूप एंड सन्स।
10. शर्मा रामनाथ (1991) श्री अरविंदो का सामाजिक विकास का दर्शन, अटलांटिक पब्लिशर्स 2024.ण
11. हचजर मेयर बिलफ्रेड (2016) श्री अरविंदो और यूरोपीय दर्शन, प्रिज्म औरोविले।

*****

Sumangalam Prabha
A Peer Reviewed (Refereed) & Open Access Journal
RNI N0.- UPHIN/2009/31180

ISSN: 2250-1894
Vol.-16, No.-I, Issus-61
Year: April-June 2025

पंचायती राज व्यवस्था का ग्रामीण जीवन पर प्रभाव

डॉ0 गीता कुमारी
अतिथि प्रवक्ता–समाजशास्त्र विभाग
एस. एन. सिन्हा कॉलेज, जहानाबाद (बिहार)

PP.N0- 04-06 Received: 05.04.2025 Accepted:13.04.2025 Email: km.geeta42 @gmail.com

सारांशः *12 जनवरी 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद् ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार लिया और तब से लेकर आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, प्रायः सभी राज्यों में पंचायती राज को कार्यन्वित किया है।*

पंचायती राज की प्रेरणा का मूल स्त्रोत पंच परमेश्वर की परम्परा थी जिसके अनुसार पंचों के माध्यम से भगवान बोले हैं। भारतीय संविधान में केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों का उल्लेख है, पर उसमें राजनैतिक संगठन के रूप में पंचायती राज की कल्पना न थी। राज्य के निर्देशक सिद्धान्तों में अवश्य स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में ग्राम पंचायतों को संगठित करने का आदेश है। पंचायती राज को अपनाने का मुख्य उद्धेश्य जनता का सहयोग प्राप्त करना था।

कुजीभूत शब्द : पंचायती राज, ग्रामीण जीवन, पंच परमेश्वर की परम्परा, स्वायत्त शासन, ग्राम पंचायत

पंचायती राज को स्थापित हुए अब काफी समय हो चूका है और समाज के किसी भी अध्येता के लिए यह जानना आवश्यक और महत्वपूर्ण है कि इस नये परीक्षण का ग्रामीण जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में अनेक अध्ययन किये गये हैं।

Hugh Gray ने आन्ध्र प्रदेश में पंचायती राज का गहन अध्ययन किया और वे निम्न मुख्य निष्कर्षों पर पहुँचे[1]–

1. पंचायती राज के अर्न्तगत मुख्य जिलाधीश का कार्य बदल रहा है जिला अधिकारी जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी नहीं है और पंचायती क्षेत्र समितियों के गुणों की तुलनों में जिला परिषद के अध्यक्ष की स्थिति काफी कमजोर है।
2. त्रिस्तरीय व्यवस्था में वास्तविक सत्ता बीच के स्तर अर्थात् समिति के प्रमुख के पास है। उसके काम में बाधा डालने वाला जिलाधीश नहीं है और खण्ड विकास अधिकारी को उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है।
3. पंचायती राज ने राजनीति को ग्रामीण स्तर पर ला दिया है और सरकार को अधिक बोधगम्य बना दिया है।
4. राजनैतिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण का लक्ष्य बहुत अंशों में प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन समुदायिक विकास के लिए लोगों में उत्साह जाग्रत करने के काम में अधिक सफलता नहीं मिली है। इसका अन्दाज इस बात से लगाया जा सकता है कि स्कूलों या सड़कों के लिए स्वीकृत बहुत सी रकमें जिनमें कि जनता से 50 प्रतिशत अंश देने की अपेक्षा की जाती है, अप्रयुक्त रह जाती है। जहाँ कुल 25 प्रतिशत अंशदान चाहिए वहाँ कुछ अधिक सफलता मिलती है। जब गाँव वालों से पूछा जाता है कि, क्या वे पंचायती राज के हक में है।, वे कहते हैं कि हाँ, क्योंकि इससे गाँव में अधिक रूपया आता है। गाँव वाले अभी तक यह नहीं समझते कि राज्य उनका है। वह यही समझते हैं कि यह अभी भी जमींदारों का ही है। पंचायती राज ने एक ऐसा अखड़ा प्रस्तुत किया है जिसमें कि जमींदार जातियों के सदस्य अपनी सत्ता और प्रतिष्ठा के लिए लड़ सकते हैं।
5. गाँव वालों में चुनाव में अभिरूचि बढ़ रही है और वे यह महसूस कर रहे हैं कि धर्म और कर्म में ही जीवन की इतिश्री नहीं है, बल्कि सम्मलित आयोजन एक वास्तविक संभावना है। वे वोट की शक्ति को पहचान रहे हैं।

के. सी. पंचनदीकर और श्रीमती पंचनदीकर ने बड़ौदा के पास एक अध्ययन में बताया कि यहाँ कोरियों की बहुसंख्या थी[2] इसके अलावा अनाविल और गौरा दो जमींदार जातियों की संख्या उनसे थोड़ा ही कम थी। पंचायती राज के सूत्रपात ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि नेता बनने के लिए अब एक जाति से अधिक जातियों के सहयोग की आवश्यकता प्रबल हो गई।

राजस्थान के अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि प्रधान एवं विकास अधिकारी के झगड़े पंचायती राज प्रशासन मे एक आम बात हो गये हैं।[3] उसके विपरीत, आन्ध्र प्रदेश की दो पंचायतों में विकास अधिकारी और समिति के अध्यक्ष के सम्बन्ध अत्यन्त सौहार्दपूर्ण पाये गये।4 इसका कारण वहाँ के प्रमुख का लोकतांत्रिक दृष्टिकोण और विकास अधिकारी की व्यवहार कुशलता और योग्यता थी।

एम. एन. श्रीनिवास ने अपने अवलोकन के आधार पर बताया है कि पंचायती राज के प्रारम्भ ने निम्न जातियों, दलितों को आत्मसम्मान तथा शक्ति की एक नवीन अनुभूति प्रदान की है।[5] बी. एस. खन्ना ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि पंचायती राज के प्रभाव के कारण ग्रामीण अपनी समस्या के सम्बन्ध में अधिक बोलने लगे हैं। अपनी मांगों के सम्बन्ध में अधिक जोर देने लगे हैं और प्रशासन की कमियों तथा कार्यक्रमों की क्रियान्वयन सम्बन्धी असफलताओं के सम्बन्ध में अधिकआलोचना करने लगे हैं।[6]

पंचायती राज का सबसे बड़ा प्रभाव राजनैतिक जीवन पर पड़ता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में राजनैतिक चेतना जागी है और स्थानीय नेता धीरे–धीरे उच्चतर स्तर पर अपने राजनैतिक गठबंधन कर रहे हैं। खण्ड, क्षेत्र या पंचायत समिति स्तर पर यह गठबंधन काफी मजबूत बन चुके हैं और इस स्तर पर प्रायः प्रधान या प्रमुख का चुनाव राजनैतिक दल के आधार होता है।

मैसूर के अध्ययन में सदस्यों से यह पूछा गया कि वे क्यों राजनैतिक दलों में शामिल हुए।[7] 25 सदस्यों ने कहा कि उनके मित्रों ने उन्हें दल में शमिल होने पर मजबूर किया। उनमें से 23 काँग्रेसी थे। एक अनुसूचित जाति के सदस्य ने बताया कि उसे विकास अधिकारी ने काँग्रेस दल में होने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि शासक दल होने के कारण उसे काँग्रेस दल से अनेक लाभ प्राप्त हो सकेगें। इसलिए पंचायती राज संस्थाओं का रूझान जब तक ऊपर की है, राज्य सरकार का शासक दल उन्हें अपनी शक्ति मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकेगा। उसी के पास समिति के अध्यक्षों को देने के लिए कुछ होगा। इस प्रकार पंचायती राज संस्थायें शासक दल का ही एक हथियार बन सकती है। इसका यही प्रतिकार है कि सत्ता व्यक्तिगत रूप से प्रधान या प्रमुख में निहित न कर समस्त सदस्यों को सौंपी जाय और इस बात का एक निश्चित और मापदंड निर्धारित किया जाय कि कौन पंचायत संस्थ उसे दिये गये कार्य को सुचारू रूप से संचालित कर रही है या नहीं।

गाँवों की राजनैतिक संरचना भी आज नए परिवेश ग्रहण कर रही है। ग्रामों की शक्ति संरचना आनुवंसिक इसमें जन–साधारण की सहभागिता बढ़ती जा रही है। ग्रामीण नेतृत्व अब मुख्य रूप से उन व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रित होने लगा है जो माध्यम वर्ग के सदस्य हैं अथवा जिनके परिवार का परम्परागत शक्ति संरचना में कोई प्रत्यक्ष योगदान नहीं था। जी0 आर0 रेड्डी ने अपने अध्ययन के द्वारा यह स्पष्ट किया कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में जिला परिषदों और पंचायत समितियों के विभिन्न पदों पर आज भी वे ही व्यक्ति आसीन है जो आर्थिक रूप से सम्पन्न हैं, परन्तु ग्रामीण स्तर पर अब 60 से 68 प्रतिशत पिछड़ी और अनुसूचित जातियों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व हो चूका है तथा इनमें से 72 प्रतिशत व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी वार्षिक आय 2500 रूपये से भी कम है।8 इसके अविरिक्त गाँवों के अधिक उत्साही तथा प्रगतिशील दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों में नेतृत्व की नई क्षमताओं का विकास हुआ है। उनके अनुसार, ग्रामीण नेतृत्व में युवा सदस्यों का प्रभाव बढ़ा है तथा राजनैतिक आकांक्षाओं ने जाति, धर्म और नातेदारी के परम्परागत आधारों को कमजोर बना दिया है।[9]

पंचायती राज के व्यवस्था से सम्बद्ध विभिन्न विकास कार्यक्रमों के फलस्वरूप ग्रामीणों के जीवन स्तर तथा प्रति व्यक्ति आय में भी पर्याप्त सुधार हुआ है। आर्थिक सुधार के साथ ग्रामीण जीवन में व्याप्त अन्ध–विश्वासों तथा कुरीतियों का प्रभाव पहले की तुलना में कम हो चूका है। इसके फलस्वरूप आज ग्रामीण समुदाय में हीनता और निराशा की भावना उतने स्पष्ट रूप से दिखाई नही देती जैसे कि कुछ वर्ष पूर्व तक अनुभव की जाती थी।

पंचायती राज के प्रभाव से आज ग्रामीण गतिशीलता में भी वृद्धि हुई हैं यह गतिशीलता सामाजिक तथा आर्थिक सभी क्षेत्रों में विद्यमान है। नए बाजारों के ज्ञान तथा परिवहन की सुविधाओं की सहायता से ग्रमीण अपनी उपज का अब अधिक मूल्य प्राप्त करने लगे हैं। ग्रामीण महाजन, बंजारे तथा स्थानीय व्यापारी सहकारी समितियों के कारण ग्रामीणों का अधिक शोषण नहीं कर पाते। सामाजिक क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था ने एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया है जिसमें व्यक्ति अपने व्यवसाय अथवा सांस्कृतिक प्रतिमानों को हीन दृष्टि से नहीं देखता।

न्याय के क्षेत्र में भी पंचायती राज व्यवस्था से स्थिति में सुधार हुआ है? क्योंकि न्याय पंचायतें सस्ता और शीघ्र न्याय देने का प्रयत्न करती है।

पंचायती राज व्यवस्था के प्रभाव से जाति पंचायतों का प्रभाव क्षीण हुआ है। पिछले सैकड़ों वर्षों के इतिहास से स्पष्ट होता है कि जाति पंचायतें आर्थिक रूप से दुर्बल तथा सामाजिक रूप से पिछड़े हुए समूह का शोषण करने वाला प्रमुख आधार थी। गाँव में अन्ध–विश्वासों, भाग्यवादित तथा आर्थिक असमानता में वृद्धि करने के लिए भी जाति पंचायतें एक बड़ी सीमा तक उत्तरदायी थीं। पंचायती राज व्यवस्था के कारण अब जाति पंचायतों का प्रभाव इतना कम हो गया है कि अधिकांश गाँवों में जाति पंचायतों का अस्तित्व ही देखने को नहीं मिलता। इसके फलस्वरूप ग्रामीणों का जीवन अधिक स्वतंत्र, उदार और समतावादी बन गया है।

ग्रामीण जगत पर पंचायती राज व्यवस्था का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। इसके प्रभाव से ग्रामीण जीवन में कुछ विघटनकारी प्रवृत्तयाँ भी विकसित हुए हैं जिनमें गुटबन्दी, बढ़ते हुए संघर्ष और व्यक्तिवादिता आदि प्रमुख समस्याएँ हैं। सादिक अली दल ने स्पष्ट किया है कि पंचायती राज से ग्रामीण क्षेत्रों में गुट बढ़े हैं, अभी

जन–सहयोग का अभाव है और पंचायती राज तथा सहकारी संस्थाओं में सहयोग की कमी है।[10] पी0 एन0 रस्तोगी ने अपने अध्ययन में पाया कि पंचायती राज व्यवस्था के फलस्वरूप ही ग्रामीण क्षेत्रों में पास्परिक सहयोग के स्थान पर गुटवाद को प्रोत्साहन मिला है?[11] सन् 1961 में आन्ध्र प्रदेश तथा राजस्थान में अखलि भारतीय पंचायत परिषद द्वारा नियुक्त अध्ययन दल ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रति लोगों में काफी उत्साह पाया। इन संस्थाओं ने तकावी कर्ज की प्रणाली को सरल बनाने, उन्नत कृषि प्रविधियों को लोकप्रिय बनाने, स्कूल में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने तथा प्रशासकीय अकुशलता सम्बन्धी शिकायतों को कम करने में योग दिया। अध्ययन दल को इन संस्थाओं के कार्य संचालन में कहीं–कहीं कुछ कमियों का पता चला।[12]

पंचायती राज के सम्बन्ध में लोगों की धारणाओं का पता लगाने के उद्धेश्य से एल0 के0 सेन की देख–रेख में सामुदायिक विकास के राष्ट्रीय संस्थान के द्वारा सम्पूर्ण देश में से 365 गाँवों तथा 7,000 उत्तरदाताओं को निदर्शन के रूप में चुनकर अध्ययन किया गया। इस अध्ययन से प्राप्त तथ्यों से उजागर हुआ कि पंचायती राज और पंचायतों में चुने हुए सदस्यों के प्रति ग्रामीणों की प्रवृत्ति अनुकूल है। ग्रामीण पुराने परम्परागत नेताओं तथा सरकारी अधिकारियों के बजाय इन चुने हुए नेताओं को अधिक पसन्द करते हैं। उत्तरदाता ग्रामीण क्षेत्रों में गुटवाद की समस्या से चिन्तित नहीं थे। इस अध्ययन से यह भी निष्कर्ष निकाला गया कि पंचायती राज की स्थापना के पश्चात सामुदायिक विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन अधिक अच्छे ढँग से हुआ है।[13]

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Hugh Gray : ‘The problem’ in seminar panchayati Raj Number, September, 1963.
2. K. C. and J. N. panchnadikar : ‘Domestic’ structure and Adjustment in panchayati Raj Bodies in George Jacob’s Readings on panchayati Raj in India, 1967.
3. Iqual Narain and P. C. Mathur : ‘panchayati’ Raj in Rajastan, in George Jacob’s Readings on panxhayati Raj in India, 1967.
4. B. Sarves warh Prasad : ‘Panchat Samities’ in George jacob’s Readings on panchayati Raj in India, 1967.
5. M. N. Srinivas : Social change in Modern India, 1966.
6. B. S. Khanna : some Emperical observations in the Punjab context in M. V. Mathur and Iqual Narain (Eds.) panchayati Raj, planning and Democracy, 1969, pp – 342-51.
7. K. S. Bhatt. : ‘Emerging patterns of Leadership in panchayat Raj set up in Mysore,’ in George Jacob’s Readings on panchayati Raj in India, 1967.
8. G. Ram Reddy : social composition of panchayati Raj : Background of political Executives in Andhra’, Economic and political weekly, Vol II, No 50, 23 Dec, 1967, p. 2211.
9. G. Ram Reddy : panchayati Raj and Rural Development in Andhra Pradesh, 1974, p-52.
10. Sadiq Ali : panchayati Raj : A-I. C.C. Economic Review, 1960, 12 (13-14).
11. P. N. Rastogi : polarization, politics and Economics Rural Life in East U.P., Indian Journal of social work (1968), 28(4). Pp-371-77.
12. R. N. Haldipur : sociology of panchayati Raj in ICSSR (Ed.) op. Cit. II, 1974, p. 82.
13. L. K. Sen : peoples image of community development and panchayati Raj, 1966, ii. p. 31.

*****

Sumangalam Prabha
A Peer Reviewed (Refereed) & Open Access Journal
RNI N0.- UPHIN/2009/31180

ISSN: 2250-1894
Vol.-16, No.-I, Issus-61
Year: April-June 2025

Dharma, Politics, and Morality: Issues in the Light of the Srimad Bhagavad Gita

Vivek Mishra
Research Scholar, Faculty of Management Studies,
Lucknow University, Lucknow (U.P.) India

PP.N0- 07-11 Received: 08.04.2025 Accepted-: 17.04.2025 **Email: vivek63mishra@gmail.com**

Abstract-

"Dharma, Politics, and Morality: Issues in the Light of the Srimad Bhagavad Gita"

Foundation of Dharma: To start with, in addressing the presentation topic, the author quickly and concisely gives an account of the term dharma as described in the Bhagavad Gita by portraying it as a crucial code for ethical and rightful action within human individual and communal life settings.

Examination of Political Contexts: It may explain current political situations and enable students discuss ethical questions, for example, in governing, legislation, and public morality, using examples of modern situations.

Application of Gita's Teachings: It is likely that the presentation looks at how one can apply what one learns about the Gita to making ethical choices. For example, it may talk about the two path feelings of mind karma yoga-duties without results and how these feelings applies to leaders in the political arena.

Moral Decision-Making: The research is focused on such essential theme as the possibilities and challenges of making moral decision in political practice. It reaffirms the notion of Swami Mukherjee that leaders do not need advice on how to manage their personal desire with social obligation or the messages of the Gita can help in this context.

Case Studies: It probably describes actual scenarios that show ways in which dharma works in governing, depict leaders who have incorporated these elevated ethical principles into their political policies.

Relevance Today: The presentation ends with the declaration that the message of the Gita has not become obsolete in the modern world and calls for ethical governance and trying to make political practice moral for the establishment of justice in society.

In conclusion, the paper shows that it is crucial to combine the accomplishments of ancient philosophy with political ethicist, in an attempt to change the political culture by awakening a sense of benevolence in the political systems of today's world.

Key Word: Dharma, Politics, Morality, Bhagwat Gita, Governing, Legislation, Teachings

Relevant Instructions in our scripture Bhagwat Gita

अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः ।
स्त्रीषु दुष्टासु वाष्र्णेय जायते वर्णसंकरः ।।४१।।

With the preponderance of vice, Krsna, the women of the family become corrupt; and with the corruption of women, O descendant of Vrsni, there ensues an intermixture of castes.

संकरो नरकायैव कुलघ्नाना कुलस्य च।
पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ।। ४२।।

Admixture of blood damns the destroyers of the race as well as the race itself. Deprived of the offerings of rice and water (Sraddha, Tarpana, etc.,) the manes of their race also fall.

Chapter 2 देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा।
तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ।। १३ ।।

Just as boyhood, youth and old age are attributed to the soul through this body, even so it attains another body. The wise man does not get deluded about this.

न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः ।
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ।। २० ।।

The soul is never born nor dies; nor does it become only after being born. For it is unborn, eternal, everlasting and ancient; even though the body is slain, the soul is not.

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देही ।। २२ ।।

As a man shedding worn-out garments, takes other new ones, likewise the embodied soul, casting off worn-out bodies, enters into others which are new.

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ।
तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ।। ३७ ।।

Die, and you will win heaven; conquer, and you enjoy sovereignty of the earth; therefore, stand up, Arjuna, determined to fight.

सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ।
ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ।। ३८ ।।

Treating alike victory and defeat, gain and loss, pleasure and pain, get ready for the fight, then; fighting thus you will not incur sin.

ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते ।
संगात्सञ्जायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ।। ६२ ।।

The man dwelling on sense-objects develops attachment for them; from attachment springs up desire, and from desire (unfulfilled) ensues anger.

क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मृतिविभ्रमः ।
स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ।। ६३ ।।

From anger arises infatuation; from infatuation, confusion of memory; from confusion of memory, loss of reason; and from loss of reason one goes to complete ruin.

Chapter 3-

लोकेऽस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ।
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ।। ३ ।।

Sri Bhagavan said: Arjuna, in this world two courses of Sadhana (Spiritual discipline) have been enunciated by Me in the past. In the case of the Sankhyayogi, the Sadhana proceeds along the path of Knowledge; whereas in the case of the Krmayogi, it proceeds along the path of Action.

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः ।
शरीरयात्रापि च तेन प्रसिद्ध्येदकर्मणः ।। ८ ।।

Therefore, do you perform your allotted duty; for action is superior to inaction. Desisting from action, you cannot even maintain your body.

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः ।
तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर ।। ९ ।।

Man is bound by his own action except when it is performed for the sake of sacrifice. Therefore, Arjuna, do you efficiently perform your duty, free from attachment; for the sake of sacrifice alone.

सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक् ।। १० ।।

Having created mankind along with the spirit of sacrifice at the beginning of Creation the Creator, Brahma, said to them, "You shall prosper by this; may this yield the enjoyment you seek.

देवान्भावयतानेन ते देवा परस्परं भावयन्तः ।
श्रेयः भावयन्तु वः। परमवाप्स्यथ ।। ११ ।।

Foster the gods through this (sacrifice), and let the gods be gracious to you. Each fostering other disinterestedly, you will attain the highest good.

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः ।
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ।।१४।

कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ।
तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ।।१५।।

All beings are evolved from food; production of food is dependent on rain; rain ensues from sacrifice, and sacrifice is rooted in prescribed action. Know that prescribed action has its origin in the Vedas, and the Vedas proceed from the Indestructible (God); hence the all-pervading Infinite is always present in sacrifice.

Chapter 4- श्रीभगवानुवाच

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ।
तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप ।।५।।

Sri Bhagavan said: Arjuna, you and I have passed through many births, I remember hem all; you do not remember, O chastiser of foes.

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् ।
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ।। ६ ।।

Though birthless and deathless, and the Lord of all beings, I manifest Myself through. My own Yogamaya (divine potency), keeping My Nature (Prakrti) under control.

चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।
तस्य कर्तारमपि मां विद्धयकर्तारमव्ययम् ।।१३।।

The four orders of society (the Brahmana, the Ksatriya, the Vaisya and the Sudra) were created by Me classifying them according to the mode of Prakrti predominant in each and apportioning corresponding duties to them; though the author of this creation, know Me, the immortal Lord, to be a non-doer.

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया।
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ।।३।।

Understand the true nature of that Knowledge by approaching illumined soul. If you prostrate at their feet, render them service, and question them with an open and guileless heart, those wise seers of Truth will instruct you in that Knowledge.

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।
तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ।। ३८ ।।

On earth there is no purifier as great as Knowledge, he who has attained purity of heart through a prolonged practice of Karmayoga automatically sees the light of Truth in the self in course of time.

Chapter 5-

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते ।
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ।। ५।।

The (supreme) state which is reachd by the Sankhyayogi is attained also by the Karmayogi. Therefore, he alone who sees Sankhyagoga and Karmayoga as one (so far as their result goes) really sees. (5)

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते।
आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ।। २२ ।।

The pleasures which are born of sense-contacts are verily a source of suffering only (though appearing as enjoyable to worldly-minded people). They have a beginning and an end (they come and go). Arjuna, it is for this reason that a wise man does not indulge in them.

Chapter 6-

नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः ।
न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन ।।६।।

Arjuna, this Yoga is neither for him who overtness, nor for him who observes a complete fast; it is neither for him who is given to too much sleep; nor even for him who is ceaselessly awake.

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ।।१७।।

Yoga, which rids one of woe, is accomplished only by him who is regulated in diet and recreation, regulated in performing actions, and regulated in sleep and wakefulness.

श्रीभगवानुवाच-

पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते।
न हि कल्याणकृत्कश्चिद्दुर्गतिं तात गच्छति ।। ४० ।।

Sri Bhagavan said: Dear Arjuna, there is no fall for him either here or herafter. For none who strives for self-redemption. (i.e., God-Realization) ever meets with evil destiny.

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च।
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ।।४।।
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि में पराम् ।
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ।।५।।

Earth, water, fire, air, ether, mind, reason and also ego; these constitute My nature eightfold divided. This indeed is My lower (material) nature; the other than this, by which the whole universe is sustained, know it to be My higher (or spiritual) nature in the foon of Jiva (the life-principle), O Arjuna.

Introduction- The relation between dharma, political science, and ethics is something that has been discussed forever and still resonates today and mostly in the sphere of political regulation and welfare. The Srimad Bhagavad Gita, which originated in the Indian subcontinent, is an informative religious text in this context understood in the philosophy of the world. As a part of Mahabharata, Geeta speak a conversation between Lord Krishna and Arjuna at Kurukshetra field where giant war is being fought giving information about ethical questions, the stakes on right path; the duties of moral character both for an individual and a leader.

Regarding the topic of dharma, politics and morality ideals this paper provides analysis based on the Bhagavad Gita. Thus, we are to define to what extent the concepts introduced by this text influence the modern political discourse and individual ethical choice. This is why the study concentrates on the leadership aspect, justice, and order in the society as the Gita has answered the modern issues.

Literature Review- Through scholarly compositions critique, the Bhagavad Gita has been dealth with under various themes that cut across the areas of spirituality, philosophy and ethics. Indologists like S. Radhakrishnan regarded the Gita as timeless message relevant to the modern moral philosophy discuss its relevance. In the sphere of political philosophy the Gita has been referred to as a key to the leadership and political moral dilemmas. B.G. Tilak out of all the great figures of Indian freedom struggle saw the Gita as the message for action in terms of dharma while Mahatma Gandhi saw the Gita as a source of non violence and truth.

In the contemporary world, approaches by torch bearers such as Swami Sivananda and Paramahansa Yogananda attempt to make aspects of the Gita useful in handling ethics in organizations. Compositions are usually carried out in a bid to compare Gita with other philosophical systems from different parts of the world, including Kant's or Aristotle's giving it a global dimension. Nonetheless, there are questions left unanswered about implementing the essence of the Gita in the modern political settings and with regard to the machinery of government, consequently, its study in these areas should be continued.

Methodology-This paper employs a qualitative interpretive method to analyse teachings of the Bhagavad Gita with regards to dharma, politics, and morality. The research involves:

Textual Analysis: Analyzing primary texts of the Bhagavad Gita related to dharma, ethical means of action and leadership. Classical and modern scholars' views are quoted to ensure an understanding of various views expressed concerning this subject.

Thematic Categorization: In particular, examining the repeated motifs connected with moral choices and actions, justice and government in the given text.

Comparative Analysis: A review of the ethical theories and political philosophies that are closer to the Gita and are similar to its principles.

Case Studies: A comparison of events in history to assess the impact of the Gita's messages in the lives of political figures or political activist like Mahatma Gandhi during the freedom fighters struggle in India.

Findings- Dharma as a Guiding Principle: The Gita therefore gives prominence to the notion of dharma as the principle of par excellence ethical conduct calling on people to perform their duties in accordance with prescribed roles and obligations with vigour and impartiality in the outcomes.

Ethical Leadership: Largely, the text encourages leaders to act in the interests of the public rather than to enrich themselves, be wise and responsible.

Reconciliation of Conflicts: The Gita attunes the mind to conflict situations by practicing the balanced duality of due actions in conformity with moral duty and also duty to the society.

Timeless Relevance: The knowledge given in the Gita could be effectively applied for analysis of modern problems of governance and political ethics stating about justice, fairness, and compassion.

Practical Application: The fact that the Gita has inspired leaders like Gandhi rightly puts into a perspective how the GITAs text can be put into work to prepare the minds of those who are in power to face the moral dilemmas that arise in hardest situations and enable them to make right decisions.

Conclusion-Among them are the teachings concerning dharma, politics and morality that have equally valuable lessons on ethical leadership and governance of the world. This means that by incorporating these principles in the modern political systems, different leaders can be able to find solution to different ethical issues affecting different societies. This research reaffirms that the Gita holds utility in decoding contemporary politics and morality and needs to officially be a part of discourses on politics and morality.

REFERENCES

1. Easwaran, E. (1985). This translation of the Bhagavad Gita is appropriately called "The Bhagavad Gita for Daily Living." Nilgiri Press.
2. Gandhi, M. (2009). The Bhagavad Gita As Ganda in the Stars. North Atlantic Books.
3. Radhakrishnan, S. (1948). The Bhagavadgita: With an Introductory Essay, Sanskrit Text, English Translation and Notes. Harper & Brothers.
4. Sivananda, S. (1995). The Bhagavad Gita: The concluding part of the article is invited commentary by Swami Sivananda on the discussion that he has initiated. Divine Life Society.
5. Tilak, B.G. (1935). Srimad Bhagavad Gita Rahasya. Tilak Brothers.
6. Yogananda, P. (1995). God Talks with Arjuna: The Bhagavad Gita. Self-Realization Fellowship.
7. Woodyard, C. (2011). Exploring the therapeutic effects of yoga and its ability to increase quality of life. International Journal of Yoga, 4(2), 49–54.

*****

Sumangalam Prabha
A Peer Reviewed (Refereed) & Open Access Journal
RNI N0.- UPHIN/2009/31180

ISSN: 2250-1894
Vol.-16, No.-I, Issus-61
Year: April-June 2025

विशेष शिक्षा का अधिकार व समावेशन : विश्लेषणात्मक अध्ययन

अमिता मिश्रा
सहायक आचार्या–विशेष शिक्षा दृष्टिबाधितार्थ
जगद्‌गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय चित्रकूट (उ0प्र0)

PP.N0- 12-14 Received: 08.04.2025 Accepted:18.04.2025 **Email: mishraamita062@gmail.com**

सारांश: ***शिक्षा को मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल किया जाना अपने आप में ऐतिहासिक अवसर है, परन्तु किसी भी शैक्षिक पहल की सफलता सरकार समाज व परिवारों की क्षमता और प्रेरणाशक्ति पर निर्भर करता है। शिक्षा के अधिकार कानून का कार्यान्वयन भी कोई अपवाद नहीं है। इस घोषणा को कार्यात्मक रूप प्रदान करने के लिए केन्द्र, राज्य सरकारों, संघ शासित प्रशासन, जिला एवं गाँव स्तर के प्रशासन, समुदाय, स्कूल, परिवार को मिलकर पूरी प्रतिबद्धता के साथ साझा रूप से इस राष्ट्रीय प्रयास में शामिल होना होगा ताकि प्रत्येक बालक चाहे वो विशिष्ट हो या सामान्य शिक्षा की रोशनी से जगमग हो सके और एक मजबूत खुशहाल और समतामूलक समाज का निर्माण किया जा सके।***

कुजीभूत शब्द : विशेष शिक्षा, मौलिक अधिकार, सार्वभौमिक शिक्षा, दिव्यांग, शैक्षिक आवश्यकता

अगर विद्यालय को एक ऐसी व्यवस्था बनाना 20वीं शताब्दी की चुनौती थी जो पहले के अशिक्षित नागरिकों के जनसमूहों को न्यूनतम शिक्षा और बुनियादी समाजीकरण प्रदान कर सके तो 21वीं सदी की चुनौती ऐसे विद्यालयों का निर्माण करना है, जो सभी छात्रों के लिए और सभी समुदायों में विशेष शिक्षा का एक सच्चा अधिकार सुनिश्चित कर सकें। इस नई चुनौती का सामना करना कोई अतिरिक्त दायित्व निभाना नहीं है इसके लिए एक बुनियादी तौर पर भिन्न उद्यम की आवश्यकता है।

सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अनुच्छेद 45 द्वारा सभी 14 साल तक के विशेष बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई और सन् 2002 में 86 वें संविधान संशोधन द्वारा प्राथमिक शिक्षा को एक मूलभूत अधिकार बना दिया गया था। विशेष बालकों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कानून भी वर्ष 2016 में संसद में पारित किया गया जो शिक्षा के मौलिक अधिकार के कार्यान्वयन को सुगम बनाता है। दोनो ही संविधान और नया कानून 01 अप्रैल 2016 से अस्तित्व में आ गये हैं। फिर भी सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 6 से 14 आयु वर्ग के लाखों ऐसे बच्चों को जो विभिन्न शारीरिक, बौद्धिक क्षतियों तथा सामाजिक हानियों के कारण लम्बे समय तक शिक्षा से वंचित रहे हैं. को शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल किए बिना शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना संभव नहीं हो सकता है। सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य के स्वप्न को धरातल पर उतारने के लिए यह आवश्यक था सभी विशेष बालकों को एक साथ नियमित विद्यालयों में शिक्षित करने का प्रयास किया जाए। समावेशी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से पहली बार इस दिशा में ठोस पहल की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लिए इस बात पर जोर दिया गया कि जहाँ तक सम्भव हो सके समान अधिर के रूप में सभी बच्चों को नियमित विद्यालयों में पढ़ाया जाना चाहिए और वहां उनकी विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए।

सन् 1990 में हुई सबके लिए शिक्षा (एजुकेशन फॉर आल) विश्व बैठक में सभी व्यक्तियों की मूलभूत अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करने पर जोर दिया गया, जिससे सभी बच्चों को शिक्षा का लाभ उठाने में समर्थ हो सके। इन आवश्यकताओं में सम्मानपूर्वक मानव जीवन जीने, अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास करने, विकास में पूर्ण भागीदारी होने, अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधारने, उचित निर्णय लेने तथा अधिगम को जारी रखने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक उपकरणों जैसे साक्षरता, मौलिक अभिव्यक्ति, अंक ज्ञान, समस्या समाधान, रचनात्मकता का विकास तथा मूलभूत अधिगम पाठ्यवस्तु जैसे ज्ञान, कौशल मूल्य व दृष्टिकोण समाहित किए गए। तदुपरान्त 1994 में सलमान्का (स्पेन) में आयोजित बैठक जिसमें भारत समेत 92 राष्ट्रों तथा 25 अन्तर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था जिसमें सबकी शिक्षा के पक्ष में संस्तुतियां स्वीकार की गई, और ये दावा किया गया फिर सभी दिव्यांग बच्चों को एक समावेशित वातावरण में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

निःशक्तजन अधिनियम (1995) के 26वें भाग में विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बालको की 18 वर्ष की उम्र तक मुक्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था के साथ–साथ इस बात पर भी जोर दिया गया कि समावेशन की नीति को शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर व्यापक रूप से लागू किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चों की संगठित भागीदारी समाज में उनके एकीकरण के लिए आवश्यक है, इससे उनकी सूचनाओं तक पहुँच बढ़ती है, उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है, एकजुट होने से वे अपनी समस्याओं को सुलझानें के सामूहिक तरीके ढूँढ सकते हैं।[1]

शिक्षा का मौलिक अधिकार एवं विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता– प्राथमिक शिक्षा राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली का प्रथम सोपान है इसी पर बच्चों की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं भावनात्मक योग्यताओं के विकास पर निर्भर है। इसी समय ही बच्चों की सफलताओं तथा उपलब्धियों की बुलियाद रखी जाती है और उनके भविष्य का निर्धारण किया जाता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु सन् 2000 में केन्द्र और राज्य सरकारों के परस्पर सहयोग पर आधारित सर्व शिक्षा अभियान जैसी राष्ट्रीय फलक वाली योजना का शुभारम्भ किया गया। जिसका लक्ष्य सभी 6–14 वाल के सभी बालको कों उनकी आयु के समकक्ष विद्यालयों के साथ एक समावेशिक शिक्षा वातावरण में शैक्षिक अवसर उपलब्ध करवाना विद्यालय में आने वाली बाधाओं को दूर करना, बालकों का विशेषज्ञों द्वारा कार्यात्मक व बौद्धिक मूल्यांकन करवा कर उनके लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण में शिक्षा का प्रबन्ध करना स्कूल प्रणाली में उन्हें बनाए रखना, गैर सरकारी संस्थाओं, शिक्षा शास्त्रियों, समाजशास्त्रियों, अध्यापक अभिभावक सघों, समुदाय के लोगों का सहयोग, वित्तीय सहायता, विभिन्न प्रकार की शिक्षा व्यवस्थाओं जैसे– मुक्त विद्यालय, औपचारिक और वैकल्पिक विद्यालय, दूरस्थ शिक्षा एवं साक्षरता, और जहां पर आवश्यक हो गृह आधारित शिक्षा, परिश्रमी अध्यापकों की नियुक्ति, उपचारात्मक शिक्षण व्यवस्था, अल्पकालिक कक्षाओं का आयोजन, सामुदायिक आधारित पुर्नवास, व्यवसायिक प्रशिक्षण और कार्य योजनाओं द्वारा 2010 तक गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अभियान में विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हुए और शून्य अस्वीकारता की अवधारणा को स्वीकारते हुए यह व्यवस्था की गई कि किसी भी बालक को किसी भी कारणवश शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा।श शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु किए जाने वाले प्रयासों को जिनको देखकर लगता है। कि सौ वर्ष पूर्व गोपाल कृष्ण गोखले ने इंपीरियल एसेम्बली में भारतीयों के लिए शिक्षा के सार्वभौमिकरण के जिस स्वप्न को देखा था उसे वास्तविकता के धरातल पर उतारने के लिए सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इन्ही कोशिशों को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा को मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 21 (अ) में सम्मिलित कर दिया गया है जिसका अर्थ हुआ कि जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसी प्रकार उसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

शिक्षा के अधिकार के मुख्य बिन्दु

1. 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बालकों को निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार होगा।
2. बच्चों का न तो स्कूल फीस देनी होगी न ही यूनिफार्म, पुस्तकें ट्रांसपोर्टेशन या मिड–डे–मील जैसी चीजों पर खर्च करना होगा।
3. बच्चों को न तो अगली कक्षा में पहुँचने से रोका जाएगा, न सकूल से निकाला जाएगा और न ही बोर्ड परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा।
4. कोई स्कूल बच्चों को प्रवेश देने से इन्कार नहीं कर सकेगा। हर 60 बालकों को पढ़ाने के लिए कम से कम दो प्रशिक्षित शिक्षक होंगे।
5. सभी निजी स्कूलों में पहली कक्षा में नामांकन के दौरान कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत शीटें आरक्षित होंगी।
6. जिन स्कूलों का इन्फास्ट्रक्चर ठीक नहीं है उन्हें तीन वर्ष के अन्दर इसे दुरस्त करना होगा वरना उनकी मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।
7. सभी राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के लिए यह अनिवार्य होगा कि उनके इलाके का हर 6 से 14 साल तक का बच्चा स्कूल जाए।
8. इस कानून को लागू करने पर आने वाले खर्च को केन्द्र और राज्य सरकारें मिलकर उठाएंगी। उनके अंशदान का अनुपात 55:45 होगा ।

शिक्षा के अधिकार एवं चुनौतियां– शिक्षा का अधिकार कानून 1 अप्रैल 2010 से लागू तो हो गया अभी इसके कई जमीनी चुनौतियां इस कानून को व्यवहारिक रूप प्रदान करने में अभी लम्बा समय लग सकता है। वर्तमान में भारत की प्रारम्भिक शिक्षा प्रणाली विश्व की दूसरी सबसे बड़ी शिक्षा व्यवस्था है, जहां तकरीबन 10 लाख स्कूलों में 169781146 (प्राइमरी और अपर प्राइमरी) बच्चों को पढ़ाने का काम लगभग 5530269 शिक्षक कर रहे हैं। (सातवां अखिल भारतीय विद्यालय सर्वेक्षण 2002) । फिर भी सार्वभौमिक शिक्षा का लक्ष्य मौलिक अधिकार बन जाने के बावजूद तब तक प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक की 6–14 आयु वर्ग के लाखों ऐसे बच्चों को जो विभिन्न शारीरिक, बौद्धिक क्षतियों तथा सामाजिक हानियों के कारण लम्बे समय तक शिक्षा से वंचित रहे है। इस प्रकार शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल नहीं कर लिया जाता है। एन.एस.एस.ओ. के 58वें सर्वे के अनुसार भारत में विकलांग व्यक्तियों की संख्या 18.49 मिलियन है, जो कि कुल जनसंख्या का 1.8 प्रतिशत है। जिनमें से 55 प्रतिशत निरक्षर हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में 05–18 साल तक के 1000 शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम बच्चों में (475) और शहरी क्षेत्रों में (444) बच्चें विद्यालयों में शिक्षा पा रहे हैं।श

विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता वाले बालकों को अभी भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। दिल्ली के एक अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र में एक मूक बधिर बालक के दाखिले के लिए अदालत के दरवाजे खटखटाने पड़े तब जाकर उस बालक का दाखिला उस संस्थान में हो पाया। निःशक्तजनों के अधिकारों की अन्तर्राष्ट्रीय घोषणा (2006) के अनुसार भारत समेत अन्य विकासशील देशों में मात्र 1 से लेकर 3 प्रतिशत तक ही विकलांग बालक विद्यालयों में नामांकित हैं और बाकी 99 से 97 प्रतिशत बालक शिक्षा व्यवस्था से बाहर हैं।

विशिष्ट बालकों की पहचान एक त्रिस्तरीय विशेषज्ञों की टीम जिसमें एक डॉक्टर मनोवैज्ञानिक और एक विशेष प्रशिक्षक द्वारा रखा जाता है, जिससे की उनकी विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपर्युक्त शैक्षिक वातावरण में शिक्षा का प्रबंधन किया जा सके। इस कार्य के लिए बड़े पैमाने पर विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी। देश के अनेक राज्यों में स्कूलों की माली हालत ठीक नहीं है। सैकड़ों विद्यालय खुले आसमान या किसी पेड़ के नीचे लगते हैं। न तो उन विद्यालयों में बैठने के लिए टाट–पट्टी की व्यवस्था है न ही पीने के लिए पानी की और न ही शौचालयों की जिन विद्यालयों में शौचालय बनाए गए हैं उन पर या तो ताला लगा रहता है या वो शौचालय अवरोधक मुक्त नहीं हैं। जिसके कारण विशेषतः बालिकाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दिल्ली के एक अध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही एक अस्थिविकलांग छात्राध्यापिका को केवल इसलिए लगभग 8 घंटे पानी पीने से परहेज करना पड़ता है कि अगर बाद में उसे शौचालय जाना पड़ा तब क्या होगा क्योंकि प्रशिक्षण केन्द्र के शौचालय अवरोधक मुक्त नहीं हैं।

शिक्षण सामग्री का अभाव भी इस कानून के राह में एक बड़ा अवरोधक देखने में आ सकता है। विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बालकों की उनकी शिक्षा सम्बन्धित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशिष्ट शिक्षण सामग्री की ही आवश्यकता पड़ती है। एक बालक की दृष्टिबाधिता के कारण उत्पन्न हुई विशिष्ट शिक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि उसके पास लिखने के लिए ब्रेल स्लेट, ब्रेल पेपर, स्टाइलिस हों। गणित सीखने के लिए अबेकस टेलर फेम आदि हों। शिक्षण सामग्री के बिना शिक्षण कार्य कैसे होगा इसका अंदाजा भली–भांति लगाया जा सकता है। यह भी देखनें और सुनने में आम है कि सैकड़ो बालकों को बिना पुस्तकों व शिक्षण सामग्री के अपना अध्ययन कार्य को करना पड़ता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. जी. थॉमस इन्क्लूसिव स्कूल्स फॉर एन इन्क्लूसिव सांसाइटी – ब्रिटिस जनरल ऑफ एजुकेशनल–1997. पृष्ठ सं. 24.
2. द सालामा का स्टेटमेंट एण्ड फ्रेमवर्क फॉर एक्सन ऑन स्पेशल नीड एजुकेशन– पेरिस, युनेस्को –1994.
3. विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बालकों की शिक्षा पर राष्ट्रीय कार्य– केन्द्र समूह एन.सी.ई.आर.टी. – नई दिल्ली, भारत 2006.
4. निःशक्तजन अधिनियम– मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एण्ड इम्पावरमेंट, भारत सरकार, नई दिल्ली 1995, अध्याय–5.
5. के. के. भाटिया एवं पी.सी. चड्ढा सिंह– आधुनिक भारतीय शिक्षा ओर इसकी समस्याएं– प्रकाश बृदज लुधियाना– 1995.
6. एम. के. नारंग समावेशी शिक्षा–अग्रवाल प्रकाशन, आगरा –2011.
7. डॉ मालती सारस्वत– भारतीय शिक्षा का विकास सामयिक समस्याएं–आलोक प्रकाशन, इलाहाबाद–2006.
8. डॉ. आर. ए. जोसेफ पुर्नवास के आयाम– समाकलन पब्लिशर्स– वाराणसी– 2013.

*****

Sumangalam Prabha
A Peer Reviewed (Refereed) & Open Access Journal
RNI N0.- UPHIN/2009/31180

ISSN: 2250-1894
Vol.-16, No.-I, Issus-61
Year: April-June 2025

Global Outlook Of Retail Industry

Dr. Dinar fatima
Assistant Professor, Unity PG College
Lucknow (U.P.) India

PP.N0- 15-21 Received: 10.04.2025 Accepted-: 17.04.2025 Email: drdinarfatima786@gmail.com

Abstract-* *Retail is a broad and dynamic sector that includes many enterprises, from big-box retailers to conventional brick-and-mortar establishments and everything in between. While physical or in-store retail is the dominant channel in this market, forms of non-store retailing are becoming increasingly popular too. Online retailing or e-commerce channels are carving out a share of the retail sector in many global markets. The retail industry is one of the key contributors to the global economic machine with millions of enterprises offering goods and services, and billions of consumers purchasing them. The Retail Industry is expected to grow from USD 32.68 trillion in 2024 to USD 47.24 trillion by 2029, at a CAGR of 7.65% during the forecast period (2024-2029). The United States is home to the top three retail companies of the world, namely Walmart, Amazon, and Costco. In 2023, the total retail market of the United States reached revenue of over seven trillion U.S. dollars. Another giant market in the consumer goods and retail industry, China's retail revenue was 15.42 trillion yuan, or over two trillion U.S. dollars in 2022. Looking at other countries with booming retail markets, India's retail sales were estimated to reach 1.4 trillion U.S. dollars in 2023. The country's retail industry is dominated by the unorganized or the informal sector, which is defined as businesses held by own account workers, i.e., self-employed individuals or household members assisting them.

The retail industry is undergoing a tremendous transition because of changing consumer tastes, technological improvements, and market trends shaping an ever-evolving landscape. Furthermore, the COVID-19 pandemic had expedited the transition toward multichannel retailing and online buying, forcing merchants to innovate and adjust in response to shifting customer preferences and needs. Sustainability and social responsibility have also become key considerations for retailers, with consumers increasingly seeking ethically sourced products and environmentally friendly practices. E-commerce has emerged as a dominant force, fuelled by the widespread adoption of digital technologies, mobile commerce, and changing shopping behaviours.

The retail landscape has always been dynamic, but recent years have seen an unprecedented acceleration of challenges. Unforeseen events and evolving consumer behaviours have forced retailers to adapt at a breakneck pace. Retailers are improving their supply chain operations to improve efficiency, reduce costs, and meet increasing consumer demands for faster delivery. This includes implementing advanced inventory management systems, last-mile delivery solutions, and warehouse automation. Retailers increasingly leverage data analytics, artificial intelligence, and personalized marketing strategies to enhance customer experiences and drive sales. Overall, the global retail industry remains highly competitive and dynamic, with opportunities for growth and innovation amidst evolving consumer trends and market dynamics.

Key Word : Retail Industry, enterprises, establishments, e-commerce, automation, innovation

Introduction-The retail industry is highly competitive, with various local players operating in the market. To gain a competitive advantage in the industry, competitors are increasing their efforts to collaborate and utilize cutting-edge technology, such as AI and AR. Some of the key players in the market include Walmart Inc., Amazon Inc., Costco Wholesale Corporation. Indian retail industry has emerged as one of the most dynamic and fast-paced industries due to the entry of several new players. It accounts for over 10% of the country's gross domestic product (GDP) and around 8% of the employment. India is the world's fifth-largest global destination in the retail space. India is the world's fifth-largest global destination in the retail space and ranked 63 in the World Bank's Doing Business 2023.

The sizeable middle class and nearly unexplored retail market in India are the main enticing factors for international retail behemoths seeking to move into newer markets, which will help the Indian retail businesses grow more quickly. The urban Indian consumer's purchasing power is increasing, and branded goods in categories like apparel, cosmetics, footwear, watches, beverages, food, and even jewellery are gradually evolving into business and leisure that are well-liked by the urban Indian consumer. The retail sector in India is expected to reach a whopping US$ 2 trillion in value by 2032, according to a recent analysis by the Boston Consulting Group (BCG).India is one of the most promising and developing marketplaces in the world. There is a great deal of desire among multinational corporations to take advantage of the consumer base in India and to enter the market first. Nearly 60 shopping malls encompassing a total retail space of 23.25 million sq. ft. are expected to become operational during 2023-25.

India ranks among the best countries to invest in Retail space. Factors that make India so attractive include the second largest population in the world, a middle-income class of ~158 households, increasing urbanization, rising household incomes, connected rural consumers, and increasing consumer spending. As of December 2022, there were 7.8 billion daily e-commerce transactions. Online shoppers in India are expected to reach ~500 million in 2030 from 150 million in 2020. Online shoppers in India are expected to reach ~500 million in 2030 from +150 million in 2020. The E-Commerce market is expected to touch US$ 350 billion in GMV by 2030.

India's retail sector was experiencing exponential growth with retail development taking place not just in major cities and metros, but also in small cities. Healthy economic growth, changing demographic profile, increasing disposable income, urbanisation, and changing consumer tastes and preferences have been some of the factors driving growth in the organised retail market in India. To improve the business climate and make it simpler for foreign companies to register fully owned subsidiaries in India, the Indian government has implemented a number of rules, regulations, and policies. As per Kearney Research, India's retail industry is projected to grow at 9% over 2019-2030, from US$ 779 billion in 2019 to US$ 1,407 billion by 2026 and more than US$ 1.8 trillion by 2030. India's direct sell ing industry is expected to be valued at US$ 7.77 billion by the end of 2025. Despite unprecedented challenges, the India consumption story is still robust.

<u>Fig-: Indian Retail Market Size(US$ billion)</u>

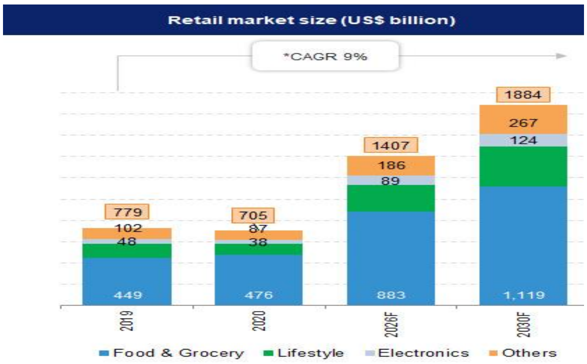

Source-: www.ibef.org

India has the third-highest number of e-retail shoppers (only behind China and the US). The new-age logistics players are expected to deliver 2.5 billion Direct-to-Consumer (D2C) shipments by 2030. Online used car transaction penetration is expected to grow by 9x in the next 10 years. According to recent industry reports, the e-commerce industry witnessed a phenomenal 36.8% YoY growth in terms of order volumes. As consumers prefer to shop online throughout the year, this fast-changing consumer preference towards online shopping reveals the mature status acquired by e-commerce brands in India. As of December 2022, there were 7.8 billion daily e-commerce transactions. Online shoppers in India are expected to reach ~500 million in 2030 from +150 million

in 2020.India's digital economy is expected to touch US$ 800 billion by 2030, and the E-Commerce market is expected to touch US$ 350 billion in GMV by 2030.

Recent Expansions in Retail Sector in India-:

- Retail sales in India grew 5% in February 2024, compared to February 2023.
- Reliance Industries is likely to sell another 8-10% stake in Reliance Retail Ventures Ltd (RRVL) to fund expansion, retire debt and prepare for the initial public offering of the conglomerate's retail business.
- Reliance Consumer Products, the FMCG arm of Reliance Retail announced the launch of it made-for-India consumer packaged goods brand 'Independence' in Gujarat.
- IKEA, the Swedish furniture maker has drawn up plans to invest Rs. 850 crore (US$ 102.41 million) in its Indian operation.
- Swedish retailer H&M is set to launch its home décor and accessories products such as dinnerware and bed linen in India next month. H&M HOME will be available on the company's website and through Myntra in March.
- Lulu Group, a UAE-based retail company, will invest Rs. 2,000 crore (US$ 240.96 million) to develop a shopping mall near Ahmedabad in Gujarat as part of its plans to expand business in India.
- India's retail trading sector attracted US$ 4.63 billion FDIs between April 2000-March 2024.
- The annual inflation rate based on all India Consumer Price Index (CPI) number is 4.83% (Provisional) for the month of April 2024 (over April, 2023).
- In November 2022, Aditya Birla Fashion and Retail Ltd. entered a strategic partnership with the Galleries Lafayette to open luxury department stores and a dedicated e-commerce platform in India.
- In August 2022, Louis Philippe, India's leading premium menswear brand from Aditya Birla Fashion and Retail Ltd., announced the launch of its outlet in Vadodara, Gujarat.
- In August 2022, Wipro Consumer announced the launch of traditional snacks and spices as it forays into packaged foods.
- In July 2022, Reliance Brands Limited (RBL) partnered with Maison Valentino to bring to India the most established Italian Maison de Couture.
- In June 2022, Reliance Brands Limited inks a JV with plastic legno spa to strengthen toy manufacturing ecosystem in India.
- In June 2022, Aditya Birla Group formally launches TMRW – a Digital First 'House of Brands' venture in the Fashion & Lifestyle space.
- In May 2022, Reliance brands limited (RBL) partnered with Tod's S.p.A, the iconic Italian luxury brand to become the official retailer of the brand across all categories including footwear, handbags, and accessories in the Indian market.
- According to the Minister of State for finance, Total digital payment transactions volume increases from 2,071 crore in FY 2017-18 to 13,462 crore in FY 2022-23 at a CAGR of 45%
- In January 2024, UPI transactions were valued at Rs. 18.4 lakh crore (US$ 221.6 billion).
- Retail tech companies supporting the retail sector with services such as digital ledgers, inventory management, payments solutions, and tools for logistics and fulfilment are taking off in India.
- With the rising need for consumer goods in different sectors including consumer electronics and home appliances, many companies have invested in the Indian retail space in the past few months.

Factors Responsible for the Growth of Retail In India-:

- **Beneficial Demographics:** India's large and young population, Rising Middle Class, Urbanization, Changing Lifestyle and Consumption Patterns and favourable government initiatives prove to be a growth engine for the retail industry.
- **Hike in purchasing power and Earning Capacity:** As of the most recent Purchasing Power Parity (PPP) calculations by the World Bank and the International Comparison Programme (ICP), India ranks 3rd in the world in terms of GDP by PPP. Along with improvements in general

purchasing power of the middle class, and a low cost of living, India has also almost completely eradicated extreme poverty at the global PPP poverty level of US$ 1.9.

- **Shift in Consumer Behaviour:** The transition from traditional retail to online platforms in India has spurred a shift in consumer mindset. This change is characterized by a prioritization of convenience, a wider product selection, increased price sensitivity, growing trust in online transactions, reliance on reviews and recommendations, evolving loyalty dynamics, a greater embrace of technology, and heightened expectations for fast delivery.
- **Brand consciousness:** Brand consciousness in India is a multifaceted phenomenon shaped by economic, cultural, and technological factors. As consumer expectations continue to evolve, brands must remain agile and responsive to changing trends, ensuring that they deliver value, innovation, and authenticity to maintain their competitive edge in the market.
- **Accessibility of Consumer Credit and Availability Of Quality Products:** Share of unsecured retail loans grew to 25.2% from 22.9% in March 2021-2023, while secured loans eased from 77.1% to 74.8%. Banks' unsecured loan portfolio amounted to close to Rs. 12 lakh crore (US$ 144.58 billion) as of July 2023.

TOP 10 GLOBAL RETAILERS

Ranking	Retailer	Home country	Business foundations	Total company revenues (billions)
1	Walmart	USA	Mass/Hyper	$628.6
2	Amazon.com	USA	Ecommerce	$355.1
3	Schwarz Group	Germany	Discount Grocery	$176.4
4	Aldi	Germany	Discount Grocery	$145.4
5	Costco	USA	Club	$234
6	Ahold Delhaize	Netherlands	Grocery	$97.1
7	Carrefour	France	Mass/Hyper	$89.7
8	Seven & I	Japan	Convenience	$84.9
9	The Home Depot	USA	DIY	$151.6
10	IKEA	Netherlands	Furniture	$45.6

Source: Kantar Retail

Ongoing Inclinations in Retail Sector-

1. Usage of AI in Retail: Retail is among the industries leading the way when it comes to using artificial intelligence to streamline and automate operations and boost efficiency. With the explosive growth of generative AI, this retail trend is poised to grow by leaps and bounds in 2024.Amazon says it’s using generative AI in a number of ways, including to improve product listings, provide customers with product review highlights, and help customers shop for apparel.

The global market for AI in retail is expected to skyrocket to $55.5 billion by 2030, up from $5.5 billion in 2022. Fortune Business Insights says AI-driven chatbots that boost customer experience will likely fuel the market’s growth. The stores of the future are closer than you might think: From chatbots to smart mirrors, AI in retail is transforming the future of shopping and commerce.

2.Rise of Recommerce: Consumers are becoming more mindful of the impact of their purchases on the planet, which is driving massive growth in buying and selling used or overstocked products. Recommerce grew 16 times faster than traditional retail in 2023. Thredup estimates used clothing will be worth $64bn in 2024.It’s not just the preserve of eBay sellers. This is a significant retail trend, with luxury brands also looking to get in on the action and control their own resale channels to ensure authenticity and quality.

Global heavyweights are getting involved: Visa launched recommerce behavioral insights lab, with the likes of fashion retailer COS, looking at how to bridge the gap between the 92% of people who want a more sustainable life and the 16% who actually change their behavior.

3.Stronger Sustainability targets: In 2024, retailers will have to work harder to prove their commitment to sustainability, but the result will be making it easier for the customer to understand. Digital product passports, due to become mandatory in the EU in 2026, also will track an individual product's journey through the supply chain.

The trend here is one of accountability and authenticity. Done right, it should correct the trend of increasingly hollow green washing and virtue signalling.If they want to attract and keep customers, especially younger Gen Z ones, retailers need to double-down on their sustainability efforts. According to the 2023 Customer Loyalty Index from SAP Emarsys, 32% of US shoppers switched brands due to their sustainability practices.

4. E-commerce: The Fastest-growing Segment in the Retail Industry-: E-commerce has emerged as a transformative force within the retail industry, revolutionizing how businesses engage with consumers and conduct transactions. Its role and importance are undeniable, offering retailers many benefits and opportunities. Firstly, e-commerce provides retailers with a global reach and enables access to a vast online marketplace of potential customers. This expanded reach not only increases sales opportunities but also allows retailers to diversify their customer base and reduce dependency on local markets. Additionally, e-commerce enhances convenience for both retailers and consumers. Retailers can operate their businesses 24/7 without the constraints of traditional store hours, while consumers can shop anytime and anywhere, from the comfort of their homes or on the go.

5. Hike in Consumer Demand For Same-Day Delivery: Speedy shipping continues to be a top priority for retail consumers. Same-day delivery is moving from a nice-to-have feature to a must-have feature for retailers. Nearly 70% of customers say the speed of delivery is an important factor when it comes to buying products online. Nearly 25% like to see next-day shipping availability and 17% want same-day delivery options. As per McKinsey reports,20% of Gen Z expects same-day delivery and nearly 60% of Gen Z is willing to pay for same-day delivery.

6. Retailers Attract Shoppers with Entertaining Experiences : Retailers are offering experiential retail, a shopping experience that's memorable enough to develop customer loyalty. More than half of consumers say they'll return to a brand that offers a positive shopping experience online or in-store.In addition, more than 60% of shoppers say they want brands to give them a multisensory shopping experience. Aldo, a shoe retailer, leaned into this trend in late 2023 when they hosted a unique pop-up store in New York's Astor Place. The pop-up shop celebrated the retailer's Pillow Walk technology and the structure was fittingly designed like a large pillow.

7. Making the checkout process more convenient : In today's marketplace, any type of friction at checkout can lead to customer frustration and lost sales. One way retailers are looking to appease customers is by offering a variety of payment options. This obviously means contactless payment options—more than half of Americans want to tap to pay or use their mobile wallet. But for consumers who either don't want to use a credit card or have reached their credit limit, buy now pay later (BNPL) options are also available.

8. Luxury Segment Faces Declining Sales : The luxury goods market proved to be resilient during the pandemic, but experts say this may be the year it slams back to reality. During the past three years, sales of luxury goods were up 20% on average. But in 2024, estimates show the market will grow just 4%-6%, barely enough to cover the rising costs of doing business.

9. Resale Becomes Fashion's Biggest Trend : Financial woes and sustainability concerns are leading retail consumers to shop resale marketplaces more frequently than ever before. The founder of Recurate, a platform that helps brands build their own resale marketplaces, says that the resale market is growing 11x faster than regular retail.Nearly 75% of consumers around the world say they shop resale. And, the number of brands offering branded resale platforms grew 3.4x from 2022 to 2023.That means the global market could be worth as much as $350 billion by 2027 according to ThredUp, a fashion resale marketplace. They predict $70 billion of that would come from the U.S.

Hurdles to Overcome in Retailing -

1. Evolving Customer Demands: Retail customers change their preferences faster than Clark Kent in a phone booth. Just ask your Walkman, shell suits and the mullet (which actually now seems to have come back around). In order for retail to thrive, it must quickly adapt to evolving consumer shopping habits.

Today, customers expect a seamless Omni channel experience. They want to be able to research products online, order them for in-store pickup, or have them delivered to their homes, all with a few clicks. This is why 53% of brands are investing in tools that allow them to sell anywhere. But customers' evolving demands don't stop there. Price sensitivity is on the rise, especially with inflation concerns. In fact, 46% of shoppers have switched brands recently, with price being the biggest driver for this change. The rising demand for personalisation, transparency, and sustainability (which we'll explore further) also create a complex challenge for retailers. It can sometimes feel impossible to keep up.Retailers need to study consumer habits and adapt and evolve as necessary.

2. Maintaining Brand Loyalty : Retention is king. A staggering 65% of a company's revenue comes from repeat business, making customer retention and brand loyalty a critical focus for long-term success. However, the rise of online shopping and the abundance of choices available to consumers make it easier than ever to switch brands. Couple this with inflation and economic concerns and you have a recipe for real change. Loyalty programmes that rely solely on discounts may no longer be enough to retain customers. After all, 90% of companies now have some form of loyalty programme in place. This makes it even harder for you to stand out. On the other hand, this also presents an opportunity for you to attract new customers to your business. Now's the perfect time to turn your staff into brand advocates. Retailers should kickstart this process by clearly communicating your brand values.

3. Improving Staff Efficiency : The success of every storefront hinges on a skilled team of retail professionals. These individuals are experts at building rapport and guiding customers towards satisfying purchases. However, as with any other profession, regular training is needed to keep them at the top of their game. This need is often exacerbated by staff shortages. Indeed, 74% of retailers expect shortages in customer-facing positions in the coming year. Unfortunately, traditional retail training methods are a bit like watching a Transformers movie — they're time-consuming, dull and disappointing. You also have to contend with the opportunity cost and hassle of having managers leave their stores to attend these bore-a-thons. Cater to the needs of your modern employees by deploying microlearning through a mobile learning solution. This makes information quicker and easier to digest. The mobile approach also helps to make learning more convenient and accessible.

For example, L'Oréal Travel Retail uses Growth Engineering Learning App to support Beauty Advisors across Asia Pacific.

4. Attracting & Retaining the Right Hires: Retail has always dealt with the challenge of high turnover rates. In fact, as things currently stand, there are two open positions for every unemployed worker. Estimates suggest that the retail industry would need to hire at least one million more workers to deal with these shortages. At the same time, these businesses are also finding it hard to attract hires with the right skill sets. A McKinsey report shows that whilst technological skills will increase dramatically, physical, manual and basic cognitive skills will decrease by 24% by 2030. This makes the recruiting process even tougher. Indeed, another McKinsey report shows that 83% of retailers are struggling with recruiting the right people. This means you'll need to get more from your team, or find a way to automate certain processes.45% of millennial say they would quit their job if they didn't have a clear career pathway. Thankfully, by making professional development a core focus, companies can incentivise managers to support their employees' growth within your organisation.

5. Preparing for our AI Future : Even as the future remains uncertain, there is something we can all agree on. The retail industry will continue to evolve. Retailers left and right are in innovation frenzy. They are now in a race to see who can create the best and most engaging shopping experiences.US stores such as Lowe's are developing immersive technologies to revolutionise the

customer experience. Examples include VR rooms that allow customers to virtually visualise their home improvement projects. However, the most transformative force shaping the future of retail is artificial intelligence (AI). In fact, according to Statista, 73% of retailers are already using some form of AI. After all, it helps to streamline operations, automate key processes, and ultimately reduce costs. Constant innovation is required to remain competitive in this fast-paced and dynamic industry. Artificial intelligence has the power to personalise your customers' experience, optimise inventory management, and streamline back-end operations. Start by implementing AI in a specific area, to help assess the technology's impact and prepare for a larger-scale rollout.

Conclusion- The retail landscape has weathered numerous storms over the years, with some challenges remaining stubbornly persistent. From economic uncertainty and staffing difficulties to ever-evolving customer needs, retailers must be adaptable and innovative in order to thrive. By embracing new technologies like AI, fostering a positive work environment, and prioritising customer engagement, retailers can build a future that's not only sustainable, but also delivers exceptional experiences for the consumers they serve. Staying competitive in the retail industry requires organizations to keep pace with evolving consumer preferences and technologies. It is crucial to stay updated on the latest trends and strategies to attain success. Retailers can enhance the customer experience and increase profits by gaining knowledge about the industry, handling customer interactions effectively, analyzing data, and adopting the latest technologies.

REFERENCES

1. G. Haritha, B. Amarnath and M.Sudheer Kumar(2017) "Evolution of Indian Modern Retail". International Journal of Management, 8 (5), 2017, pp. 67–80.
2. T. B. Gadhave & V. A. Pai (2012) "Prospects and Opportunities In Retail Sector", IJMT Volume 2, Issue 8
3. K. Bhaskar & N. Harshitha (2017) "Retail Marketing in India: Challenges, Strategies and Opportunities" National Conference on Marketing and Sustainable Development ISBN 978-1- 943295-10-4
4. Suja Nair, "Retail Management" – Himalaya Publishing House
5. ICFAI Center for Management Research "Retail Management"
6. Subidita Pattanaik (2016), "Evolution of Retail Industry in India", Kalahandi
7. https://www.expertmarketresearch.com/reports/retail-market https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/retail-industry
8. https://blog.boschindia.com "The Future of India's Retail Industry"
9. https://m.timesofindia.com "5 trends that are reshaping retail in 2018"
10. www.ibef.org "Retail October 2018", "Indian Retail Industry Analysis (January 2019)"
11. www.atkearney.com "A T Kearney Index Report (2017)"
12. www.indiaretailing.com "Indian Retail Industry: Growth and challenges"
13. https://blog.boschindia.com "The Future of India's Retail Industry"
14. https://m.timesofindia.com "5 trends that are reshaping retail in 2018"
15. www.shodhganga.inflibnet.ac.in "Challenges faced by Retail Sector in India"
16. http://en.m.wikipedia.org "Retailing in India"
17. https://blog. contactpigeon.com "Top Retailing Trends 2022-23"
18. www.kearney.com " Kearney Global Retail Index Report (2022)"
19. B. Meghana Gandhi, K. M. Chinnadorai (2017), "Retail in India", Coimbatore, Tamilnadu, India.
20. Sunita Sikri, Dipti Wadhava (2012), "Growth and Challenges of Retail Industry in India: An analysis", Haryana.

*****

Sumangalam Prabha
A Peer Reviewed (Refereed) & Open Access Journal
RNI N0.- UPHIN/2009/31180

ISSN: 2250-1894
Vol.-16, No.-I, Issus-61
Year: April-June 2025

Carpet Industries and Viksit Bharat Vision

Prof. (Dr.) Satvrat Singh Rawat[1], Mohammad Mahmood[2]
1- Principal, Hindu College Muradabad
2- Research Scholar -Department of Economics, N R E C College Khurja (U.P.) India

PP.N0- 22-26 Received: 12.04.2025 Accepted-: 19.04.2025 Email: infomstakeem@gmail.com

Abstract- ***This research paper examines the carpet industry's potential to contribute to India's economic growth and development, aligning with the Viksit Bharat vision. The study analyzes the industry's current state, identifying strengths, weaknesses, opportunities, and threats.***

The carpet industry is a significant contributor to India's economy, providing employment and export earnings. However, the industry faces challenges, including intense competition, fluctuating raw material prices, and changing consumer preferences. The research highlights the industry's potential to generate employment, promote rural development, and preserve cultural heritage. The study also explores the Viksit Bharat vision, emphasizing the need for sustainable and inclusive growth. The findings suggest that the carpet industry can contribute significantly to India's economic growth and development, aligning with the Viksit Bharat vision. The study recommends policymakers support the industry's growth and development through initiatives promoting entrepreneurship, skill development, and market access.

The research contributes to the existing literature on the carpet industry and its potential to contribute to India's economic growth and development. The study's findings have implications for policymakers, industry stakeholders, and researchers seeking to promote sustainable and inclusive growth in India.

Overall, this research paper provides valuable insights into the carpet industry's potential to contribute to India's economic growth and development, emphasizing the need for supportive policies and initiatives to promote sustainable and inclusive growth.

Key Word : Retail Industry, enterprises, establishments, e-commerce, automation, innovation

Introduction- The carpet industry is a significant contributor to India's economy, particularly in rural areas where it provides employment opportunities to thousands of artisans. India is the world's largest producer of handmade carpets, with a rich history dating back to the Mughal era. The industry is primarily concentrated in Uttar Pradesh, Kashmir, and Rajasthan.

The vision of Viksit Bharat, as outlined by the Government of India, aims to transform the country into a developed nation by 2047. The carpet industry has a vital role to play in achieving this vision. Here are a few ways the industry can contribute:

1.Employment generation: The carpet industry provides livelihood opportunities to thousands of artisans, weavers, and craftsmen. By promoting the industry, the government can create more jobs and reduce poverty.

2.Export earnings: Indian carpets are renowned globally for their exquisite designs, colors, and quality. By increasing exports, the industry can earn valuable foreign exchange and contribute to the country's economic growth.

3.Preservation of traditional crafts: The carpet industry is a repository of traditional Indian crafts, designs, and techniques. By promoting the industry, we can preserve our cultural heritage and pass it on to future generations.

4.Rural development: The carpet industry is primarily based in rural areas. By promoting the industry, we can create economic opportunities in rural areas and reduce migration to urban centers.

In conclusion, the carpet industry has the potential to play a significant role in realizing the vision of Viksit Bharat. By promoting the industry, we can create jobs, increase exports, preserve traditional crafts, and contribute to rural development.

literature review- The Indian carpet industry is a significant contributor to the country's economy, particularly in rural areas. According to a study by the Indian Institute of Carpet

Technology (IICT), the industry employs over 2 million people, mostly from rural and underprivileged backgrounds (IICT, 2020). The industry's growth is aligned with the Viksit Bharat vision, which aims to promote inclusive and sustainable development.

Research has shown that the carpet industry has the potential to drive economic growth and reduce poverty in rural India. A study by the National Council of Applied Economic Research (NCAER) found that the industry's growth can lead to increased income and employment opportunities for rural households (NCAER, 2019).

However, the industry faces several challenges, including competition from cheaper imports, lack of standardization, and inadequate marketing efforts. To address these challenges, researchers have suggested strategies such as improving product quality, enhancing design and innovation, and strengthening marketing and branding efforts (Kumar et al., 2020).

In the context of Viksit Bharat, the carpet industry's growth can be leveraged to promote sustainable and inclusive development. This can be achieved through initiatives such as skill development programs, entrepreneurship development, and promoting eco-friendly and sustainable practices in the industry.

Methodology-

Research Design: The research design will be a mixed-methods approach, combining both qualitative and quantitative methods.The study will use a combination of primary and secondary data sources.

Data Collection Methods-

Primary Data Collection:

1. **Surveys:** A survey will be conducted among carpet manufacturers, exporters, and artisans to gather information on their perceptions, challenges, and opportunities.
2. **Interviews:** In-depth interviews will be conducted with key stakeholders, including government officials, industry experts, and representatives of carpet manufacturers and exporters.

Secondary Data Collection:

1. **Literature Review:** A comprehensive review of existing literature on the carpet industry, Viksit Bharat vision, and related topics will be conducted.
2. **Government Reports:** Reports and data from government agencies, such as the Ministry of Textiles and the Reserve Bank of India, will be analyzed.
3. **Industry Reports:** Reports from industry associations, such as the Carpet Export Promotion Council, will be analyzed.

Data Analysis Methods-

Quantitative Data Analysis:

1. **Descriptive statistics:** Means, medians, and standard deviations will be calculated to summarize the data.
2. **Inferential statistics:** Regression analysis and other statistical tests will be used to identify relationships between variables.

Qualitative Data Analysis:

1. **Thematic analysis:** Themes and patterns will be identified from the interview and survey data.
2. **Content analysis:** The literature review and government reports will be analyzed to identify key themes and patterns.

Sample Size and Sampling Technique: The sample size will be determined based on the research objectives and the availability of data.The sampling technique will be a combination of random sampling and purposive sampling.

Data Validation and Reliability: Data validation will be ensured through triangulation of data sources and methods. Reliability will be ensured through the use of standardized research instruments and data collection methods.

Ethical Considerations:

- Informed consent will be obtained from all participants.
- Confidentiality and anonymity will be maintained.
- The research will be conducted in accordance with the principles of respect for persons, beneficence, non-maleficence, and justice.

Viksit Bharat Vision-The Viksit Bharat vision presents opportunities for the carpet industry to address these challenges. Some potential strategies include:

1. Promoting handmade carpets: The government can promote handmade carpets as a unique and valuable part of Indian culture.
2. Standardization and quality control: The government can establish standards for quality and consistency in the industry.
3. Market access: The government can provide support for carpet producers to access domestic and international markets.

Carpet Industry Overview- The Indian carpet industry is a vital part of the country's textile sector. It provides employment opportunities to thousands of artisans and workers, particularly in rural areas. The industry is known for its handmade carpets, which are highly valued for their quality and

The Viksit Bharat vision is a comprehensive initiative by the Indian government to promote sustainable growth and development across various sectors, including textiles. The vision focuses on leveraging technology, innovation, and entrepreneurship to drive growth and create employment opportunities.

Current Status of Carpet Industry in Relation to Viksit Bharat: While there isn't a specific research paper on the carpet industry and Viksit Bharat vision, some recent developments indicate the industry's alignment with the vision. For instance, the Ministry of Textiles has launched initiatives to promote technical textiles, which include carpets, under the National Technical Textiles Mission (NTTM) [1].

Additionally, events like the Bharat Tex 2024 exhibition, scheduled for February 14-17, 2025, aim to showcase the Indian textile sector's strengths, including the carpet industry, and provide a platform for industry stakeholders to connect and explore business opportunities [2].

Recommendations: For a more in-depth analysis of the carpet industry and Viksit Bharat vision, you may want to explore research papers on the following topics:

Sustainable Development in the Indian Carpet Industry: This topic could delve into the industry's environmental and social sustainability practices and their alignment with the Viksit Bharat vision.

Technological Innovations in the Carpet Industry: This topic could explore the adoption of new technologies and innovations in the carpet industry and their potential to drive growth and sustainability.

Market Trends and Opportunities in the Indian Carpet Industry: This topic could analyze the current market trends and opportunities in the Indian carpet industry and their relevance to the Viksit Bharat vision.

The carpet industry is a significant contributor to India's economy, particularly in rural areas where it provides employment opportunities to thousands of artisans. The Viksit Bharat vision, which aims to make India a developed nation by 2047, presents both opportunities and challenges for the carpet industry

1. Increased demand: A growing economy and rising disposable incomes are likely to increase demand for carpets and other floor coverings.
2. Export potential: India's carpet industry has a significant export potential, which can be leveraged to increase foreign exchange earnings.
3. Skill development: The Viksit Bharat vision emphasizes skill development, which can help the carpet industry to upgrade its skills and become more competitive.

Key Takeaways-

1. Employment Generation: The carpet industry provides livelihoods to millions of artisans and weavers, particularly in rural areas.
2. Cultural Preservation: Indian carpets are renowned for their unique designs, patterns, and craftsmanship, showcasing the country's rich cultural heritage.
3. Export Earnings: The carpet industry is a significant foreign exchange earner for India, with exports to countries like the US, UK, and Germany.

Recommendations for Viksit Bharat Vision

1. Infrastructure Development: Upgrade infrastructure, including roads, storage facilities, and testing laboratories, to enhance the industry's competitiveness.
2. Skill Development: Implement training programs to improve artisans' skills, enabling them to create high-quality products that meet international standards.
3. Marketing and Branding: Develop a strong brand identity for Indian carpets, highlighting their unique features and cultural significance, to increase global demand.
4. Sustainable Practices: Encourage eco-friendly practices, such as using natural dyes and sustainable materials, to reduce the industry's environmental footprint.

The carpet industry is one of the oldest and most traditional industries in India, with a rich history dating back to the Mughal era. The industry provides employment opportunities to millions of people, particularly in rural areas, and contributes significantly to the country's economy. The vision of Viksit Bharat (Developed India) aims to promote economic growth, social justice, and sustainable development. This paper explores the role of the carpet industry in realizing this vision.

India is the world's largest producer of handmade carpets, with a significant share of the global market. The industry provides employment to millions of people, particularly in rural areas.

The Indian carpet industry is a significant player in the global market, with a share of around 10%. The industry is primarily concentrated in the states of Uttar Pradesh, Kashmir, and Rajasthan. The industry provides employment opportunities to around 2 million people, mostly artisans and workers.

Challenges Facing the Carpet Industry-Despite its significant contribution to the economy, the carpet industry faces several challenges, including:

1. Competition from cheap imports: The industry faces stiff competition from cheap imports from countries like China, Pakistan, and Iran.
2. Lack of modernization: The industry is largely traditional and lacks modernization, making it difficult to compete with other industries.
3. Limited access to markets: The industry faces challenges in accessing domestic and international markets due to lack of infrastructure and marketing support.
4. Environmental concerns: The industry faces environmental concerns due to the use of chemicals and dyes in the manufacturing process.

Opportunities for the Carpet Industry- Despite the challenges, the carpet industry has several opportunities for growth and development, including:

1. Increasing demand for handmade products: There is a growing demand for handmade products globally, which provides an opportunity for the Indian carpet industry to promote its products.
2. Government initiatives: The government has initiated several schemes to support the growth of the industry, including the Handloom and Handicrafts Development Programme.
3. E-commerce platforms: E-commerce platforms provide an opportunity for the industry to access domestic and international markets.

Strategies for Realizing Viksit Bharat Vision- To realize the vision of Viksit Bharat, the carpet industry needs to adopt several strategies, including:

1. Modernization and technology upgradation: The industry needs to adopt modern technology and manufacturing processes to improve efficiency and productivity.
2. Marketing and branding: The industry needs to invest in marketing and branding to promote its products and access domestic and international markets.
3. Skill development and training: The industry needs to invest in skill development and training programs to improve the skills of artisans and workers.
4. Sustainable practices: The industry needs to adopt sustainable practices to reduce its environmental impact and promote social responsibility.

Conclusion-The carpet industry has the potential to drive economic growth, promote sustainable development, and improve the livelihoods of artisans and workers. To realize the vision of Viksit Bharat, the industry needs to adopt modern technology, invest in marketing and branding, develop skills, and promote sustainable practices.

In conclusion, the carpet industry has the potential to play a vital role in achieving the Viksit Bharat vision. By addressing the industry's challenges and leveraging its strengths, India can unlock the sector's full potential, creating a more prosperous and developed nation.The carpet industry has the potential to contribute significantly to India's economic growth and development. However, it faces several challenges that need to be addressed to realize its full potential. The government and industry stakeholders need to work together to address these challenges and leverage the opportunities presented by the Viksit Bharat vision.The carpet industry is a significant contributor to India's economy, providing employment opportunities and promoting cultural heritage. In line with the Viksit Bharat vision, which aims to create a developed and prosperous India, the carpet industry has immense potential to drive growth and development.The Indian carpet industry has the potential to contribute significantly to the Viksit Bharat vision . By addressing the challenges faced by the industry and promoting handmade carpets, the government can help to ensure the long-term sustainability of the industry.

The carpet industry in India is a significant sector that aligns with the Viksit Bharat vision, which aims to promote sustainable growth and development. To provide insight into the current status of the carpet industry in relation to Viksit Bharat.

REFERENCES

1. Ministry of Textiles. (2020). Annual Report 2020-21.
2. Indian Carpet Export Promotion Council. (2020). Indian Carpet Industry: A Report.
3. National Council for Applied Economic Research. (2019). Study on the Indian Carpet Industry.
4. International Trade Centre. (2019). Indian Carpet Industry: Market Analysis.
5. World Bank. (2018). India's Carpet Industry: A Review.
6. Indian Institute of Carpet Technology. (2017). Carpet Industry in India: A Review.
7. Carpet Export Promotion Council. (2016). Indian Carpet Industry: An Overview.
8. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. (2015). Annual Report 2015-16.
9. National Skill Development Corporation. (2014). Skill Development in the Carpet Industry.
10. Indian Carpet and Floor Covering Magazine. (2020). The Indian Carpet Industry: Challenges and Opportunities.
11. Business Standard. (2020). Carpet Industry Seeks Government Support.
12. The Economic Times. (2019). Indian Carpet Industry Looks to Revive its Fortunes.
13. The Hindu Business Line. (2018). Carpet Industry in India: A Struggling Sector.

*****

Sumangalam Prabha
A Peer Reviewed (Refereed) & Open Access Journal
RNI N0.- UPHIN/2009/31180

ISSN: 2250-1894
Vol.-16, No.-I, Issus-61
Year: April-June 2025

भारत और बांग्लादेश के मध्य संबंध : एक समीक्षा

(भारत और पड़ोसी देश के संदर्भ में)

डॉ0 सुनीता महतो
विभागाध्यक्ष एवं सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग बी.बी.एम. कॉलेज बलियापुर
विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद, (झारखंड)

PP.N0- 27-33 Received: 16.04.2025 Accepted: 26.04.2025 Email: jitendrabhartipscvbu@gmail.com

सारांशः ***भारत के पड़ोसी देश भौगोलिक क्षेत्र की अभिव्यक्ति, लोकाचार, हमारी संस्कृति और परंपराओं के प्रतिबिंब हैं। ऐसे में भारत के पड़ोसी देश इसकी विदेश नीति के केंद्र में रहे हैं। भारत के विकास संबंधी विविध लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत का पड़ोसी देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंध होना आवश्यक है। दरअसल भारत के पड़ोसी देश इसके समक्ष विभिन्न समस्याएँ प्रस्तुत करते रहे हैं जिसमें आतंकवाद, रोहिंग्या शरणार्थी, राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और धार्मिक कट्टरता जैसी समस्याएँ महत्वपूर्ण है। भौगोलिक रूप से जुड़े होने के कारण पड़ोसी देशों के साथ भारत का क्षेत्रीय सहयोग महत्वपूर्ण माना जाता है लेकिन इसमें उपरोक्त समस्याएँ अवरोध पैदा करती रही हैं। फिर भी भारत की विदेश नीति में पड़ोस नीति को पहली प्राथमिकता देना आवश्यक है। इस संदर्भ में भारत सदैव शांति, स्थिरता और समृद्धि का लक्ष्य पाने की महत्वाकांक्षा रखता है।***

कुजीभूत शब्द : विदेश नीति, पड़ोसी देश, शांति, स्थिरता, रोहिंग्या शरणार्थी, भौगोलिक सन्निकटता, आतंकवाद

प्राचीन भारतीय राजव्यवस्था में "मंडल सिद्धांत" को तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में कौटिल्य (चाणक्य) ने प्रतिपादित किया था। यह सिद्धांत इस अवधारणा पर आधारित है कि "हमारा पड़ोसी हमारा ही स्वाभाविक शत्रु होता है और पड़ोसी का पड़ोसी हमारा मित्र होता है।" "मंडल सिद्धांत" शक्ति संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। इसे संकेंद्रित वृत्तों के माध्यम से दर्शाया गया है। इसमें निकटतम पड़ोसी देश के शत्रु (वास्तविक या संभावित) होने की सबसे अधिक संभावना होती है। निकटतम पड़ोसी के पड़ोसी वाले देश के सबसे पहले वाले देश के मित्र होने की संभावना होती है। इस तरह यह क्रम चलता रहता है। संकेंद्रित वृत्तों के केंद्र वाले देश की परख इस बात से होती है कि वह अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए क्षेत्र के अन्य देशों के बीच कितना शक्ति संतुलन बनाए रखता है। 'मंडल सिद्धांत' की प्रणाली में, कौटिल्य ने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए छह सूत्रीय विदेश नीति की अनुशंसा की हैः संधि विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधी भाव। इसे अमल में लाने के लिए उन्होंने राजा को अग्रलिखित चार युक्तियां अपनाने की सलाह दी हैः साम, दाम, दंड और भेद। संधियों और गठबंधन के सवाल पर उनका सुझाव है कि, "एक राजा को ऐसी किसी भी मिलता या गठबंधन को तोड़ने में संकोच नहीं करना चाहिए जो आगे उसके लिए नुकसानदेह सिद्ध हो।"[1]

भारत के पड़ोसी देशों की पहचान के लिए कोई एकल, सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत आधिकारिक परिभाषा नहीं है। इस अवधारणा की व्याख्या प्रायः भू–राजनीतिक रूप में की जाती है। यह ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी महत्त्व के आधार पर अलग–अलग हो सकती है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत अपने निकटतम पड़ोसी देशों के साथ भौगोलिक रूप से अपनी स्थलीय एवं समुद्री सीमाएँ साझा करता है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका पड़ोसी देशों के साथ भारत के सभ्यता आधारित संबंध हैं। इन संबंधों में साझा इतिहास, संस्कृति और लोगों के बीच परस्पर संबंध शामिल हैं। ये निकटतम पड़ोसी देश स्वतंत्रता के बाद से ही भारत की "प्राथमिकता की प्रथम परिधि" (थ्पतेज बपतबसम व िचतपवतपजल) में शामिल रहे हैं।[2] नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी भारतीय विदेश नीति का अभिन्न अंग रही है। इसका उद्देश्य अपने निकटस्थ पड़ोसी देशों के साथ मजबूत संबंधों को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना और साझा चिंताओं को दूर करना है।3 यह नीति भारत के परामर्शदात्री, गैर–बराबरी और विकासोन्मुख दृष्टिकोण से प्रेरित है। अर्थात पड़ोसी देशों के साथ निःस्वार्थ रूप से सहयोग की नीति अपनाना है।

दक्षिण एशिया में राज्यों की वर्तमान स्थिति भौगोलिक रूप से एक–दूसरे से सटे ये सभी देश जिस एक भौगोलिक इकाई का हिस्सा हैं यहाँ तक कि समुद्री विस्तार के कारण इस समूह से विलग देश मालदीव और श्रीलंका भी दूसरे कारणों से भारतीय उपमहाद्वीप से संबद्ध हैं– जैसे समान सभ्यता और विरासत, जातीयता, धार्मिक और भाषाई सामीप्य। इसके अलावा भौगोलिक निकटता तथा क्षेत्रीय ध्रुव, भारत से सान्निध्य के कारण परस्पर करीबी और टिकाऊ संवाद भी इसमें अहम भूमिका अदा करता है।[3] इस उपमहाद्वीप में भारत की केंद्रीय स्थिति और वर्चस्व की वजह से पड़ोसियों के साथ उसके संबंधों में हमेशा विषमता रही है। भारत अपने पड़ोसियों की तुलना में भौगोलिक दृष्टि से विशाल और अधिक आबादी वाला देश है। सैन्य और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ देशों से कहीं ज्यादा हैं। इसे पड़ोसियों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को तय करने में भारत को मानक के तौर पर लिया जाता है।

क्षेत्रीय संघर्ष और तनाव भी इस क्षेत्र के देशों के द्विपक्षीय संबंधों के बीच बहुत मायने रखते हैं। इनके बीच रणनीतिक दृष्टिकोण में अंतर भी तनाव को बढ़ावा देता है। ब्रिटिश राज की उपमहाद्वीपीय सामरिक दृष्टि भारत को विरासत में मिली है जो इस क्षेत्रों के देशों के बीच भौगोलिक सान्निध्य पर आधारित है। लेकिन इसके विपरीत पड़ोसी देश भारत के प्रति भय से ग्रसित रहते हैं और जिसके खिलाफ सामरिक सुरक्षा अनिवार्य मानते हैं। इन पड़ोसी देशों को कुछ. समस्याएँ तो सीधे ब्रिटिश राज से वसीयत में मिली हैं और कुछ समस्याएँ इनकी अपनी नीतियों के कारण भी हैं।[4] पड़ोसी राज्यों में भारतीयों की संवैधानिक अवस्थिति और इससे जुड़ी आव्रजन की समस्याएँ इन राज्यों द्वारा स्वतः प्रसूत है। पाकिस्तान में चुने गए प्रधानमंत्रियों की बर्खास्तगी, सरकारों का बदलना, सैन्य तख्तापलट, श्रीलंका में जातीय हिंसा समस्याओं से गृह युद्ध की स्थिति, नेपाल में. शाही परिवार का अंत, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की हिंसक आंदोलनों में राजनीतिक हत्याएँ, बांग्लादेश में अत्यधिक हिंसा तथा बदहाली और भूटान में नेपालियों के असंतोष और उत्तर–पूर्व में भारतीय सीमा पर अलगाववादी आंदोलनों के मद्देनजर नई चुनौतियाँ सिर उठा रही हैं।6 विगत कई वर्षों के दौरान भारत को उसके पड़ोसियों के साथ एक स्थायी और व्यावहारिक संबंध कायम रखने में कई जटिल चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। अतः प्रत्येक पड़ोसी देश के साथ भारत के कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका हल अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है।

भारत की नेबरहुड पॉलिसी का विकास– पड़ोसी देशों के साथ भारत सदैव बड़े स्तर पर विनम्रता से पेश आने का प्रयास किया है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के प्रति प्राथमिकताओं और धारणाओं के आधार पर, पड़ोसी देशों के साथ संबंध में रणनीतियाँ एवं प्राथमिकताएँ समय के साथ विकसित हुई हैं। उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, और नस्लवाद का विरोध जैसी समान विचारधाराओं ने पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत किया था। भारत की नीति आदर्शवाद की विचारधारा से प्रेरित रही है। इसके तहत भारत के सुरक्षा हितों को आगे बढ़ाने के लिए केवल निकटतम पड़ोसियों पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है।[5] भारत ने "क्षेत्रीय संरचना" की बजाय द्विपक्षीय वार्ताओं और संधियों के जरिये अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने का प्रयास किया है। भारत की. विदेश नीति दक्षिण एशियाई पड़ोस में अपनी स्थिति स्थापित करने तथा क्षेत्र में विदेशी हस्तक्षेप को स्वीकार न करने पर केंद्रित थी। सिक्किम को भारतीय राज्यक्षेत्र में शामिल करके वर्ष 1975 में भारत में इसका विलय भी कर दिया गया। मुक्ति संग्राम के बाद वर्ष 1971 में पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर एक देश बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 2 जुलाई, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था। भारत और श्रीलंका के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर के पश्चात 1987 में श्रीलंका में 'भारतीय शांति रक्षक सेना' ने प्रवेश किया था। पड़ोसी देशों के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए 1985 में 'दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन' (सार्क) की स्थापना की गई थी । दक्षिण एशिया में सुरक्षा संबंधी दुविधा की प्रकृति को संघर्ष के रूप में देखने के दृष्टिकोण का त्याग किया गया और एक ऐसी सामाजिक संरचना बनाने का प्रयास किया गया, जिसमें बिना युद्ध लड़े देशों के मध्य विवादों को हल करने और विश्वास सृजन पर बल देने के लिए गुजराल सिद्धांत पेश किया गया। इसके तहत भारत ने एकतरफा रियायत प्रदान करने की नीति के द्वारा क्षेत्र को अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया।[6] 1990 के दशक के आर्थिक सुधारों के उपरांत, भारत ने इस क्षेत्र के आर्थिक एकीकरण के लिए पहलें भी शुरू की।

नेवरहुड पॉलिसी और गुजराल सिद्धांत – भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री इंद्रकुमार गुजराल पांच सूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किए गये थे [7]:

1. भारत पड़ोसी देशों को सहायता देने के बदले उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखेगा, बल्कि सद्भावना और विश्वास के आधार पर वह सब कुछ करेगा, जो वह कर सकता है।
2. कोई भी दक्षिण एशियाई देश अपने संप्रभु राज्यक्षेत्र से इस क्षेत्र के किसी अन्य देश के हितों के खिलाफ गतिविधियां संचालित नहीं होने देगा।
3. सभी दक्षिण एशियाई देश एक–दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे।
4. सभी दक्षिण एशियाई देश एक–दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
5. सभी विवादों को शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सुलझाया जाएगा।

वर्ष 2008 के बाद भारत के पड़ोसी देशों में चीन का विस्तार एवं प्रभाव बढ़ने लगा। भारत ने भी 'गुजराल सिद्धांत' को अधिक सख्ती से पालन करना शुरू कर दिया। 'नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी' (NFP) की परिकल्पना 2008 में की गई थी। इसके तहत संपर्क के सिद्धांतों को 5Ss के रूप में रेखांकित किया गया है[8]– सम्मान, संवाद, शांति समृद्धि और संस्कृति। वर्ष 2014 के बाद 'आर्थिक सहयोग', 'विकास सहायता' तथा 'साझा चुनौतियों के समाधान' के माध्यम से संबंधों को मजबूत करने के लिए छ्थ्च को नया रूप दिया गया। इस नीति को पाकिस्तान के सिवाय अन्य सभी पड़ोसी देशों से समर्थन मिला है। भारत 'का मानना है कि पाकिस्तान के साथ सहयोग पाकिस्तान द्वारा आतंक, शत्रुता और हिंसा को बढ़ावा देने की बजाय शांतिपूर्ण माहौल बनाने पर निर्भर करता है। सार्क और बिम्सटेक जैसे संगठनों के माध्यम से भारत क्षेत्रीय एवं उप–क्षेत्रीय पहलों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है।

भू–राजनीतिक परिदृश्य में भारत की नेबरहुड पॉलिसी का महत्व– भौगोलिक दृष्टि से, पड़ोसी देश किसी भी देश की कूटनीति का पहला चरण और विकास की कुंजी होते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की संवृद्धि, सामाजिक विकास और भू–राजनीतिक मजबूती के लिए पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भू–सामरिक हित के संदर्भ में हिंद महासागर क्षेत्र (प्व्), वैश्विक सामरिक प्रतिस्पर्धा का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। इस क्षेत्र में पड़ोसियों के साथ सहयोग से दक्षिण एशिया में भारत की केंद्रीय स्थिति को मजबूती मिलेगी। पड़ोसियों के साथ सहयोग से भारत को चीन के प्रभाव कम करने और प्व् में 'नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर' बनने की आकांक्षा को पूरा करने में मदद मिलेगी। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का आशय ऐसे देश से है, जो अपनी सुरक्षा करने के साथ–साथ अन्य राष्ट्रों की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का भी ध्यान रखता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे अलग–अलग बहुपक्षीय मंचों पर ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत को अपने पड़ोसी भागीदारों के साथ सहयोग करना जरूरी है। बहुपक्षीय मंचों पर उनके साथ सहयोग ने भारत के लिए द्विपक्षीय संबंधों में एक क्षेत्रीय एंव उप–क्षेत्रीय आयाम प्रदान किया है। भारत को ऐसे पड़ोसियों की ज़रूरत है, जो उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करें।[9] साथ ही, किसी भी विद्रोही समूह को भारत के खिलाफ अपनी भूमि का उपयोग करने की अनुमति न दें। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद को खत्म करने की लड़ाई में म्यांमार को एक प्रमुख भागीदार के रूप में देखा जाता है। अतः क्षेत्रीय अखंडता पर भी ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक है।

भारत में समुद्र के माध्यम से 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले जैसे खतरे और चुनौतियां उत्पन्न होने की हमेशा आशंका बनी रहती है। मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे सामुद्रिक पड़ोसी देशों के साथ सहयोग से भारत को अपने प्रादेशिक जल क्षेत्र की प्रभावी निगरानी करने में मदद मिलेगी। भारत के उत्तरी पड़ोसी देशों (नेपाल और भूटान) में जल–विद्युत की अपार क्षमताएं मौजूद हैं। साथ ही, तेल और गैस के आयात में किसी भी बाधा से निपटने के लिए हिंद महासागर तटीय पड़ोसियों का सहयोग प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के विकास में सहायक सिद्ध होंगे। बांग्लादेश ने अपने चट्टोग्राम और मोंगला बंदरगाहों से होकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कार्गो के पारगमन एवं ट्रांस–शिपमेंट की सुविधा प्रदान करने, को मंजूरी दी है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को म्यांमार के माध्यम से व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए दक्षिण–पूर्व एशिया के साथ भी जोड़ा जा सकता है। ध्यातव्य है कि म्यांमार आसियान का एकमात्र सदस्य देश है, जो भारत के साथ स्थलीय सीमा करता है। भारत का अपने पड़ोसियों के साथ मजबूत सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध है।[10] इससे भारत को क्षेत्र में विविध सांस्कृतिक मूल्यों और अपने सॉफ्ट पावर के प्रभाव को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। भारत और दक्षिण–पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म का प्रसार लोगों के बीच परस्पर संबंधों और राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता है।

भारत की पड़ोस नीति के समक्ष चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पडोस नीति के कार्यान्वयन के स्तर पर भारत को विविध प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें ऐतिहासिक विवादों से लेकर सुरक्षा संबंधी जटिल परिदृश्य तक को शामिल किया जा सकता है। एक स्पष्ट पड़ोस नीति नहीं होने की वजह से, भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ अपने "संबंधों को दिशा देने" की बजाय "संबंधों के प्रबंधन" पर अधिक ध्यान दिया है।[11] इस क्षेत्र के कुछ देशों के मध्य तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों ने क्षेत्रीय स्तर पर नीतियों के कार्यान्वयन में गंभीर चुनौतियां पैदा की है। पिछले सार्क शिखर सम्मेलन में सीमा पार ऊर्जा सहयोग, मोटर वाहनों के आवागमन और रेलवे कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित तीन समझौतों का प्रस्ताव किया गया था। इनमें से केवल ऊर्जा सहयोग पर ही हस्ताक्षर किए गए थे। पाकिस्तान ने अन्य दो समझौतों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। कहीं–कहीं अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था वाली सीमाएँ, पाकिस्तान जैसे देशों द्वारा आतंकवादियों को शरण देना, बढ़ता कट्टरपंथ और उग्रवाद आदि भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। गोल्डन ट्रायंगल तथा गोल्डन क्रिसेंट जैसे तस्करी वाले क्षेत्रों के निकट स्थित होने के कारण भारत में नशीली दवाओं की तस्करी की समस्या और बढ़ गई है। सोमालिया के तट पर पायरेसी या समुद्री डकैती की घटनाएं तथा आतंकवादियों द्वारा जलमार्गों का उपयोग करना, जैसे– मुंबई आतंकवादी हमला। दक्षिण एशिया में चीन की पेठ : वन वेल्ट वन रोड (व्ठव्) पहल को बढ़ावा देने के कारण सार्क देशों के साथ चीन के व्यापार की मात्रा में पिछले दशक में काफी अधिक और तेज गति से वृद्धि हुई है। समय–समय पर श्रीलंका, मालदीव और नेपाल सहित भारत के विविध पड़ोसियों ने 'भारत के खिलाफ चीनी पक्ष का इस्तेमाल किया है।[12]

भारत के पड़ोसी देशों को महसूस होता रहा है कि 'भारत उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं करता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव में भारत की सैन्य कार्यवाहियों को आज भी भारत की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा के प्रमाण के रूप में देखा जाता है।[13] खराब अवसंरचना मुक्त व्यापार और निवेश समझौतों के लाभ को सीमित कर देती है। कई सीमावर्ती जिले अपेक्षाकृत कम विकसित हैं। 1960 के दशक की शुरुआत में भारत और

पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) के बीच रेल संपर्क आज की तुलना में बेहतर था। भारत–नेपाल सीमा कागजी स्तर पर ही खुली सीमा है। अवसंरचना के अभाव के कारण इस मार्ग पर आवागमन बेहद कठिन है। घरेलू–राजनीतिक मजबूरियाँ और नृजातीय विचारधाराएँ कई बार भारत की पड़ोस नीति को प्रभावित करती हैं। इससे द्विपक्षीय संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पश्चिम बंगाल के विरोध करने के कारण बांग्लादेश के साथ तीस्ता जल समझौते में देरी हो रही है। श्रीलंका में सिंहली बौद्ध बहुसंख्यकवाद के खिलाफ श्रीलंकाई तमिलों के संघर्ष को भारत का समर्थन नृजातीय विचारधारा के कारण था।[14] नेपाल के तराई क्षेत्र में मधेशियों के हितों का समर्थन किया गया है, क्योंकि उनका भारत में घनिष्ठ पारिवारिक संबंध है। विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी? पड़ोसी देशों में भारत की लाइन ऑफ क्रेडिट आधारित परियोजनाओं का मूल्य 2014 के 3.3 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2020 में 14.7 बिलियन डॉलर हो गया था। भारत की वैश्विक सॉफ्ट लेडिंग (कम शर्तों वाला ऋण) का 50 प्रतिशत हिस्सा उसके पड़ोसियों को प्राप्त होता है। हालांकि, ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में काफी देरी होती है। इससे पड़ोसियों में निराशा और अविश्वास पैदा हो सकता है और क्षेत्र में भारत का प्रभाव कम हो सकता है। जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएः यह क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों का सामना कर रहा है। ये पर्यावरणीय समस्याएं विकास संबंधी पहलों को बाधित कर सकती हैं। साथ ही, जलवायु प्रवासन और इससे जुड़ी समस्याओं को भी जन्म दे सकती हैं।

कोविड–19 महामारी ने पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र में बड़ी चुनौतियाँ खड़ी कर दी थी। इसे बढ़ती मुद्रास्फीति कम होती खाद्य सुरक्षा और बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता के रूप में देखा जा सकता था। इस संकट के दौरान भारत ने स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, प्रशिक्षण जैसी सार्वजनिक सेवाओं के लिए एक प्रमुख सेवा प्रदाता की भूमिका निभाई थी। इस दौरान भारत ने पड़ोसी देशों को वैज्ञानिक और तकनीकी सहायताएं भी प्रदान की थी। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल के तहत अपने निकटतम पड़ोसी देशों को कोविड–19 के टीके उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी। इस प्रयास ने चीन के प्रभाव का सामना करने के लिए एक शक्तिशाली सॉफ्ट पावर टूल के रूप में काम किया। भारत ने इस महामारी से निपटने के लिए एक क्षेत्रीय कार्य योजना तैयार करने हेतु सार्क फोरम को फिर से सक्रिय किया था। इसके अलावा, भारत ने अपने पड़ोसी देशों तक पहुंच बनाने के लिए द्विपक्षीय कूटनीति को अपनाया। भारत ने कुछ देशों में सैन्य राहत पहुंचाई, टेस्टिंग के लिए प्रयोगशालाएं स्थापित की तथा महत्वपूर्ण दवाओं व अस्पताल से संबंधित उत्पादों की आपूर्ति की। इससे मालदीव जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए।[15] भारत ने विस्तारित पड़ोसियों सहित अपने निकटतम पड़ोसियों की मदद करने हेतु कई पहलें शुरू की, जिससे भारत की वैश्विक छवि बढ़ी और मिलता की भावना उत्पन्न हुई।

भारत पड़ोस नीति को अधिक मजबूत व प्रभावशाली बनाने के उपाय – भारत की पड़ोस नीति को स्थायित्व प्रदान करने एवं उसके प्रभाव को मजबूत करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। यह इस क्षेत्र के भीतर विविध चुनौतियों का समाधान करने और अवसरों का लाभ उठाने के लिए अति आवश्यक है। पड़ोसी देशों के साथ निरंतर राजनयिक संपर्क को बढ़ावा देने के लिए भारत को सार्क, बिम्सटेक, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन जैसे क्षेत्रीय मंचों (फोरम्स) का सक्रिय रूप से उपयोग करना चाहिए। ये मंच निरंतर सहभागिता, विवाद समाधान एवं क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक सशक्त माध्यम के रूप में कार्य कर सकते हैं।[16] चीन के साथ चल रही वार्ताओं में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्पष्टता को सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके साथ ही, दोनों देशों के बीच सीमा सुरक्षा सहयोग समझौते में शामिल स्वीकार्य मानदंडों का उल्लंघन करने वाली किसी भी घुसपैठ का भारत को दृढ़ता से विरोध करने के लिए तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से निपटने के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए। इस दिशा में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सक्रिय सहयोग करने पर ध्यान देना चाहिए। आंतरिक सुरक्षा संरचना को मजबूत बनाने, पड़ोसी देशों के साथ सक्रिय सहभागिता को बढ़ाने, और भारत को सबसे पहले आतंकवाद से उत्पन्न चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अपनी आंतरिक सुरक्षा संरचना को मजबूत करना होगा। भारत का दृष्टिकोण हमेशा से विश्व की प्रमुख शक्तियों को अपने पड़ोस से दूर रखने पर केंद्रित रहा है।[17] हालांकि, चीन और पाकिस्तान से उत्पन्न चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने के लिए भारत को अपनी विदेश नीति को प्रासंगिक बनाए रखना आवश्यक है। इसके तहत संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के साथ बेहतर रणनीतिक साझेदारी बनाना, संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स एवं ळ–20 जैसे बहुपक्षीय संगठनों तथा फोरम्स में सक्रिय भागीदारी करना भी शामिल है। भारत की कूटनीतिक पहलें उसके छोटे पड़ोसी देशों की अपेक्षाओं के अनुकूल और आशंकाओं के विपरीत होनी चाहिए।[18] इसके तहत प्रत्येक देश और व्यापक क्षेत्र के लिए विशिष्ट रणनीतियाँ तैयार की जा सकती हैं। इसके लिए घरेलू स्तर पर अलग–अलग एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय तथा विदेश मंत्रालय एवं रक्षा मंत्रालय के बीच घनिष्ठ सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सड़क मार्गों, रेलवे, अंतर्देशीय जलमार्गों, बंदरगाहों, ऊर्जा नेटवर्क और डिजिटल सीमा शुल्क सहित अवसंरचना के विकास में पर्याप्त निवेश करने की

ISSN: 2250-1894
Vol.-16, No.-I, Issus-61
Year: April-June 2025

आवश्यकता है। सुरक्षा के समक्ष खतरा मानने की बजाए लाभप्रद मानने की जरूरत है। संसदीय समिति ने इस उद्देश्य के लिए बिम्सटेक के तहत एक क्षेत्रीय विकास निधि स्थापित करने का सुझाव दिया है। चिकित्सा पर्यटन के अलावा पर्यटन के अन्य उप–क्षेत्रकों में निवेश को प्रोत्साहन देना चाहिए। इससे पड़ोसी देशों के लोगों के साथ संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, इससे भारत की सॉफ्ट पॉवर संबंधी छवि को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी और क्षेत्र के आर्थिक एकीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। बड़ी संख्या में बांग्लादेशी नागरिक भारत में चिकित्सा उपचार करवाने आते हैं। भारत में धार्मिक पर्यटन के लिए नेपाल से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। ये पड़ोसी देशों के साथ पर्यटन संबंधों को बढ़ाने की क्षमता के उदाहरण है। जल बंटवारा एवं पर्यावरण सहयोगः जल के बंटवारे, संधारणीय संसाधन प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण पर प्रयासों में सहयोग से साझा चुनौतियों का समाधान करने तथा पड़ोसी देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। इसे डेटा के आदान–प्रदान और वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से साकार किया जा सकता है।

भारत और बांग्लादेश के बीच संबंधों के आधार : भारत की मुख्य भूमि तथा पूर्वोत्तर के सात राज्यों के मध्य बांग्लादेश की अवस्थिति रणनीतिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी राज्य स्थलरुद्ध हैं तथा इनके लिए समुद्र तक पहुँच का सबसे छोटा मार्ग बांग्लादेश से होकर गुजरता है। बांग्लादेश के साथ पारगमन समझौते से पूर्वोत्तर भारत के सामाजिक–आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा तथा उग्रवाद को नियंत्रित करने में भी सहायता मिलेगी। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का बांग्लादेश एक स्वाभाविक स्तंभ है। यह दक्षिण–पूर्व एशिया तथा आस–पास के देशों के साथ आर्थिक तथा राजनीतिक संबंध स्थापित करने हेतु एक "सेतु" के रूप में कार्य कर सकता है।19 बिम्सटेक और ठठप्छ पहलों में बांग्लादेश द्वारा किया जा रहा समर्थन भारत के दक्षिण–पूर्व एशिया क्षेत्र में पहुंच का पूरक है। आर्थिक विकास तथा सामरिक हितों को सुरक्षित करने हेतु दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जैसे संगठनों का लाभ उठाकर, दक्षिण एशिया के राष्ट्रों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना।

वर्तमान में, भारत एवं बांग्लादेश के मध्य कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है जबकि दोनों देशों के मध्य व्यापार संभावनाएँ वर्तमान स्तर से कम से कम चार गुना अधिक हैं। रक्षा क्षेत्र (जैसे–मिलिट्री हार्डवेयर), अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अवसंरचनात्मक विकास तथा अन्य क्षेत्रों में निवेश हेतु अनेक अवसर हैं। भारत, ठठप्छ के सदस्य देशों के मध्य उप–क्षेत्रीय सहयोग का विस्तार करने हेतु रेल संबंधी पहलों को बढ़ावा दे सकता है जो स्थलीय बंदरगाहों और स्थलीय कस्टम केन्द्रों तथा हवाई संपर्क के क्षेत्र में नए अवसरों का सृजन करेगा। सड़क, नापरिवहन मार्गों के माध्यम से क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करने के प्रयास बेहतर लाभांश प्रदान कर सकते हैं। हाल ही में, बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के विकास के लिए भारत, रूस तथा बांग्लादेश के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। हाइड्रोकार्बन, समुद्री संसाधन, डीप ओशियन फिशिंग, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण तथा आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग। बांग्लादेश गरीबी कम करने, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर उपलब्धि हासिल करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु किए गए कार्यों के लिए विकासशील विश्व के लिए वर्तमान में एक रोल मॉडल है।[21]

बांग्लादेश का प्रथम परमाणु रिएक्टर है दक्षिण एशिया में भारत तथा पाकिस्तान के बाद तीसरा असैन्य संयंत्र है। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना रूस के स्टेट एटॉमिक एनर्जी कॉर्पोरेशन रोस्तोम द्वारा पद्मा नदी पर की जाएगी तथा न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (छच्ब्प्स्) इसके निर्माण, संस्थापन तथा अवसंरचनात्मक कार्यों में सहयोग करेगा। यह भारत–रूस समझौते के अंतर्गत ऐसी पहली पहल है जिसमें दोनों द्वारा किसी तीसरे देश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना की स्थापना की जा रही है। भारत के परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह का सदस्य न होने के बावजूद रुपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के विकास में रूस तथा भारत की साझेदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह पहली बार है जब भारत विदेश में परमाणु ऊर्जा परियोजना में भाग लेगा। इस प्रकार, इससे भारत में कुछ परमाणु ऊर्जा संयंत्र उपकरणों के विनिर्माण के माध्यम से मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा।[22]यह भारत के परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में प्रवेश के दावे को भी सृढ़ता प्रदान करेगा।

भारत और बांग्लादेश के मध्य साझा इतिहास, एक समान विरासत, भाषाई एवं सांस्कृतिक संबंध तथा संगीत, साहित्य और कला के लिए समान अभिरुचि विद्यमान है। लोगों के मध्य पारस्परिक संपर्क में वृद्धि से अन्य क्षेत्रों जैसे कि आर्थिक एवं व्यापारिक संबंधों को (विशेषतः सीमावर्ती क्षेत्रों के समीप) प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इससे विशेष रूप से बांग्लादेश के एक छोटे पड़ोसी होने के चलते उत्पन्न हुई वैमनस्यता और विश्वास में कमी को दूर करने में भी सहायता मिलेगी।

भारत–बांग्लादेश के बीच सर्वप्रमुख विवाद के मुद्दे[23] –

(1) गंगा नदी जल विवाद : वर्ष 1996 में, दोनों देशों द्वारा गंगा के जल के साझाकरण पर सफलतापूर्वक सहमति व्यक्त की गयी थी। हालांकि, विवाद का प्रमुख क्षेत्र भारत द्वारा फरक्का बैराज (हुगली नदी में जल आपूर्ति

बढ़ाने हेतु) का निर्माण एवं संचालन रहा है। बांग्लादेश द्वारा इस बात पर असंतुष्टता व्यक्त की गयी है कि उसे शुष्क मौसम के दौरान जल का उपयुक्त भाग प्राप्त नहीं होता है, जबकि इसके विपरीत मानसून के दौरान भारत द्वारा अतिरिक्त जल छोड़ने पर बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं।

(2) तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना : बांग्लादेश द्वारा अपने पूर्वी किनारे पर वराक नदी पर तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य को रोकने की मांग की गयी है। बांग्लादेश का मत है कि विशालकाय बांध नदी के मौसमी बहाव को बाधित करेगा और निचले क्षेत्रों की कृषि, मत्स्यपालन तथा क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। भारत सरकार ने बांग्लादेश को आश्वासन दिया है कि तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना पर उसके द्वारा कोई भी ऐसा एकपक्षीय निर्णय नहीं लिया जायेगा, जो बांग्लादेश को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(3) तीस्ता नदी जल साझाकरण से संबंधित मुद्दा : तीस्ता नदी का उद्‌गम सिक्किम में पौहुनरी (या तिस्ता कंग्से) हिमनद से होता है तथा यह पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्रों में प्रवाहित होती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। वहां यह ब्रह्मपुत्र नदी (बांग्लादेश में जमुना कहलाती है) में मिल जाती है। यह वांग्लादेश के वृहद रंगपुर क्षेत्र में धान की कृषि हेतु सिंचाई का एक प्रमुख स्रोत है। वर्ष 1983 में दोनों देशों के मध्य जल साझाकरण से संबंधित एक अस्थायी समझौता किया गया था, जिसके तहत बांग्लादेश को 36 प्रतिशत तथा 'भारत को 39 प्रतिशत जल प्रदान किया गया था, जबकि शेष 25 प्रतिशत जल को गैर–आवंटित रखने का निर्णय किया गया था। इस अस्थायी समझौते को कार्यान्वित नहीं किया जा सका। बांग्लादेश ने 1996 की गंगा जल संधि की भांति तीस्ता के जल के भी न्यायसंगत वितरण की मांग की। 2011 में 'भारत तथा बांग्लादेश ने एक समझौते को अंतिम रूप प्रदान किया था। इसके तहत भारत को नदी जल का 42.5प्रतिशत और बांग्लादेश को 37.5प्रतिशत भाग प्राप्त होना था, जबकि शेष 20 प्रतिशत नदी के न्यूनतम जल प्रवाह को बनाए रखने हेतु अबाधित जबकि शेष 20 प्रतिशत नदी के न्यूनतम जल प्रवाह को बनाए रखने हेतु अबाधित रूप से प्रवाहित होता रहना था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा विरोध किए जाने के कारण इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए जा सके थे।

(4) रोहिंग्या शरणार्थी की समस्या : असम में NRC का मुद्दाः 1971 के स्वतंत्रता संघर्ष के पश्चात् जब बांग्लादेश का एक नए देश के रूप में गठन हुआ था, तब लाखों बांग्लादेशी प्रवासियों (जिसमें से अधिकांश अवैध थे) ने भारत में प्रवेश किया था। इसके कारण पूर्वोत्तर राज्यों की जनसांख्यिकी परिवर्तित हो रही है, जो इस क्षेत्र में अशांति का कारण है। लगभग 11 लाख रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश में निवास कर रहे हैं। यद्यपि भारत द्वारा रोहिंग्या संकट के समय 'ऑपरेशन इंसानियत' के तहत मानवीय सहायता प्रदान की गयी थी, परंतु बांग्लादेश भारत से अपेक्षा कर रहा है कि वह रोहिंग्याओं को वापस स्वदेश बुलाने के लिए म्यांमार पर दबाव डाले। भारत–बांग्लादेश सीमा छिद्रिल प्रकृति की है, जो तस्करी और हथियारों, ड्रग्स तथा लोगों के अवैध व्यापार हेतु मार्ग प्रदान करती है। भारत के पड़ोस में चीन की बढ़ती उपस्थिति चिंता का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। बांग्लादेश जैसे छोटे देश भारत के विरुद्ध अपनी सौदेबाज़ी क्षमता के पूरक के रूप में 'चाइना कार्ड' का उपयोग करते हैं। भारत बांग्लादेश के साथ 54 बड़ी और छोटी सीमापारीय नदियों को साझा करता है। इनसे सम्बंधित कुछ विवाद गंगा नदी विवाद –फरक्का बैराज का मुद्दा; तीस्ता नदी विवाद; बराक नदी – तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना विवाद आदि हैं। हरकत–उल जिहाद–अल इस्लामी जमात–ए–इस्लामी और HUJI-B जैसे आतंकवादी समूह बांग्लादेश में भारत–विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देते हैं। इनके द्वारा किया जा रहा दुष्प्रचार सीमा पार भी प्रसारित हो सकता है। अगस्त 2024 में बांग्लादेश उग्र छात्र आंदोलन एवं जेहादी समर्थकों द्वारा प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट करना भारत–बांग्लादेश के सम्बंध में एक नया विवाद उभर कर सामने आया है।

भारत तथा बांग्लादेश दीर्घकालिक सांस्कृतिक संबंधों को साझा करते हैं एवं एक–दूसरे के समग्र विकास के लिए पूरक भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं, हालांकि इस संभाव्यता का पूर्ण रूप से लाभ नहीं उठाया जा सका है। यद्यपि हाल के वर्षों में द्विपक्षीय संबंधो में कई सकारात्मक विकास भी हुए हैं, जैसे– ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौता। भारत को विशेष रूप से चीन की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने छोटे पड़ोसी देशों का विश्वास प्राप्त करने हेतु एकपक्षीय समर्थन प्रदान करने संबंधी गुजराल सिद्धांत को अपनाना चाहिए।[23]

अंत में यह कहा जा सकता है कि, भारत–बांग्लादेश संबंधों में सुदृढ़ ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक निहितार्थ हैं तथा दोनों देशों को इस सुदृढ़ संबंध के व्यापक लाभों की समझ है। यद्यपि वांग्लादेश को कुछ मुद्दों को लेकर भारत से शिकायतें हैं, परंतु इसने अपनी राष्ट्रीय पहचान को भारत विरोधी होने के संदर्भ में तथा सांस्कृतिक समानताओं की उपेक्षा नहीं की है। उल्लेखनीय है कि भारत के कुछ अन्य पड़ोसियों के विपरीत बांग्लादेश किसी भी एक देश पर अत्यधिक निर्भर नहीं रहा है। यद्यपि, हाल में, चीन के साथ इसकी निकटता में वृद्धि हो रही है। बांग्लादेश में भी महत्वाकांक्षी मध्यम वर्गीय लोग निवास करते हैं, जो भारत के साथ बेहतर संबंधों के लाभों को प्राप्त करना चाहते हैं। विगत वर्षों में देश ने लगभग 6 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि के साथ आर्थिक विकास का लाभ

ISSN: 2250-1894
Vol.-16, No.-I, Issus-61
Year: April-June 2025

प्राप्त किया है। संबंधों को सुदृढ़ बनाने वाला दूसरा मुद्दा यह है कि दोनों देश न केवल परस्पर, बल्कि दक्षिण एशिया के अन्य देशों के साथ संपर्क बढ़ाने के इच्छुक है।[24] भारत–बांग्लादेश एवं म्यांमार के मध्य एक मजबूत त्रिपक्षीय संबद्धता का प्रस्ताव, जैसे– गैस पाइपलाइन इत्यादि।

निष्कर्ष– भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी गतिशील नीति है। यह क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य स्थापित करते हुए क्षेत्र में भारत के प्रासंगिक हितों को समायोजित करती रहती है। भारत की अपने पड़ोसी देशों के प्रति प्रतिबद्धता दक्षिण एशिया और अन्य क्षेत्रों के भविष्य को दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। भारत अपने पड़ोसी देशों का कठिन समय में सहयोग करने और उनके साथ मिलकर काम करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहा है। ऐसे में स्थिर एवं समृद्ध पड़ोस सुनिश्चित करने के लिए व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो भारत के राष्ट्रीय हितों एवं विदेश नीति के उद्देश्यों के अनुरूप हो। भारतीय विदेश नीति की प्राथमिकताओं में से एक रहा है कि अपने पड़ोसियों के साथ मिल कर रणनीतिक तौर पर सुरक्षित, राजनीतिक रूप से स्थिर और सौहार्दपूर्ण तथा आर्थिक सहयोग के माहौल का निर्माण किया जाए। भारत ने अपने पड़ोसियों से मित्राता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।25 पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ भारत संघर्ष से बचना चाहता है; अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में है और सभी पड़ोसियों से मित्राता कायम रखना चाहता है । भारत के कई पड़ोसी गुट निरपेक्ष हैं और उन्होंने शांति की दिशा में भारत की पहल का माकूल जवाब भी दिया है। अपने अन्य पड़ोसियों के साथ भारत के संबंध मधुर हैं। नेपाल और श्रीलंका में गठित नई सरकारों ने भारत के साथ संबंधों को मजबूत बनाने और समझौते करने का संकल्प दोहराया है। भारत लगातार कला में आर्थिक और राजनीतिक सहयोग के लिए माहौल बनाने में अपने प्रयास जारी रखे हए है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. गाबा, ओम प्रकाश (2006) भारतीय राजनीतिक विचारक, नोएडा, मयूर पेपर बैक्स, पृष्ठ 49–65
2. दत्त, वी. पी.(2003) बदलती दुनिया में भारत की विदेश नीति, नई दिल्ली, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पृष्ठ 190–208
3. सीकरी, राजीव (2017) भारत की विदेश नीति, नई दिल्ली, SAGE पब्लिकेशन प्रा.लि, पृष्ठ 58–73
4. पंत, पुष्पेश (2017) प्रमुख देशों की विदेश नीतियाँ, मेरठ, मीनाक्षी प्रकाशन, पृष्ठ 472–74
5. गौतम, वी. पी. (2004) भारत की विदेश नीति, नोएडा, मयूर पेपरबैक्स, पृष्ठ 151–168
6. कोली, सी.एम. (2001)प्रमुख देशों की विदेश नीतियाँ, जयपुर, साहित्यागार, पृष्ठ 9–73
7. .Dutt, V.P.(2003) India's Foreign Policy, Ghaziabad, Vikas Publication House Pvt.Ltd, Page 25-51.
8. Ghai,U.R. (2011) Foreign Policy of India]New Delhi] Cosmos Bookhive Pvt-Ltd- Page 332&369
9. Arora] Prem (2013) Foreign Policy of India] New Delhi] Cosmos Bookhive Pvt.Ltd, Page 108-117
10. Bajpai, P.Kanti and Pant] V.Hars (2014) India's Foreign Policy] New Delhi Oxford University Press , Page 127-188
11. .गहलौत, डॉ. बी. सिंह (2004) भारतीय विदेश नीति, नई दिल्ली, अर्जुन पब्लिकेशन हाउस, पृष्ठ 123–128
12. Dixit, J. N. (2004) India's Foreign Policy] New Delhi] Gyan Publishing House] Page 28-40
13. खन्ना, वी. एन. (2015) भारत की विदेश नीति, नई दिल्ली, विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा.लि. पृष्ठ 178–181
14. पंत, पुष्पेश (2015) भारत की विदेश नीति, नई दिल्ली, McGraw Hill Education(India) पृष्ठ 2.1–2.115
15. उपरोक्त, पृष्ठ
16. प्रभात खबर, 04.08.2020, राँची, पृष्ठ 8
17. Bajpai, P.Kanti and Pant, V.Hars (2014) India's Foreign Policy New Delhi Oxford University Press, P. 9
18. Arora] Prem (2013) Foreign Policy of India] New Delhi] Cosmos Bookhive Pvt.Ltd, Page 8
19. उपरोक्त, पृष्ठ 8
20. Bajpai, P.Kanti and Pant, V.Hars (2014) India's Foreign Policy] New Delhi Oxford Univ. Press 10-11
21. Bajpai, P.Kanti and Pant V.Hars (2014) India's Foreign Policy] New Delhi Oxford Univ. Press ,Page 11
22. Bajpai, P.Kanti and Pant] V.Hars (2014) India's Foreign Policy] New Delhi Oxford Uni. Press ,Page 12
23. Bajpai, P.Kanti and Pant] V.Hars (2014) India's Foreign Policy] New Delhi Oxford Univ. Press ,P12-13
24. सीकरी, राजीव (2017) भारत की विदेश नीति, नई दिल्ली,ˆ ।ळम् पब्लिकेशन प्रा.लि.,पृष्ठ 58–73
25. उपरोक्त, पृष्ठ

*****

Sumangalam Prabha
A Peer Reviewed (Refereed) & Open Access Journal
RNI N0.- UPHIN/2009/31180

ISSN: 2250-1894
Vol.-16, No.-I, Issus-61
Year: April-June 2025

बजरंग बाण में श्रीहनुमान का चित्रांकन

डॉ० क्षेमेन्द्र भारद्वाज
शोध अध्येता
हृदयपुर, लालगंज, बलिया (उ0प्र0)

PP.N0- 34-36 **Received: 18.04.2025** **Accepted: 28.04.2025** **Email: pathak17ksh@gmail.com**

सारांशः *बजरंग बाण अति महत्वपूर्ण एवं श्रेष्ठ रचना है। इस रचना में श्री हनुमान की प्रशंसा से सम्बंधित रचनाएँ है। गोस्वामी तुलसीदास एक ऐसे काव्यकार है जिन्होने भाषा वैज्ञानिक, अलंकारिक शैली, मनोवैज्ञानिक और साहित्यिक, व्याकरणीय प्रयोग किये है। इन्होंने एक नया चमत्कारिकता की धारा साहित्य जगत् में प्रवाहित कर दिये है। जो पढ़ने वाले सुनने वाले इत्यादि को ह्रदय में सुन्दर संचार कर देते है। यह रचना दोहा और चौपाई छंद में रचित है। बजरंग बाण के आरम्भ में दोहा, छन्द का उपयोग किया गया है।*

कुजीभूत शब्द : बजरंग बाण, भाषा वैज्ञान, अलंकारिक शैली, साहित्य, दोहा, छन्द, श्रीहनुमान, रामायण

निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करै सनमान।
तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करै हनुमान।।[1]

इस दोहा में यह वर्णित है कि जो व्यक्ति प्रेम और विश्वास के साथ श्रीहनुमान को भजता है। उसके समस्त कार्य सिद्ध हो जाते है।। इस दोहा में श्रीहनुमान की प्रेम और विश्वास से आने वाले व्यक्तियों की कार्य सिद्धि को तथ्यों का वर्णन किया गया है।

इस छन्द में दो शब्द 'प्रेम और विश्वास' प्राप्त है। यह शब्द भारतीय संस्कृति का पर्याय है। इस प्रकार के शब्द भारतीय कवियों के यहाँ देखने को मिलता है। अन्यत्र नही। इस पंक्ति में कवि ने यह निर्देश भी दिया है कि जो व्यक्ति किसी भी कार्य को सम्पूर्ण निष्ठा से तथा प्रेम और विश्वास से करता है। निश्चित ही उसके कार्य श्रीहनुमान जी सिद्ध करते है।

इसी संग्रह में कवि ने एक पंक्ति में श्रीहनुमान से विनती करते हुए कहता है।

जय हनुमन्त सन्त हितकारी। सुनि लीजै प्रभु अरज हमारी।।[2]

हे श्रीहनुमान जी आप की जय हो। आप तो सदा संतो के हितकर है। आज मेरे कष्ट को सुन लीजिये। यही मेरी अर्जी है। इस पंक्ति में कवि दास्य भाव स्वीकार करते हुए श्रीहनुमान से गिड़गिडा रहा है। हो सकता है जिस प्रकार गोस्वामी जी बाहु के पीड़ा से ग्रस्त होकर हनुमान बाहुक की रचना की हो। वैसे ही इस रचना को भी कुछ अन्य प्रयोजन रहे हों।

कवि कहता है कि अब हमारी विनती सुन लीजिए। एक अन्य पंक्ति में काव्यकार यह स्वीकार करता है कि अब मुझे पीड़ा सहन नहीं होती यथाः—

जन के काज विलम्ब न कीजै। आतुर दौरि महा सुख दीजै।।[3]

इस पंक्ति में कवि श्रीहनुमान से आग्रह किया है कि हे बजरंग बली हनुमान, आप मेरे दासजन के कार्य करने में देर मत कीजिये। यहाँ जन का अर्थ दासजन या सेवक के अर्थ में लिया जा सकता है। और काज का अर्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि करके अर्थ किया जा सकता है। नीचे की पंक्ति में आतुर शब्द आया है जिसके अनेक अर्थ—उतावला, बेचैन, बहुत जल्दी, घबराकर इत्यादि हो सकता है। लेकिन सामान्य अर्थ में यथा शीघ्र कष्ट निवारण के लिए आया है।

अर्थात कवि कष्ट से व्याकुल होकर श्रीहनुमान से यथा शीघ्र सुख शान्ति मांग रहा है। इस पंक्ति का और भी अर्थ किया जा सकता है। यहाँ अत्यन्त सामान्य अर्थ किया गया है।

उपरोक्त पंक्ति के समर्थन में एक अन्यत्र भी इस प्रकार की पंक्ति प्राप्त होती है। कहना यह है कि जब संसारिक लोग कष्ट में पड़ते हैं। तभी श्री हनुमान का स्मरण करते है। यदि उससे पहले अपने दिनचर्या में श्रीहनुमान को शामिल करे। अर्थात वो भक्ति भावना से नाम स्मरण करें, तो कष्ट होगें ही नहीं।

इस भव सागर में, जहाँ तक रही दुख की बात, तो इस संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से दुखी है। रही बात मानवीय जीवन की तो इसमें मनुष्य स्वयं दुख का कारण बन जाता है। अर्थात भोजन और अनुचित संगत से ग्रसित व्यक्ति, स्वयं श्रेष्ठ जन के आदर्शों, विचारों इत्यादि का सही सदुपयोग नहीं करता।

वर्तमान युग के पुरुष तो दूसरे (परपुरुष) के कष्टों को देखकर प्रसन्न और पर पुरुषों की प्रसन्नता को देखकर दुःखी रहता है। ऐसे अपवाद ही लोग मिलते है। जो परपुरुष को सुख में सुखी और दुःख में दुःखी होते होंगे।

कवि एक अन्य पक्ति में श्रीहनुमान के शौर्य की प्रशंसा करते हुए कहता है। यथा—

जैसे कूदि सिन्धु महि पारा। सुरसा बदन पैठि बिस्तारा ।।[4]

इस पंक्ति के माध्यम से श्रीहनुमान जी के कृत कार्यो में शीघ्रता लाने के प्रमाण प्रस्तुत करता है। वे कहते है कि जिस प्रकार आपने सिन्धु की पार करते समय सुरसा के मुख से बाहर निकले थे। वैसे ही शीघ्रता से, हे श्रीहनुमान हमारी कष्ट दूर करों।

कही–कही इस सिन्धु का अर्थ भवसागर से भी माना गया है। उदाहरणों के रुप में कविवर बिहारी के पदो को देखा जा सकता है।

एक अन्य पंक्ति में कवि इस प्रकार व्यक्त करता है।

आगे जाइ लंकिनी रोका। मारहु लात गई सुर लोका।।[5]

कवि इस अनेक पदों से इतिहासकार के रुप में भी प्रतिष्ठित होता है। कवि श्रीहनुमान की प्रशंसा करते हुए यह कहता है कि जिस प्रकार आपने लंका में रहने वाली लंकिनी को ऐसा मारा की वह सुरलोक में चली गई। वैसे ही हमारे कष्टो को सूरलोक जैसे दूर स्थानों पर कर दीजिए। जिससे मैं कष्ट मुक्त हो जाऊँ। यहाँ यह भी अर्थ हो सकता है कि जिस प्रकार आपने लंकिनी को मोक्ष प्रदान किया। वैसे मुझे भी मोक्ष प्रदान करे।

एक अन्य पंक्ति में कवि कहता है–

जाय विभीषण को सुख दीन्हा। सीता निरखि परमपद लीन्हा।।[6]

इस पंक्ति में कवि ने श्रीहनुमान के गाथा को सुन्दर वर्णन करते हुए। उनके कृत्य कार्यो को उत्कृष्ट दिखाया है। कवि ये कहना चाहता है कि हे हनुमान आपने जिस प्रकार श्री विभीषण से भेंट कर, उनके ह्रदय भक्ति को स्थिर कर सुख प्रदान किया और श्रीसीता के परमपद के दर्शन कर आप कृत–कृत हुए। वैसे ही आप भी हमें दर्शन देकर मुक्ति प्रदान करें। यह भी इसका अर्थ किया जा सकता है।

कवि एक अन्य पंक्ति में लंका में श्रीहनुमान द्वारा किये गये कार्यो को वर्णन करते हुए कहा है।

बाग उजारि सिन्धु महँ बोरा। अति आतुर यमकातर तोरा।।
अक्षय कुमार को मारि संहारा। लूम लपेटि लंक को जारा।।[7]

इसमें कवि ने श्रीहनुमान के द्वारा किये गये सफलतापूर्वक कार्यो को वर्णन करते हुए कहा है, श्रीहनुमान आपने उस लंका में स्थित अशोक वाटिका को तहस, नहस कर दिया, साथ ही रावण के पुत्र अक्ष कुमार की जीवन लीला समाप्त कर, मोक्ष प्रदान किया। आपके पूँछ में आग लगाई गयी तो आप ने समस्त लंका को जला डाला। इस प्रकार के कार्यो को वर्णन करते हुए कवि ने उन्हे उत्कृष्ट दिखाया है।

कवि कहता है आपके द्वारा लगायी गई लंका में आग से लाह के समान लंका जली यथाः–

लाह समान लंक जरि गई। जय–जय धुनि सुर पुर महँ भई।।[8]

इस प्रकार के अनेक कार्यो को कवि ने वर्णन कर, श्रीहनुमान के यश गाथा गाया है। जिसमें श्रीहनुमान को उत्कृष्ट दिखाया है।

कवि कहता है कि हे श्रीहनुमान स्वामी, अब मुझ पर दया करों। यथा–

अब विलम्ब केहि कारन स्वामी। कृपा करहु उर अन्तर्यामी।।[9]

इस पंक्ति में कवि ने श्री हनुमान को स्वामी बताया है। वे कहा है कि हे स्वामी अब किस बात की देर है। अब तो हमारे ऊपर आप कृपा करो अर्थात् अतःकरण को कलेशमुक्त करो।

प्रत्युत एक श्रीहनुमत् प्रशंसा में पंक्ति वर्णित है–

जय–जय लक्ष्मण प्राण के दाता । आतुर होइ दुख करहु निपाता ।।[10]

इस पंक्ति में गोस्वामी जी ने श्रीहनुमान जी को लक्ष्मण के प्राण देने वाला बताया है। क्योंकि श्रीहनुमान ने ही संजीवनी बटी लाकर प्राण पुर्नस्थापित किया था। यदि लक्ष्मण मूर्च्छित का अर्थ व्यंजना से किया जाय तो यह प्रतीत होने लगता है कि श्रीराम ने लक्ष्मण को एक दिन सोने के लिए इस प्रकार के कार्य किये थे। क्योंकि श्री लक्ष्मण कुमार श्रीराम के सेवा में 14 वर्ष सोये नहीं थे। इसलिए राम ने उन्हें इस बहाने एक दिन सोने के लिए मूर्च्छा अवस्था में सुला दिया था। कहना यह था कि यह जरुरी नहीं कि इस अर्थ को ग्राह्य ही किया जाय। लेकिन हटकर सोचनें पर यह भी अर्थ प्रतीत होने लगता है।

कवि अभिधार्थ में स्पष्ट किया। इसमें कोई संदेह नहीं कवि दूसरी पंक्ति की शब्दों का यह अर्थ व्यक्त किया है कि श्रीराम, लक्ष्मण को शक्ति लगने से दुखी हो गये थे। तब श्रीहनुमान ने संजीवनी वटी लाकर, लक्ष्मण के प्राण को पुर्नजीवित किया था इसी प्रसंग में कवि ने इस पंक्ति को उद्धृत किया है। एक अन्य पंक्ति जिसमें श्रीहनुमान को इस प्रकार कहा गया है।

जय गिरिधर जय–जय–सुख सागर। सुर–समूह समरथ भट नागर।।[11]

इस प्रकार के अनेक पंक्तियों में श्रीहनुमान के शौर्य की प्रशंसा में भिन्न–भिन्न तथ्यों का वर्णन मिलता है। इस पंक्ति में 'गिरिधर' शब्द को लाकर कवि ने श्रीहनुमान को नूतन रुप में प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार अनेक शब्द ऐसे मिलते है जहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने शब्द के चमत्कार पर बल दिया है। देखिए दृष्टांत –

ऊँ हनु हनु हनु हनुमंत हठीले। बैरिहि मारु वज्र की कीले।।[12]

इस पंक्ति में कवि ने अलंकारत्व को स्पष्ट झाँकी प्रस्तुत कर दी है। इसमें कोई संदेह नहीं। इस पंक्ति में ऊँ शब्द का प्रयोग कर वेद के शैली को भी काव्य परम्परा में उल्लेख कर, उत्कृष्ट बना दिया है। साथ ही हनु धातु का यह चमत्कारपूर्ण प्रयोग भी। हनु शब्द के लिए हनुमान अंक कल्याण में इस प्रकार आया है। 'चिबुक' (ठुड्डी) वाचक 'हनु' शब्द के 'मतुप' प्रत्यय होने पर 'हनुमान' शब्द बना है। 'मतुप' प्रत्यय से प्रकृति के अर्थ की अतिशय विशिष्टता या विलक्षणता सूचित होती है। अतिशायने मतुप् इस प्रकार 'हनुमा' शब्द का अर्थ होगा– विलक्षण चिबुक से संयुक्त। इस घटना का संकेत निम्न–निर्दिष्ट मंत्र में है।

ममच्चन ते मद्यवन् व्यसो निविविध्वाँ अप हनू जघान ।
अद्या निविद्ध उत्तरो बभूवाञ्छिरो दासस्य सं पिणग्वधेन।।[13]

इसका भावार्थ वर्णित है 'मधवन्' हे इन्द्र ! 'ते' आपके सांनिध्य में 'चन' निश्चित, 'ममत्' प्रमाद करते हुए, व्यंसः, विशाल स्कन्ध युक्त आपके ऐरावत को फल मानकर खाने के लिये पकड़ने की इच्छा से भयंकर विशाल शरीरधारी कपिराज महावीर 'निविविध्वान्' आपको लगातार सताने लगा। तब 'निविद्धः' सताये हुए पीड़ित हुए आपने 'हनू' हनौ, विभक्ति वचनयोर्व्य त्ययः चिबुक (ठुड्डी) में 'अप' अपगमन के लिये उसे हटाने के लिये, 'वधेन' वज्र से 'जधान' प्रहार किया। अधा, अथ तत्पश्चात् 'दासस्य' भविष्य में जो श्रीराम के सेवक होने वाले है, महावीर का 'शिरः' अवयवे•वययविनः प्रयोगः सिर के अवयव ओष्ठ के नीचे चिबुक के वाम प्रदेश को 'संपिणक्' अच्छी तरह तोड़ा डाला। अर्थात् आपके वज्र प्रहार के अभाव से उसका हनुप्रदेश भग्न हो गया। अतएवं वज्रभग्न हनुप्रदेश से युक्त होने के कारण उनकी संज्ञा 'हनुमान' हो गयी।

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि गोस्वामी तुलसीदास एक ऐसा काव्यकार है जो भाषा वैज्ञानिक, अलंकारिक शैली, मनोवैज्ञानिक और साहित्यिक, व्याकरणीय प्रयोग किये है। इन्होंने एक नया चमत्कारिकता की धारा साहित्य जगत् में प्रवाहित कर दिये है। जो पढ़ने वाले सुनने वाले इत्यादि को ह्दय में सुन्दर संचार कर देते है। एक ऐसा ही और उदाहरण देखा जा सकता है।

ऊँ ह्रीं ह्रीं ह्रीं हनुमंत कपीसा। ऊँ हुँ हुँ हुँ हनु अरि उर शीशा।।[14]

यह पंक्ति हु शब्द से ग्रसित हो गयी, मानो एक साहित्य में चमत्कार पूर्ण प्रयोग है।

इस प्रकार के अनेक उदाहरण इस ग्रंथ में देखा जा सकता है।

ऊँ चं चं चं चं चपल चलन्ता । ऊँ हनु हनु हनु हनु हनुमंता ।।[15]

इस प्रकार के अनेक पंक्ति इस काव्य में प्राप्त होते है। अन्ततः यह कहा जा सकता है कि 'बजरंग बाण' एक हनुमत परक रचना है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

बजरंग बाण, गोस्वामी तुलसीदास, भाषा टीका, नारायण बुक डिपो, प्रा0 लि0, पटना–4, पृ0 39

1. वही पृ0 39
2. वही पृ0 39
3. वही पृ0 40
4. वही पृ0 40
5. वही पृ0 40
6. वही पृ0 40–41
7. वही पृ0 41
8. वही पृ0 41
9. वही पृ0 41
10. वही पृ0 41
11. वही पृ0 41
12. वही पृ0 46
13. हनुमत अंक, कल्याण पृ0 12
14. वही पृ0 13
15. बजरंग बाण, गोस्वामी तुलसीदास, वही पृ0 43
16. वही पृ0 46

*****

Sumangalam Prabha
A Peer Reviewed (Refereed) & Open Access Journal
RNI N0.- UPHIN/2009/31180

ISSN: 2250-1894
Vol.-16, No.-I, Issus-61
Year: April-June 2025

भारतीय राजनीति में दल–बदल की बढ़ती प्रवृत्ति

डॉ० राजेश कुमार यादव
असि. प्रोफेसर– राजनीतिशास्त्र
राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर (उ०प्र०)

PP.N0- 37-39 Received: 18.04.2025 Accepted: 28.04.2025 Email: raghwendrap14@gmail.com

सारांशः ***मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है वह अपना विचार विभिन्न प्रकार से व्यक्त करता है जिसमें विचारों की विभिन्नता के साथ–साथ विचारों की समानता भी पायी जाती है। राजनीतिक और आर्थिक प्रश्नों पर समान विचार रखने वाले व्यक्ति, राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य से जिन संगठनों का निर्माण करते हैं उन्हें 'राजनीतिक दल' कहा जात है ।[1] लोकतंत्र का चाहे कोई भी स्वरूप क्यों न हो वह राजनीतिक दलों के अभाव में अकल्पनीय है; इसीलिए दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र का आधार कहा जाता है।[2]***

कुजीभूत शब्द : भारतीय राजनीति, सत्ता प्राप्ति, राजनीतिक दल, लोकतंत्र, अकल्पनीय, दल–बदल

भारत में राजनीतिक दलों का इतिहास यहाँ की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था से भी पुराना है। भारत में राष्ट्रीय जागरण के कारण राजनीतिक दलों का उदय हुआ है।[3] सर्वप्रथम 1826 में राजा राम मोहन राय द्वारा श्ब्रह्म सभाश की स्थापना हुई।[4] इसी प्रकार 1838 में लैंड होल्डर्स सोसाइटी, 1851 में राधाकान्त देव और देवेन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा 'ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन' की स्थापना हुई। 1852 में 'बम्बई एसोसिएशन' तथा 28 दिसम्बर 1885 को 'राष्ट्रीय कांग्रेस' की स्थापना हुई ।

यह अवश्य कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जो भी दल गठित हुए उनका मुख्य उद्देश्य जनता में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना था और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयास करना था; लेकिन स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य सत्ता पर आधिपत्य स्थापित करना हो गया और यही एक मुख्य कारण रहा कि– राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न दलों का विकास तेजी से हुआ। इस प्रकार देखा जाय तो भारत में दलीय व्यवस्था का स्वरूप विभिन्न विशेषताओं पर आधारित रहा जैसे– यहाँ बहुदलीय पद्धति है, लम्बे समय तक एक राजनीतिक दल की प्रधनता रही है।[5] साथ ही व्यक्ति विशेष पर आधारित दलीय व्यवस्था भी रही, यही कारण है कि भारतीय दलीय व्यवस्था के बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ दल से व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्ति से दल चमकते हैं ।[6]

वर्तमान समय में तो भारतीय दलीय व्यवस्था का स्वरूप विकृत होता जा रहा है, आज इसमें लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रतिकूल अनेक दोष गहराई से जुड़ गये हैं जैसे– क्षेत्रीयतावाद, जातिवाद, भाषावाद, धर्म, दलों के भीतर केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति, करिश्माई नेतृत्व से सफलता पाने की आकांक्षा और दल–बदल की घातक प्रवृत्ति, शायद इन सभी कारणों से ही आज राजनीतिक दल जन संचरण का साधन न होकर, जनता को उदासीन बनाने की परिस्थितियां उत्पन्न करने वाले बन गये हैं और इससे स्वस्थ दल–राजनीति की परम्पराओं का विकास नहीं हो पा रहा है और शायद यह कहना गलत न होगा कि आज इतने दलों की उपस्थिति के बावजूद भारतीय जनता का किसी विशेष दल से भावात्मक या मनोवैज्ञानिक लगाव नहीं देखने को मिलता।

आज भारतीय लोकतंत्र में जो दरारें दिख रही हैं उनका भी श्रेय बहुत कुछ इन राजनीतिक दलों पर है। यह दरारें भरी भी जा सकती हैं यदि राजनीतिक दल अपनी नीतियों और कार्यकलापों को इस प्रकार निर्धारित करें जिससे स्वस्थ दलीय व्यवस्था को बल मिले; अन्यथा यह दरारें बढ़ सकती हैं और यह चरमराता हुआ ढांचा कल को टूट भी सकता है।[7]

जहाँ तक दल–बदल का प्रश्न है तो यह कहा जा सकता है कि एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाना, नया दल बना लेना या निर्दलीय स्थिति अपना लेना दल–बदल कहलाता है। हालांकि दल–बदल सामान्य व्यक्ति भी करते हैं और जनप्रतिनिधि भी लेकिन सामान्य व्यक्ति की निष्ठा बदलने से सरकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता परन्तु यदि जनप्रतिनिधि अपनी निष्ठा बदलते हैं तो सरकारें गिर जाती हैं और फलस्वरूप प्रशासन में शिथिलता और राजनीति में अस्थिरता आ जाती है ।[8]

भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक गणराज्य है, यहाँ वही राजनीतिक दल शासन का संचालन कर सकता है जिसके पास सांसदों का बहुमत हो। हमारे संविधान के अनुसार बहुमत के आधार पर शासन का कार्य देश में निर्विघ्न चलता रहा, क्योंकि प्रारम्भ में भारत की जनता कांग्रेस के स्वर्णिम इतिहास से अभिभूत थी परन्तु धीरे–धीरे जब विपक्ष द्वारा अपने आपको राष्ट्रीय राजनीति के लिए तैयार कर लिया गया और बहुत से क्षेत्रीय दलों ने अपना प्रभाव स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया तब कांग्रेस का एकक्षत्र राज्य विघटित होना प्रारम्भ हुआ और इसके बाद श्बहुमतश का गणित ही राजनीति का केन्द्र बिन्दु बन गया।

भारतीय राजनीति में दल–बदल का प्रारम्भ स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ही हो चुका था, 1937 में जब श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहिम, उत्तर प्रदेश विधायिका के लिए मुस्लिम लीग के टिकट पर निर्वाचित हुए और दल–बदल कर ये कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हो गये तथा गोविंद बल्लभ पंत की सरकार में मंत्री नियुक्त हुए, लेकिन श्री इब्राहिम विधान सभा की सदस्यता से त्याग पत्र देकर कांग्रेस के टिकट पर पुनः चुनाव लड़े और निर्वाचित हुए ।9 इसी प्रकार 1948 में आचार्य नरेन्द्रदेव ने समाजवादी कांग्रेस पार्टी को छोड़ा और सदन की सदस्यता से तत्काल त्याग पत्र दिया और सोशलिस्ट पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़े।[10] इस प्रकार प्रारम्भ में तो दल–बदल सिद्धान्तों के आधार पर हुए ।

दल–बदल के दृष्टिकोण से देखा जाय तो भारतीय राजनीति में 1967 का चतुर्थ सामान्य निर्वाचन विशेष महत्व रखता है; क्योंकि इस निर्वाचन में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व समाप्त हो गया और केन्द्र में तो कांग्रेस पार्टी का बहुमत पहले से कम हो गया तथा 8 राज्यों– आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, मैसूर तथा उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी संविद सरकारें बनीं और यहीं से भारतीय राजनीति में श्अवसरवादिता की राजनीतिश के लिए एक सशक्त पृष्ठभूमि तैयार हो गयी, परिणामस्वरूप सत्ता प्राप्ति के लिए सिद्धान्तहीन दल–बदल की राजनीति प्रारम्भ हुई[11] और दल–बदल का उद्देश्य सैद्धान्तिक मतभेद न होकर मात्र राजनीतिक स्वार्थ बन गया ।

वैसे विश्वपटल पर देखा जाय तो दल–बदल की घटनाएं – ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे समुन्नत और परिपक्व लोकतांत्रिक देशों में भी होती है, लेकिन पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों के जनप्रतिनिधि राजनीतिक निष्ठा क्षण–क्षण नहीं बदलते जबकि भारत में जनप्रतिनिधियों ने राजनैतिक नैतिकता को तार पर रखकर दल–बदल कर सत्ता पर आधिपत्य स्थापित किया, जैसे– हरियाणा के रामधारी गौड़ ने 1969 में एक दिन में 3 बार दल–बदलकर विश्व कीर्तिमान बनाया।[12] 1952–1982 के बीच मात्र दल–बदल के कारण 66 बार विभिन्न राज्य सरकारें अपदस्थ हुई, 70 बार राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा तथा लगभग 2000 विधायकों द्वारा दल–बदलकर सत्ता प्राप्ति हेतु किया गया।13 यही नहीं सर्वाधिक विस्मयकारी बात तो यह रही है कि – दल–बदल मात्र व्यक्तियों द्वारा नहीं हुआ अपितु सरकार भी दल–बदल से दूसरी पार्टी की सरकार बन गई जैसे – 1980 में हरियाणा में भजनलाल की जनता पार्टी की सरकार दल–बदल कर रातोंरात कांग्रेस की सरकार बन गई ।[14] इसी प्रकार 1992 में चिमनभाई पटेल की 'जनता दल' गुजरात की सरकार, कांग्रेस की सरकार बन गई।[15] इस प्रकार 1967 से अपने भयानक रूप में आकर दल–बदल ने कैंसर की भांति बढ़ते हुए सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणाली ही को नहीं बल्कि राजनीतिक जीवन को भी रूग्ण कर दिया और विगत वर्षों से यही राजनीतिक अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण रहा है ।

इस प्रवृत्ति से छुटकारा पाने के लिए बहुत से प्रयास भी हुए जैसे– 1968 में चव्हाण समिति गठित की गयी, 1973 में दल–बदल विरोधी विधेयक (32वां संविधान संशोधन हेतु) प्रस्तुत हुआ और सबसे महत्वपूर्ण प्रयास तो 1985 में श्दल–बदल विरोधी अधिनियमश का बनना रहा जिसमें संविधान में 52वां संशोधन कर 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गयी। इस दसवीं अनुसूची के प्रावधानों में 8 पैरा है और अन्य बातों के अतिरिक्त इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण कमी रही इसका पैरा–3 जिसमें वर्णित था कि– यदि किसी दल में विभाजन के समय कम से कम 1/3 सदस्य मूल राजनीतिक दल से पृथक होंगे तो उनकी सदस्यता समाप्त न होगी तथा पैरा–4 कहता है कि– किसी दल के द्वारा विलय की स्थिति में उस दल से कम से कम 2/3 सदस्य प्रस्ताव द्वारा विलय करें तो सदस्यता समाप्त न होगी ।[16]

अतः इस अधिनियम के पारित होने के पूर्व तो दल–बदल व्यक्तिगत और श्सामूहिक होते थे किन्तु अब इसका स्वरूप थोक दल–बदल में परिवर्तित हो गया उदाहरण के लिए गोवा, गुजरात, मणिपुर, नागालैण्ड, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश में इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखा जा सकता है। गोवा में 1991 में मुख्यमंत्री रविनायक को विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की सदस्यता से वंचित कर दिया लेकिन रविनायक ने इस्तीफा न देकर बाद में 11 के मुकाबले 24 मतों से अपना बहुमत सिद्ध कर दिया।[17] इसी प्रकार 2003 में एक ऐतिहासिक दल–बदल के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश के 40 बसपा विधायकों ने सपा में शामिल होकर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को सत्तासीन कर दिया। इसी प्रकार 10 नवम्बर 1990 को केवल दल–बदल के कारण ही चन्द्रशेखर सरकार का गठन सम्भव हो सका था ।

इस प्रकार अब यह बात स्पष्ट सबके सामने आ गयी कि– इस दल–बदल विरोधी कानून की दीवारों में काफी बड़े और गुप्त दरवाजे हैं जिनसे आसानी से बेखरोंच निकला जा सकता है। इन्हीं सब कारणों से दिसम्बर 2003 में अटल बिहारी बाजपेयी सरकार द्वारा पुनः इस अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया गया और राजनीति में दल–बदल को समाप्त करने और मंत्रिमण्डल के आकार को तय करने के लिए संविधान का 97वां विधेयक पारित किया गया।[18] यह संशोधन विधेयक उस प्रावधान को समाप्त करता है जिसमें यह व्यवस्था थी कि यदि मूल राजनीतिक दल से 1/3 सदस्य अलग होते हैं तो सदस्यता समाप्त नहीं होगी क्योंकि इस विधेयक के अन्तर्गत यह

ISSN: 2250-1894
Vol.-16, No.-I, Issus-61
Year: April-June 2025

प्रावधान है कि दल–बदल करने वाले सदस्यों की सदस्यता स्वयं समाप्त हो जायेगी और उनको तब तक लाभ का पद (मंत्रीपद) प्राप्त नहीं सकेगा जब तक कि वे पुनः चुनाव जीतकर नहीं आ जाते।

इस संशोधन का द्वितीय भाग मंत्रिमण्डल के आकार से सम्बन्धित है। क्योंकि अब तक की यही प्रवृत्ति रही है कि मंत्रीपद पाने हेतु सर्वाधिक दल–बदल हुए हैं इस प्रकार देखा जाये तो मंत्री पद ही बहुत बड़ा उत्प्रेरक रहा है, इसी कारण जम्बो मंत्रिमण्डल भी बनें। अतः केन्द्र सरकार ने इस विधेयक द्वारा यह व्यवस्था दी कि–

1. केन्द्र और बड़े राज्यों की सरकारों में मंत्रिमण्डल के सदस्यों की संख्या प्रथम सदन के कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। (प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित) ।
2. छोटे राज्यों में यह सीमा 12 प्रतिशत होगी जहाँ यथास्थिति 15 प्रतिशत या 12 प्रतिशत से अधिक है वे विधेयक लागू होने के 6 माह के भीतर मंत्रिमण्डल की संख्या प्रावधानों के अनुसार कर लें ।

इस प्रकार देखा जाय तो यह अधिनियम यद्यपि दल–बदल रोकने की दिशा में एक सशक्त कदम है लेकिन फिर भी सूक्ष्मता से देखने पर यह प्रतीत होता है कि– दल–बदल की संभावनाएं संविधान की दसवीं अनुसूची में शेष है जिसके अन्तर्गत अनुच्छेद पैरा–4 जो 2/3 सदस्यों के साथ अन्य दल के साथ विलय की अनुमति देता है । इस प्रकार तो इस प्रावधान के चलते 100 सदस्यीय किसी राजनीतिक दल के 66 सदस्य अलग होकर अन्य दल से समझौता करके सरकार को प्रभावित कर सकते हैं; अतः विलय के इस प्रावधान को समाप्त करना चाहिए क्योंकि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अगस्त 2004 में अरुणांचल प्रदेश के मुख्यमंत्री गेगांग–अपांग का अपने पूरे मंत्रमण्डिल सहित जो भाजपा के थे, कांग्रेस में शामिल होना अवसरवाद की पराकाष्ठा है।[19]

वास्तव में राजनीति एक गंभीर विषय है और राजनीतिक व्यवस्था देश के रीढ़ की हड्डी होती है, उसे टूटने से बचाये रखने के लिए कुछ नियम और परिपाटी होनी चाहिए, यह जनतंत्र का मजाक होगा कि थोड़े–थोड़े अंतराल में विधायिका के सदस्य यह घोषणा करते रहें कि वे आज इस दल में है और कल किसी दूसरे दल में; अतः आवश्यकता इस बात की है कि दल–बदल की प्रत्येक संभावनाओं को ही समाप्त कर दिया जाय क्योंकि प्रत्येक दल का एक श्मेनीफेस्टोश होता है और जनता दल विशेष की नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर प्रतिनिधियों का चयन करती है अतः यह जनता के साथ जबर्दस्त धोखा है और साथ ही यह बात निर्विवाद रूप से कही जा सकती है कि आज के दौर में कोई भी दल–बदल सिद्धान्तों के आधार पर हुआ ही नहीं है। अतः इसे समाप्त करना ही होगा। आज दल–बदल राजनीतिक अनैतिकता का परिचायक और भ्रष्टाचार का माध्यम बन गया है।

इस प्रकार अंत में यही कहा जा सकता है कि– प्रत्येक सुधार अधूरा ही रहेगा, क्योंकि अच्छे कानून के साथ अच्छे नागरिक का होना भी आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति का महत्व कानून निर्माता से अधिक कानून के पालनकर्ता के रूप में है । अतः दल–बदल रोकने के लिए आवश्यक है कि– जनप्रतिनिधियों में राष्ट्रीयता की भावना हो, उच्च नैतिक स्तर हो, मूल्य प्रधान राजनीति हो, व्यक्तिगत हित और पार्टी हित के ऊपर राष्ट्रहित की भावना हो, अनुकरणीय चरित्र हो, मान्य आचार संहिता सब पर लागू हो, राजनीतिक संस्कृति और जनतंत्रीय मान्यताओं का सही ढंग से पालन हो तभी दल–बदल जैसी राजनीतिक बुराई पर प्रभावकारी अंकुश लग सकेगा और इससे भारत में संसदीय जनतंत्र का मार्ग प्रशस्त होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1- Encyclopaedia, Britannica Vol. I. P. 617.
2- Samuel J. Eldersveld : Political Parties. P. 22.
3- B. Pattabhi Sitaramaya, History of the India.
4- D.C. Gupta : Indian National : Movement and Constitutional Development. Vikas Public House, Delhi 1983, P. 26.
5- W.H. Morris Jones : The Government and Politics of India, B.I. Pub. Delhi P. 148.
6- रजनी कोठारी : भारत में राजनीति, ओरियण्ट लाग्मैन, दिल्ली, पृ. 118-19
7- Sulbhash Kashyap : Anti Defection Labe. Promises, Provisions and Prob- lems P.-1.
8- Subash Kashyap : The Politics of Power, New Delhi. P. 41-46.
9- Indian Express ; July 13, 1967, P. 6
10- Myron Weiner : State Politics in India, P. 80.
11- The Hindu, 17th March, 1967.
12- Indian Express, August, 27th, 1989. P.6.
13- The Annual Register of Indian, Political Parties, 1980. Ed. by N.M. Zaidi.
14- दैनिक जागरण पृ- I, 1980
15- Hindustan Times : June 3, 1992, New Delhi पृ. 1-
16- दल-बदल विरोधी अधिनियम, संसदीय सचिवालय प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
17- दैनिक जागरण 16, 17 मई 1991 पृ. 1
18- Political & Law Times, Jan. 2004.
19- दैनिक जागरण, वाराणसी, 30 अगस्त, 2004.

*****

Sumangalam Prabha
A Peer Reviewed (Refereed) & Open Access Journal
RNI N0.- UPHIN/2009/31180

ISSN: 2250-1894
Vol.-16, No.-I, Issus-61
Year: April-June 2025

भारतीय राजनीति में दल–बदल की बढ़ती प्रवृत्ति

डॉ० राजेश कुमार यादव
असि. प्रोफेसर– राजनीतिशास्त्र
राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर (उ०प्र०)

PP.N0- 37-39 Received: 18.04.2025 Accepted: 28.04.2025 Email: raghwendrap14@gmail.com

सारांश: ***मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है वह अपना विचार विभिन्न प्रकार से व्यक्त करता है जिसमें विचारों की विभिन्नता के साथ–साथ विचारों की समानता भी पायी जाती है। राजनीतिक और आर्थिक प्रश्नों पर समान विचार रखने वाले व्यक्ति, राजनीतिक सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य से जिन संगठनों का निर्माण करते हैं उन्हें 'राजनीतिक दल' कहा जात है ।[1] लोकतंत्र का चाहे कोई भी स्वरूप क्यों न हो वह राजनीतिक दलों के अभाव में अकल्पनीय है; इसीलिए दलीय व्यवस्था को लोकतंत्र का आधार कहा जाता है।[2]***

कुजीभूत शब्द : भारतीय राजनीति, सत्ता प्राप्ति, राजनीतिक दल, लोकतंत्र, अकल्पनीय, दल–बदल

भारत में राजनीतिक दलों का इतिहास यहाँ की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था से भी पुराना है। भारत में राष्ट्रीय जागरण के कारण राजनीतिक दलों का उदय हुआ है।[3] सर्वप्रथम 1826 में राजा राम मोहन राय द्वारा श्ब्रह्म सभाश की स्थापना हुई।[4] इसी प्रकार 1838 में लैंड होल्डर्स सोसाइटी, 1851 में राधाकान्त देव और देवेन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा 'ब्रिटिश इण्डियन एसोसिएशन' की स्थापना हुई। 1852 में 'बम्बई एसोसिएशन' तथा 28 दिसम्बर 1885 को 'राष्ट्रीय कांग्रेस' की स्थापना हुई ।

यह अवश्य कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जो भी दल गठित हुए उनका मुख्य उद्देश्य जनता में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना था और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयास करना था; लेकिन स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य सत्ता पर आधिपत्य स्थापित करना हो गया और यही एक मुख्य कारण रहा कि– राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर विभिन्न दलों का विकास तेजी से हुआ। इस प्रकार देखा जाय तो भारत में दलीय व्यवस्था का स्वरूप विभिन्न विशेषताओं पर आधारित रहा जैसे– यहाँ बहुदलीय पद्धति है, लम्बे समय तक एक राजनीतिक दल की प्रधनता रही है।[5] साथ ही व्यक्ति विशेष पर आधारित दलीय व्यवस्था भी रही, यही कारण है कि भारतीय दलीय व्यवस्था के बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ दल से व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्ति से दल चमकते हैं ।[6]

वर्तमान समय में तो भारतीय दलीय व्यवस्था का स्वरूप विकृत होता जा रहा है, आज इसमें लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रतिकूल अनेक दोष गहराई से जुड़ गये हैं जैसे– क्षेत्रीयतावाद, जातिवाद, भाषावाद, धर्म, दलों के भीतर केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति, करिश्माई नेतृत्व से सफलता पाने की आकांक्षा और दल–बदल की घातक प्रवृत्ति, शायद इन सभी कारणों से ही आज राजनीतिक दल जन संचरण का साधन न होकर, जनता को उदासीन बनाने की परिस्थितियां उत्पन्न करने वाले बन गये हैं और इससे स्वस्थ दल–राजनीति की परम्पराओं का विकास नहीं हो पा रहा है और शायद यह कहना गलत न होगा कि आज इतने दलों की उपस्थिति के बावजूद भारतीय जनता का किसी विशेष दल से भावात्मक या मनोवैज्ञानिक लगाव नहीं देखने को मिलता।

आज भारतीय लोकतंत्र में जो दरारें दिख रही हैं उनका भी श्रेय बहुत कुछ इन राजनीतिक दलों पर है। यह दरारें भरी भी जा सकती हैं यदि राजनीतिक दल अपनी नीतियों और कार्यकलापों को इस प्रकार निर्धारित करें जिससे स्वस्थ दलीय व्यवस्था को बल मिले; अन्यथा यह दरारें बढ़ सकती हैं और यह चरमराता हुआ ढांचा कल को टूट भी सकता है।[7]

जहाँ तक दल–बदल का प्रश्न है तो यह कहा जा सकता है कि एक दल को छोड़कर दूसरे दल में जाना, नया दल बना लेना या निर्दलीय स्थिति अपना लेना दल–बदल कहलाता है। हालांकि दल–बदल सामान्य व्यक्ति भी करते हैं और जनप्रतिनिधि भी लेकिन सामान्य व्यक्ति की निष्ठा बदलने से सरकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता परन्तु यदि जनप्रतिनिधि अपनी निष्ठा बदलते हैं तो सरकारें गिर जाती हैं और फलस्वरूप प्रशासन में शिथिलता और राजनीति में अस्थिरता आ जाती है ।[8]

भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक गणराज्य है, यहाँ वही राजनीतिक दल शासन का संचालन कर सकता है जिसके पास सांसदों का बहुमत हो। हमारे संविधान के अनुसार बहुमत के आधार पर शासन का कार्य देश में निर्विघ्न चलता रहा, क्योंकि प्रारम्भ में भारत की जनता कांग्रेस के स्वर्णिम इतिहास से अभिभूत थी परन्तु धीरे–धीरे जब विपक्ष द्वारा अपने आपको राष्ट्रीय राजनीति के लिए तैयार कर लिया गया और बहुत से क्षेत्रीय दलों ने अपना प्रभाव स्थापित करना प्रारम्भ कर दिया तब कांग्रेस का एकक्षत्र राज्य विघटित होना प्रारम्भ हुआ और इसके बाद श्बहुमतश का गणित ही राजनीति का केन्द्र बिन्दु बन गया।

भारतीय राजनीति में दल–बदल का प्रारम्भ स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व ही हो चुका था, 1937 में जब श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहिम, उत्तर प्रदेश विधायिका के लिए मुस्लिम लीग के टिकट पर निर्वाचित हुए और दल–बदल कर ये कांग्रेस पार्टी में सम्मिलित हो गये तथा गोविंद बल्लभ पंत की सरकार में मंत्री नियुक्त हुए, लेकिन श्री इब्राहिम विधान सभा की सदस्यता से त्याग पत्र देकर कांग्रेस के टिकट पर पुनः चुनाव लड़े और निर्वाचित हुए ।9 इसी प्रकार 1948 में आचार्य नरेन्द्रदेव ने समाजवादी कांग्रेस पार्टी को छोड़ा और सदन की सदस्यता से तत्काल त्याग पत्र दिया और सोशलिस्ट पार्टी के चिन्ह पर चुनाव लड़े।[10] इस प्रकार प्रारम्भ में तो दल–बदल सिद्धान्तों के आधार पर हुए ।

दल–बदल के दृष्टिकोण से देखा जाय तो भारतीय राजनीति में 1967 का चतुर्थ सामान्य निर्वाचन विशेष महत्व रखता है; क्योंकि इस निर्वाचन में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व समाप्त हो गया और केन्द्र में तो कांग्रेस पार्टी का बहुमत पहले से कम हो गया तथा 8 राज्यों– आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, मैसूर तथा उत्तर प्रदेश में गैर कांग्रेसी संविद सरकारें बनीं और यहीं से भारतीय राजनीति में श्अवसरवादिता की राजनीतिश के लिए एक सशक्त पृष्ठभूमि तैयार हो गयी, परिणामस्वरूप सत्ता प्राप्ति के लिए सिद्धान्तहीन दल–बदल की राजनीति प्रारम्भ हुई[11] और दल–बदल का उद्देश्य सैद्धान्तिक मतभेद न होकर मात्र राजनीतिक स्वार्थ बन गया ।

वैसे विश्वपटल पर देखा जाय तो दल–बदल की घटनाएं – ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया और फ्रांस जैसे समुन्नत और परिपक्व लोकतांत्रिक देशों में भी होती है, लेकिन पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों के जनप्रतिनिधि राजनीतिक निष्ठा क्षण–क्षण नहीं बदलते जबकि भारत में जनप्रतिनिधियों ने राजनैतिक नैतिकता को तार पर रखकर दल–बदल कर सत्ता पर आधिपत्य स्थापित किया, जैसे– हरियाणा के रामधारी गौड़ ने 1969 में एक दिन में 3 बार दल–बदलकर विश्व कीर्तिमान बनाया।[12] 1952–1982 के बीच मात्र दल–बदल के कारण 66 बार विभिन्न राज्य सरकारें अपदस्थ हुई, 70 बार राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा तथा लगभग 2000 विधायकों द्वारा दल–बदलकर सत्ता प्राप्ति हेतु किया गया।13 यही नहीं सर्वाधिक विस्मयकारी बात तो यह रही है कि – दल–बदल मात्र व्यक्तियों द्वारा नहीं हुआ अपितु सरकार भी दल–बदल से दूसरी पार्टी की सरकार बन गई जैसे – 1980 में हरियाणा में भजनलाल की जनता पार्टी की सरकार दल–बदल कर रातोंरात कांग्रेस की सरकार बन गई ।[14] इसी प्रकार 1992 में चिमनभाई पटेल की 'जनता दल' गुजरात की सरकार, कांग्रेस की सरकार बन गई।[15] इस प्रकार 1967 से अपने भयानक रूप में आकर दल–बदल ने कैंसर की भांति बढ़ते हुए सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणाली ही को नहीं बल्कि राजनीतिक जीवन को भी रूग्ण कर दिया और विगत वर्षों से यही राजनीतिक अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण रहा है ।

इस प्रवृत्ति से छुटकारा पाने के लिए बहुत से प्रयास भी हुए जैसे– 1968 में चव्हाण समिति गठित की गयी, 1973 में दल–बदल विरोधी विधेयक (32वां संविधान संशोधन हेतु) प्रस्तुत हुआ और सबसे महत्वपूर्ण प्रयास तो 1985 में श्दल–बदल विरोधी अधिनियमश का बनना रहा जिसमें संविधान में 52वां संशोधन कर 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गयी। इस दसवीं अनुसूची के प्रावधानों में 8 पैरा है और अन्य बातों के अतिरिक्त इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण कमी रही इसका पैरा–3 जिसमें वर्णित था कि– यदि किसी दल में विभाजन के समय कम से कम 1/3 सदस्य मूल राजनीतिक दल से पृथक होंगे तो उनकी सदस्यता समाप्त न होगी तथा पैरा–4 कहता है कि– किसी दल के द्वारा विलय की स्थिति में उस दल से कम से कम 2/3 सदस्य प्रस्ताव द्वारा विलय करें तो सदस्यता समाप्त न होगी ।[16]

अतः इस अधिनियम के पारित होने के पूर्व तो दल–बदल व्यक्तिगत और श्सामूहिक होते थे किन्तु अब इसका स्वरूप थोक दल–बदल में परिवर्तित हो गया उदाहरण के लिए गोवा, गुजरात, मणिपुर, नागालैण्ड, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश में इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखा जा सकता है। गोवा में 1991 में मुख्यमंत्री रविनायक को विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की सदस्यता से वंचित कर दिया लेकिन रविनायक ने इस्तीफा न देकर बाद में 11 के मुकाबले 24 मतों से अपना बहुमत सिद्ध कर दिया।[17] इसी प्रकार 2003 में एक ऐतिहासिक दल–बदल के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश के 40 बसपा विधायकों ने सपा में शामिल होकर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को सत्तासीन कर दिया। इसी प्रकार 10 नवम्बर 1990 को केवल दल–बदल के कारण ही चन्द्रशेखर सरकार का गठन सम्भव हो सका था ।

इस प्रकार अब यह बात स्पष्ट सबके सामने आ गयी कि– इस दल–बदल विरोधी कानून की दीवारों में काफी बड़े और गुप्त दरवाजे हैं जिनसे आसानी से बेखरोंच निकला जा सकता है। इन्हीं सब कारणों से दिसम्बर 2003 में अटल बिहारी बाजपेयी सरकार द्वारा पुनः इस अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया गया और राजनीति में दल–बदल को समाप्त करने और मंत्रिमण्डल के आकार को तय करने के लिए संविधान का 97वां विधेयक पारित किया गया। [18] यह संशोधन विधेयक उस प्रावधान को समाप्त करता है जिसमें यह व्यवस्था थी कि यदि मूल राजनीतिक दल से 1/3 सदस्य अलग होते हैं तो सदस्यता समाप्त नहीं होगी क्योंकि इस विधेयक के अन्तर्गत यह

प्रावधान है कि दल–बदल करने वाले सदस्यों की सदस्यता स्वयं समाप्त हो जायेगी और उनको तब तक लाभ का पद (मंत्रीपद) प्राप्त नहीं सकेगा जब तक कि वे पुनः चुनाव जीतकर नहीं आ जाते।

इस संशोधन का द्वितीय भाग मंत्रिमण्डल के आकार से सम्बन्धित है। क्योंकि अब तक की यही प्रवृत्ति रही है कि मंत्रीपद पाने हेतु सर्वाधिक दल–बदल हुए हैं इस प्रकार देखा जाये तो मंत्री पद ही बहुत बड़ा उत्प्रेरक रहा है, इसी कारण जम्बो मंत्रिमण्डल भी बनें। अतः केन्द्र सरकार ने इस विधेयक द्वारा यह व्यवस्था दी कि–

1. केन्द्र और बड़े राज्यों की सरकारों में मंत्रिमण्डल के सदस्यों की संख्या प्रथम सदन के कुल संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। (प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित) ।
2. छोटे राज्यों में यह सीमा 12 प्रतिशत होगी जहाँ यथास्थिति 15 प्रतिशत या 12 प्रतिशत से अधिक है वे विधेयक लागू होने के 6 माह के भीतर मंत्रिमण्डल की संख्या प्रावधानों के अनुसार कर लें ।

इस प्रकार देखा जाय तो यह अधिनियम यद्यपि दल–बदल रोकने की दिशा में एक सशक्त कदम है लेकिन फिर भी सूक्ष्मता से देखने पर यह प्रतीत होता है कि– दल–बदल की संभावनाएं संविधान की दसवीं अनुसूची में शेष है जिसके अन्तर्गत अनुच्छेद पैरा–4 जो 2/3 सदस्यों के साथ अन्य दल के साथ विलय की अनुमति देता है । इस प्रकार तो इस प्रावधान के चलते 100 सदस्यीय किसी राजनीतिक दल के 66 सदस्य अलग होकर अन्य दल से समझौता करके सरकार को प्रभावित कर सकते हैं; अतः विलय के इस प्रावधान को समाप्त करना चाहिए क्योंकि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अगस्त 2004 में अरुणांचल प्रदेश के मुख्यमंत्री गेगांग–अपांग का अपने पूरे मंत्रमण्डिल सहित जो भाजपा के थे, कांग्रेस में शामिल होना अवसरवाद की पराकाष्ठा है।[19]

वास्तव में राजनीति एक गंभीर विषय है और राजनीतिक व्यवस्था देश के रीढ़ की हड्डी होती है, उसे टूटने से बचाये रखने के लिए कुछ नियम और परिपाटी होनी चाहिए, यह जनतंत्र का मजाक होगा कि थोड़े–थोड़े अंतराल में विधायिका के सदस्य यह घोषणा करते रहें कि वे आज इस दल में है और कल किसी दूसरे दल में; अतः आवश्यकता इस बात की है कि दल–बदल की प्रत्येक संभावनाओं को ही समाप्त कर दिया जाय क्योंकि प्रत्येक दल का एक श्मेनीफेस्टोश होता है और जनता दल विशेष की नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर प्रतिनिधियों का चयन करती है अतः यह जनता के साथ जबर्दस्त धोखा है और साथ ही यह बात निर्विवाद रूप से कही जा सकती है कि आज के दौर में कोई भी दल–बदल सिद्धान्तों के आधार पर हुआ ही नहीं है। अतः इसे समाप्त करना ही होगा। आज दल–बदल राजनीतिक अनैतिकता का परिचायक और भ्रष्टाचार का माध्यम बन गया है।

इस प्रकार अंत में यही कहा जा सकता है कि– प्रत्येक सुधार अधूरा ही रहेगा, क्योंकि अच्छे कानून के साथ अच्छे नागरिक का होना भी आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति का महत्व कानून निर्माता से अधिक कानून के पालनकर्ता के रूप में है । अतः दल–बदल रोकने के लिए आवश्यक है कि– जनप्रतिनिधियों में राष्ट्रीयता की भावना हो, उच्च नैतिक स्तर हो, मूल्य प्रधान राजनीति हो, व्यक्तिगत हित और पार्टी हित के ऊपर राष्ट्रहित की भावना हो, अनुकरणीय चरित्र हो, मान्य आचार संहिता सब पर लागू हो, राजनीतिक संस्कृति और जनतंत्रीय मान्यताओं का सही ढंग से पालन हो तभी दल–बदल जैसी राजनीतिक बुराई पर प्रभावकारी अंकुश लग सकेगा और इससे भारत में संसदीय जनतंत्र का मार्ग प्रशस्त होगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1- Encyclopaedia, Britannica Vol. I. P. 617.
2- Samuel J. Eldersveld : Political Parties. P. 22.
3- B. Pattabhi Sitaramaya, History of the India.
4- D.C. Gupta : Indian National : Movement and Constitutional Development. Vikas Public House, Delhi 1983, P. 26.
5- W.H. Morris Jones : The Government and Politics of India, B.I. Pub. Delhi P. 148.
6- रजनी कोठारी : भारत में राजनीति, ओरियण्ट लाग्मैन, दिल्ली, पृ. 118-19
7- Sulbhash Kashyap : Anti Defection Labe. Promises, Provisions and Prob- lems P.-1.
8- Subash Kashyap : The Politics of Power, New Delhi. P. 41-46.
9- Indian Express ; July 13, 1967, P. 6
10- Myron Weiner : State Politics in India, P. 80.
11- The Hindu, 17th March, 1967.
12- Indian Express, August, 27th, 1989. P.6.
13- The Annual Register of Indian, Political Parties, 1980. Ed. by N.M. Zaidi.
14- दैनिक जागरण पृ- I, 1980
15- Hindustan Times : June 3, 1992, New Delhi पृ. 1-
16- दल-बदल विरोधी अधिनियम, संसदीय सचिवालय प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली।
17- दैनिक जागरण 16, 17 मई 1991 पृ. 1
18- Political & Law Times, Jan. 2004.
19- दैनिक जागरण, वाराणसी, 30 अगस्त, 2004.

*****

Sumangalam Prabha
A Peer Reviewed (Refereed) & Open Access Journal
RNI N0.- UPHIN/2009/31180

ISSN: 2250-1894
Vol.-16, No.-I, Issus-61
Year: April-June 2025

आधुनिक परिप्रेक्ष्य में लोक रक्षक राम के मानवीय सिद्धान्त

डॉ० लक्ष्मी वर्मा
सहायक आचार्य–हिन्दी विभाग
महाराणा प्रताप महिला पी०जी० कॉलेज,रामदत्तपुर, गोरखपुर (उ0प्र0)

PP.N0- 40-42 Received: 10.05.2025 Accepted:18.05.2025 **Email: shmiverma3696@gmail.com**

सारांशः ***राम वास्तव में मानवीय स्वरुप में दिखने वाले कौशल्या के राम ही नहीं अपितु समूचे जन–मन की आस्था के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। उनका धनुष–बाण लिए हुए लोकमंगलकारी स्वरूप के दर्शन मात्र से आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाने का अद्भुत विश्वास जनमानस में दिखाई पड़ता है। देखा जाये तो श्रीराम अपने जीवन में तमाम संकटों का सामना करके एक प्रकार की सीख का संदेश देते हैं–संदेश मर्यादा का पालन करने का, संदेश दृढ़ विचारों का, संदेश परमार्थ सेवा का। वाल्मीकि रामकथा को पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि वाल्मीकि राम को ऐतिहासिक पुरूष के रूप में अनुभव करते हैं।***

कुजीभूत शब्द : लोक रक्षक, श्रीराम, मानवीय सिद्धान्त, आस्था, मर्यादा, ऐतिहासिक पुरूष, रामकथा

''भय प्रगट कृपाला दीन दयाल कौशल्या हितकारी''[1] रामचरितमानस की यह पंक्ति हताश और निराश ह्रदय में आशा का संचार करने वाली है। मध्यकालीन कवि तुलसीदास के मुख से राम नाम का स्पंदन जाहिर करता है मध्यकाल के संत्रस्त जनसमूह को। पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ जनमानस लोक मंगलकारी राम के चरित का गुणगान गाकर अपने मन को सांत्वना प्रदान करने का कार्य करता है। तुलसी दास युगीन परिस्थितियों से आहत् राम नाम का जप करते हुए कहते हैं–

''राम नाम के जपे जाई जिय की जरनि,
कलिकाल अपर उपाय ते अपाय भये,
जैसे तम नासिबेको चित्र के तरनि।।''[2]

राम वास्तव में मानवीय स्वरुप में दिखने वाले कौशल्या के राम ही नहीं अपितु समूचे जन–मन की आस्था के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। उनका धनुष–बाण लिए हुए लोकमंगलकारी स्वरूप के दर्शन मात्र से आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाने का अद्भुत विश्वास जनमानस में दिखाई पड़ता है–

रघुवर–रूप बिलोक नेक, मन।
''सकल लोक– लोचन सुखदायक,
नखशिख सुभग श्याम सुंदर तन।''[3]

देखा जाये तो श्रीराम अपने जीवन में तमाम संकटों का सामना करके एक प्रकार की सीख का संदेश देते हैं–संदेश मर्यादा का पालन करने का, संदेश दृढ़ विचारों का, संदेश परमार्थ सेवा का। एक तरफ राम का कोमल स्निग्ध भाग और दूसरी तरफ संकल्प की दृढ़ इच्छाशक्ति राम के व्यक्तित्व को संवारती है। मानवीय देह धारण कर एक सामान्य से जीवन को भी विशेष बनाने का कौशल दिखाई पड़ता है। डॉ. श्रीधर का कथन है– ''वाल्मीकि रामकथा को पढ़ने से यह प्रतीत होता है कि वाल्मीकि राम को ऐतिहासिक पुरूष के रूप में अनुभव करते हैं। वाल्मीकि स्वंय कथा के अंग हैं; वे राम के समकालीन हैं, ऐसी स्थिति में उन्होंने रामकथा को मानवीय एवं यथार्थ रूप से ही व्यक्त किया है।''[4]

राम के जीवन का दुःख–सुख मानवीय संवेदना के मूल भाव को व्यक्त करती है, सीता के वाटिका में प्रथम दर्शन से श्रृंगार का जो उदात्त भाव प्रकट होता है वह राम के सच्चे अनुराग का ही परिचारक है; सीता हरण के पश्चात् रावण से लगातार युद्ध करते हुए शिथिलता के जिस क्षण में उन्हें जानकी का स्मरण होता है वह उनके प्रथम मिलन का ही है। कवि निराला कहते हैं–

''ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विदयुत,
जागी पृथ्वी–तनया– कुमारिका– छवि, अच्युत,
देखते हुए निष्पलक, याद आया उपवन,
विदेह का प्रथम–स्नेह का लतान्तराल मिलन।। '[5]

सीता के स्मरण मात्र से राम के मन में जो बिम्ब उपस्थित होता है वह उनमें अद्भुत शक्ति, पराक्रम व तेज के रूप में प्रतिफलित होता है। शक्ति की अराधना में सफल हुए राम के सम्मुख मां भगवती जब कहती हैं–

''होगी जयच, होगी जय, हे पुरूषोत्तम नवीन।
कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन।''[6]

कहा जा सकता है कि वनवास से लेकर रावण से राम की विजय यात्रा राम के जीवन का संघर्षरत क्षण है; परन्तु ऐसे में राम की गति धीमी नहीं पड़ती अपितु द्रुतगति से विस्तार पाती है। यही नहीं राम के सिद्धान्त संघर्ष तक ही नहीं सीमित हैं बल्कि वैचारिक धरातल पर राम सत्यता और श्रेष्ठता को भी अपनाते हैं। रावण की मृत्यु पर राम ने रावण (राक्षस) का बहिष्कार नहीं किया बल्कि उसके श्रेष्ठ ज्ञान को ग्रहण करने की बात कही–

1. शुभ कार्य को तुरन्त और अशुभ कार्य को टाल देना चाहिए।
2. अपने शत्रु को कभी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए।
3. अपने राज की बात किसी को नहीं बताना चाहिए।

तुलसीदास कहते हैं–

''श्री रघुवीर की यह बानी,
नीचहू सो करत नेह सुप्रीति मन अनुमानी।।
परम अधम निषाद पावर, कौन ताकि कानि,
लियो सो उर लाई सुत ज्यों प्रेम को पहिचानी।।[7]

राम ने अपने आचरण से ज्ञान और कर्म की प्रतिष्ठा की। राम के मर्यादापालक स्वरूप की चर्चा युगों–युगों से चलती आ रही हैं। मध्यकाल में राम भक्त कवियों द्वारा राम के लीलानन्द स्वरूप की स्थापना उनके शक्ति, शील, सौन्दर्य का सजीव व साकार प्रस्तुति कलिकाल में व्याप्त व्यभिचार को ध्वस्त करने के उद्देश्य मात्र से हुआ। भक्ति कालीन कवियों ने मानव में नैतिकता के बीज को पुनः पल्लवित करने का आधार राम के चरित्र को माना। अतएव राम भारतीय संस्कृति के नायक के रूप में अभिव्यक्त हुये। राम की विचारधारा केवल दीन–दुखियों की सेवा मात्र तक नहीं अपितु उनके प्रति उचित न्याय का भी है।

आधुनिक परिप्रेक्ष्य में राम का चिन्तन–मनन आत्मा और परमात्मा के दृष्टिकोंण से न होकर उनके सिद्धान्त के अनुसरण से होना चाहिए। पारिवारिक स्तर से देखा जाये तो त्याग, कर्तव्य परायणता एवं धैर्य का समन्वित रूप राम में दिखाई देता है। बाल्यकाल में ही वे पिता की आज्ञा पाकर ऋषि विश्वामित्र के साथ चल पड़ते हैं तथा असुरों के तांडव से जीवों को मुक्त कराते हैं। उत्तराधिकारी के रूप में राज्याभिषेक होने के उपक्रम में माता कैकई द्वारा 14 वर्षो तक वन गमन का आदेश पाते ही तपस्यी का वेश धारण कर पत्नी सीता को साथ लेकर चल पड़ते हैं; ऐसे में पिता की मृत्यु का संदेश पाकर वन में पुत्र धर्म का पालन भी करते हैं। पारिवारिक संवेदना के क्षण में राम धैर्य से कभी विमुक्त नही होते। रावण द्वारा सीता हरण के पश्चात् उनके हृदय का करूण स्वर सीता को मुक्त करने व रावण का वध करने के दृढ़ निश्चय में प्रतिफलित होता हैं।

हिंदी साहित्य के कवियों ने विविध रूपों में राम की गाथा सुनाई है और यही नहीं गद्य क्षेत्र में भी साहित्य प्रेमियों ने राम के चरित्र का आदर्श रूप प्रतिस्थापित किया है। कथा सम्राट प्रेमचंद ने अपने रचना संसार में राम के व्यक्तित्व से सीख लेने की बात कही है। वे कहते हैं– ''बच्चों! तुम भी कर्तव्य को प्रधान समझो! कर्तव्य से कभी मुंह न मोड़ो। यह रास्ता बढ़ा कठिन है। कर्तव्य पूरा करने में तुम्हें बड़ी–बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा किन्तु कर्तव्य पूरा करने के बाद तुम्हें जो प्रसन्नता प्राप्त होगी वह तुम्हारा पुरस्कार होगा।''8

देखा जाए तो राम ने अपने सम्पूर्ण जीवन के प्रत्येक पड़ाव का सामना किया है और संघर्ष किया है। राम के सिद्धान्त मानव जीवन के वास्तविक सिद्धान्त हैं। आज के युग में मनुष्य अपने सिद्धान्तों से भटकता जा रहा है। समाज के जिस डांवाडोल दिनचर्या में वह जीता है; उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि मनुष्य के स्वयं के विचारों का पतन।

आधुनिक काल के तमाम कवियों एवं लेखकों ने सामाजिक व्यवस्था के प्रति अपनी लेखनी को समृद्ध किया है। पंडित श्रीधर पाठक अपनी कविता 'एकांतवासी योगी' में कहते हैं– ''उसी भांति सांसारिक मैत्री केवल एक कहानी है,

नाम मात्र से अधिक आज तक नहीं किसी ने जानी है।
जब तक धनसंपदा, प्रतिष्ठा अथवा यश विख्याति है,
तब तक सभी मित्र, शुभचिंतक, निजकुल बान्धव जाति है।''[9]

मानव के भीतर जीवन मूल्यों की नगण्यता का कारण वह स्वयं है। मानवीय सिद्धान्त से विमुख होकर उसने अपने अस्तित्व को खतरे में डाला है। उसका आत्मसम्मान ही उसका आत्मसंबल है। अतः रामभक्त कवियों ने काम, क्रोध, लोभ, मोह का त्याग एवं इंद्रियों को वश में करने पर विशेष बल दिया क्योंकि अनैतिक विचारधाराओं से ही समाज की मानवीय मूल्य व्यवस्था टूटती है; ऐसे में रामभक्त कवियों द्वारा राम के मानवीय सिद्धान्त की पुनरावृत्ति की जाए तो परिवार व समाज के हित में होगा। इसके लिए मानव की प्रारम्भिक शिक्षा को माध्यम बनाया जा सकता है और वह है उसका परिवार।'' भारतीय संस्कृति के उपासक के रूप में तुलसीदास जी सामाजिक जीवन की पूर्णता हेतु नैतिकपूर्ण पारिवारिक जीवन को सुयोग्य माना है क्योंकि बालक सर्वप्रथम पारिवारिक वातावरण में ही

अपने प्राथमिक गुणों का विकास करता है। यदि परिवार नैतिक, मर्यादित, सुसंस्कृत नहीं रहता है तो बालक अनैतिक एवं विश्रृंखल हो जाता है। तुलसीदास ने श्री राम के परिवार को आदर्श परिवार के रूप में प्रस्तुत किया है तथा उनके आदर्शो को अपनाने पर बल दिया है।''[10]

इस प्रकार तुलसीदास ने रामकथा के ओज और माधुर्य को जनमानस के धरातल पर उतार कर सुसंस्कृत एवं समृद्ध समाज की कल्पना की तथा उनके बाद के कवियों ने भी इस परम्परा को और भी समृद्ध करने का प्रयास किया। जिसके लिए काव्य ग्रंथों की शुरुआत में मंगलाचरण एवं स्तुति के रूप में राम को याद किया गया। ''वस्तुतः रामावत संप्रदाय में राम भक्ति को जो गौरवशाली स्थान प्राप्त है वह किसी अन्य संप्रदाय में नहीं है। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी रामानंद ने भक्ति के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए और राम की मर्यादा भक्ति को आदर्श और आचरण की पवित्रता से मंडित रखते हुए जनसाधारण के लिए सुगम बनाया।'' 11

स्पष्ट है कि भेदभाव रहित समतामूलक विचारधारा से राम नाम की भक्ति का उद्देश्य मानव मूल्य की प्रतिष्ठा है; जिसके माध्यम से मानव की सोई हुई ऊर्जा और शक्ति को जगाया जा सके ताकि वह स्वयं के अस्तित्व की रक्षा कर सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. तुलसीदास, रामचरितमानस (बालकांड), प्रकाशन संस्थान– गीताप्रेस गोरखपुर 273001, प्रकाशन वर्ष 2071, पृष्ठ संख्या–161
2. तुलसीदास, विनय पत्रिका, गीता प्रेस गोरखपुर, पृष्ठ संख्या– 294
3. उपरोक्त, पृष्ठ संख्या– 406
4. मिश्र, डॉ० श्रीधर, रामकथा पर आश्रित लघु काव्यों की समीक्षा, वैशाली प्रकाशन, बक्शीपुर गोरखपुर, संस्करण– पहला, पृष्ठ संख्या–45
5. निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी, शर्मा रामविलास (सम्पादक) राग विराग, शीर्षक–राम की शक्ति पूजा, लोक भारती प्रकाशन, महात्मा गांधी मार्ग, संस्करण 2012, पृष्ठ संख्या– 94
6. उपरोक्त, पृष्ठ संख्या– 104
7. तुलसीदास, विनय पत्रिका, गीता प्रेस गोरखपुर, पृष्ठ संख्या–347
8. प्रेमचंद, रामकथा (राम चर्चा) जयपुर, प्रथम संस्करण 1092, पृष्ठ संख्या– 131
9. गुलाब राय, प्रोफेसर विश्वनाथ अरुण (संपादक) हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, आगरा 54वां पुनः मुद्रित संस्करण 2013, पृष्ठ संख्या– 203
10. चौधरी, डॉ० रूक्मिणी, भक्ति साहित्य में वर्णित शैक्षिक विचारों का अध्ययन, राधा पब्लिकेशन, दरियागंज नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 2017, पृष्ठ संख्या– 101
11. डॉ० नगेंद्र, हिंदी साहित्य का इतिहास, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नोएडा 24वां पुनमुद्रित संस्करण 1997, पृष्ठ संख्या–186

*****

Sumangalam Prabha
A Peer Reviewed (Refereed) & Open Access Journal
RNI N0.- UPHIN/2009/31180

ISSN: 2250-1894
Vol.-16, No.-I, Issus-61
Year: April-June 2025

पारिवारिक रिश्तों पर सोशल मीडिया का प्रभाव

डॉ0 कल्पना सिंह
असि. प्रोफेसर – समाजशास्त्र
महाकौशल विश्वविद्यालय जबलपुर (मध्यप्रदेश)

PP.N0- 43-46 Received: 12.05.2025 Accepted:22.05.2025 Email: ed.sumangalamprabha@gmail.com

सारांशः ***सोशल मीडिया ने आधुनिक पारिवारिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया है। यह संचार को सुविधाजनक बनाते हुए परिवार के सदस्यों को जोड़ने में सहायक होता है, लेकिन इसके अत्यधिक उपयोग से रिश्तों में दूरी भी आ सकती है। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, यह अध्ययन परिवार में संवाद, आपसी विश्वास और डिजिटल अनुशासन के संदर्भ में सोशल मीडिया के प्रभावों का विश्लेषण करता है। संवाद पारिवारिक संबंधों की नींव है, लेकिन जब लोग ऑनलाइन अधिक समय बिताने लगते हैं, तो आमने–सामने की बातचीत प्रभावित होती है। इससे भावनात्मक जुड़ाव कमजोर पड़ सकता है। इसी तरह, गोपनीयता और सोशल मीडिया की सार्वजनिक प्रकृति के कारण कभी–कभी पारिवारिक विश्वास में दरार आ सकती है। अध्ययन से पता चलता है कि पारिवारिक संतुलन बनाए रखने के लिए डिजिटल अनुशासन आवश्यक है। यदि परिवार के सदस्य सोशल मीडिया के उपयोग को नियंत्रित करें और पारिवारिक समय को प्राथमिकता दें, तो रिश्तों को अधिक मजबूत बनाया जा सकता है। समाजशास्त्र में पारिवारिक संरचना और सामाजिक अनुशासन की अवधारणाएँ यह दर्शाती हैं कि संतुलित डिजिटल जीवनशैली अपनाकर परिवार में आपसी समर्पण और सामंजस्य को बढ़ाया जा सकता है। इस शोध में निष्कर्ष निकाला गया है कि सोशल मीडिया के प्रभाव को सकारात्मक दिशा में मोड़ने के लिए पारिवारिक संवाद को प्रोत्साहित करना, विश्वास को बनाए रखना और डिजिटल अनुशासन का पालन करना अनिवार्य है। इससे न केवल पारिवारिक संबंध सुदृढ़ होंगे, बल्कि समाज में भी स्वस्थ सामाजिक ताना–बाना विकसित होगा।***

कुजीभूत शब्दः सोशल मीडिया, पारंपरिक संवाद, पारिवारिक मूल्य, पारिवारिक सहभागिता, डिजिटल अनुशासन

सोशल मीडिया एक डिजिटल मंच है जो लोगों को ऑनलाइन जुड़ने, विचार साझा करने और संवाद करने की सुविधा देता है। यह आधुनिक संचार का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुका है, जिससे लोग व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सामाजिक स्तर पर जुड़े रहते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म संचार को आसान और प्रभावी बनाते हैं। सोशल मीडिया ने समाज में कई सकारात्मक बदलाव लाए हैं। यह सूचना और ज्ञान के आदान–प्रदान का तेज माध्यम है, जिससे शैक्षिक और व्यावसायिक अवसरों का विस्तार हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग और ऑनलाइन व्यापार के लिए यह एक प्रभावी उपकरण बन चुका है। इसके माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है, जिससे लोगों को महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी प्राप्त होती है और वे सामाजिक अभियानों में भाग ले सकते हैं।हालाँकि, इसके कई नकारात्मक प्रभाव भी हैं। अत्यधिक उपयोग से मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, क्योंकि यह तनाव, चिंता और अवसाद का कारण बन सकता है। फेक न्यूज और गलत जानकारी तेजी से फैल सकती है, जिससे समाज में भ्रम उत्पन्न होता है। गोपनीयता और डेटा सुरक्षा भी एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामले बढ़ रहे हैं।

सोशल मीडिया का प्रभाव पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर भी पड़ता है। जहाँ यह दूरियों को कम करके लोगों को जोड़ने में मदद करता है, वहीं अत्यधिक उपयोग रिश्तों में दूरी भी पैदा कर सकता है। आमने–सामने संवाद की कमी से पारिवारिक संबंध कमजोर हो सकते हैं। समय प्रबंधन की कमी और डिजिटल लत भी एक बड़ी समस्या है, जिससे कार्यक्षमता और व्यक्तिगत जीवन प्रभावित हो सकता है।

समाजशास्त्र में विभिन्न सिद्धांत पारिवारिक संबंधों में होने वाले बदलावों को समझने में सहायक होते हैं। इन सिद्धांतों के माध्यम से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि सोशल मीडिया पारिवारिक संरचना और आपसी संबंधों को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है।समाजशास्त्र में विभिन्न सिद्धांत पारिवारिक संबंधों के बदलाव की व्याख्या करने में सहायक होते हैं।

संरचनात्मक–कार्यात्मक दृष्टिकोण के अनुसार, परिवार समाज की मूलभूत संस्था है, जो सामाजिक स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। टाल्कॉट पार्सन्स के मतानुसार, परिवार पारंपरिक रूप से विभाजित भूमिकाओं के आधार पर कार्य करता है, जिससे सामाजिक संतुलन बना रहता है। सोशल मीडिया ने इस संरचना को प्रभावित किया है, क्योंकि इसके माध्यम से परिवार के सदस्य बाहरी दुनिया से अधिक जुड़े हुए हैं, जिससे पारंपरिक पारिवारिक भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में परिवर्तन देखने को मिलता है।

संघर्ष सिद्धांत इस पहलू को एक भिन्न दृष्टि से देखता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार, समाज में विभिन्न आर्थिक और सामाजिक कारणों से संघर्ष उत्पन्न होता है, और यह सिद्धांत पारिवारिक जीवन में भी लागू किया जा

सकता है। सोशल मीडिया के कारण परिवार के सदस्यों के बीच तनाव और गोपनीयता से जुड़ी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। विशेष रूप से, युवा पीढ़ी और बड़े सदस्यों के बीच सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर मतभेद उभर सकते हैं, जिससे पीढ़ीगत संघर्ष देखने को मिलता है।

प्रतीकात्मक अंतःक्रिया सिद्धांत इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि सामाजिक संबंधों में प्रतीकों और संवाद के माध्यमों का क्या प्रभाव पड़ता है। जॉर्ज हरबर्ट मीड के अनुसार, संवाद केवल शब्दों तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें प्रतीकों और व्यवहार की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सोशल मीडिया के माध्यम से संचार का तरीका बदल गया हैकृइमोजी, टेक्स्ट मैसेज और डिजिटल इंटरैक्शन ने पारंपरिक संवाद के स्वरूप को प्रभावित किया है। इसका प्रभाव यह है कि पारिवारिक सदस्य आपस में संवाद करने के नए तरीके अपनाते हैं, लेकिन कभी–कभी यह संचार अधूरा या गलत समझा जा सकता है, जिससे रिश्तों में जटिलता बढ़ सकती है।

इन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणों से यह स्पष्ट होता है कि सोशल मीडिया ने पारिवारिक संबंधों को न केवल बदला है, बल्कि उनके कार्य करने के तरीके और उनके बीच की गतिशीलता को भी प्रभावित किया है। यह परिवर्तन सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में दिखाई देता है, जो इस पर निर्भर करता है कि परिवार के सदस्य डिजिटल संचार को किस प्रकार अपनाते और प्रबंधित करते हैं।

सोशल मीडिया का पारिवारिक रिश्तों पर प्रभाव

1– सकारात्मक प्रभाव– सोशल मीडिया ने आधुनिक समय में पारिवारिक संबंधों को नई मजबूती दी है। यह न केवल परिवार के सदस्यों को जोड़ने में सहायक है, बल्कि आपसी संवाद, भावनात्मक समर्थन और पारिवारिक सहभागिता को भी बढ़ावा देता है। यदि इसे संतुलित और समझदारी से उपयोग किया जाए, तो यह पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

- भौगोलिक दूरी को कम करना– आजकल कई परिवारों के सदस्य नौकरी, शिक्षा या अन्य कारणों से विभिन्न शहरों और देशों में रहते हैं। सोशल मीडिया उन्हें नियमित रूप से जोड़े रखने का एक सशक्त माध्यम है। वीडियो कॉल, मैसेजिंग ऐप और सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से वे आसानी से एक–दूसरे से जुड़े रहते हैं और पारिवारिक घटनाओं में वर्चुअल रूप से भाग ले सकते हैं।
- आपसी संवाद और भावनात्मक समर्थन –सोशल मीडिया पर परिवार के सदस्य एक–दूसरे से निरंतर संवाद कर सकते हैं। जब कोई कठिन समय से गुजर रहा होता है, तो परिवार के सदस्य ऑनलाइन माध्यमों से उसका हौसला बढ़ा सकते हैं। इससे भावनात्मक लगाव बना रहता है और रिश्तों में मजबूती आती है।
- पारिवारिक गतिविधियों को प्रोत्साहन – सोशल मीडिया पारिवारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का एक बेहतरीन मंच है। परिवार के सदस्य ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं, साझा रुचियों पर चर्चा कर सकते हैं, या एक–दूसरे के साथ यादें साझा कर सकते हैं। इससे पारिवारिक रिश्तों में आनंद और सहभागिता बढ़ती है।
- ज्ञान और जागरूकता का प्रसार– परिवार के सदस्य सोशल मीडिया के माध्यम से नई जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें आपस में साझा कर सकते हैं। इससे न केवल व्यक्तिगत विकास होता है, बल्कि परिवार के भीतर बौद्धिक संवाद भी बढ़ता है। इसके अलावा, सामाजिक मुद्दों, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित जानकारी साझा करने से परिवार अधिक जागरूक और संगठित बन सकता है।
- विशेष अवसरों का उत्सव– सोशल मीडिया पर जन्मदिन, सालगिरह और अन्य विशेष अवसरों को मनाना आसान हो गया है। जब कोई परिवार का सदस्य दूर होता है, तब भी ऑनलाइन शुभकामनाएँ और वीडियो कॉल के माध्यम से उसे विशेष महसूस कराया जा सकता है। इससे रिश्तों में नजदीकी बनी रहती है।
- पारिवारिक मूल्य और परंपराएँ साझा करना– बड़े बुजुर्गों द्वारा पारिवारिक परंपराएँ और संस्कार सोशल मीडिया के माध्यम से युवा पीढ़ी तक आसानी से पहुँच सकते हैं। वे परिवार की पुरानी तस्वीरें, कहानियाँ और संस्कृतिक धरोहरें साझा कर सकते हैं, जिससे पारिवारिक पहचान मजबूत होती है।

2– नकारात्मक प्रभाव– सोशल मीडिया ने संचार को आसान बना दिया है, लेकिन इसके अत्यधिक उपयोग से पारिवारिक रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। जब परिवार के सदस्य डिजिटल दुनिया में अधिक व्यस्त हो जाते हैं, तो वास्तविक जीवन में उनके आपसी संबंध प्रभावित होने लगते हैं। इससे संवाद की कमी, भावनात्मक दूरियाँ और आपसी विश्वास में कमी जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

- आमने–सामने संवाद में कमी – सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय बिताने से परिवार के सदस्यों के बीच प्रत्यक्ष संवाद की कमी हो जाती है। वे एक–दूसरे के साथ समय बिताने के बजाय अपने फोन या

अन्य डिजिटल उपकरणों में व्यस्त रहते हैं, जिससे आपसी समझ और भावनात्मक जुड़ाव कमजोर हो सकता है।

- भावनात्मक दूरी और अलगाव – जब परिवार के सदस्य ऑनलाइन दुनिया में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, तो वे एक–दूसरे की भावनाओं और जरूरतों को समझने में असमर्थ हो सकते हैं। इससे परिवार के भीतर भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है, जो रिश्तों में ठंडापन और अलगाव का कारण बन सकती है।
- विश्वास की कमी और गोपनीयता के मुद्दे – सोशल मीडिया पर अत्यधिक सक्रियता कभी–कभी पारिवारिक विश्वास को प्रभावित कर सकती है। जब लोग अपने व्यक्तिगत जीवन की जानकारी ऑनलाइन साझा करते हैं, तो इससे पारिवारिक गोपनीयता भंग हो सकती है। इसके अलावा, यदि कोई सदस्य अपने ऑनलाइन दोस्तों को परिवार से अधिक प्राथमिकता देने लगे, तो यह अन्य सदस्यों में असुरक्षा की भावना पैदा कर सकता है।
- डिजिटल लत और समय की बर्बादी – सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग कई लोगों में डिजिटल लत पैदा कर सकता है, जिससे वे अपने परिवार के साथ समय बिताने के बजाय ऑनलाइन गतिविधियों में अधिक व्यस्त रहते हैं। यह न केवल रिश्तों को कमजोर करता है, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
- पारिवारिक मूल्यों और परंपराओं पर प्रभाव – सोशल मीडिया की वजह से युवा पीढ़ी का झुकाव बाहरी प्रभावों की ओर अधिक हो सकता है, जिससे पारिवारिक परंपराओं और मूल्यों में बदलाव आ सकता है। यदि परिवार के सदस्य डिजिटल माध्यमों में अत्यधिक व्यस्त हो जाते हैं, तो वे पारिवारिक रीति–रिवाजों और परंपराओं को नजरअंदाज कर सकते हैं।
- गलतफहमियाँ और टकराव– सोशल मीडिया पर पोस्ट या संदेशों की गलत व्याख्या कभी–कभी पारिवारिक झगड़ों और टकराव का कारण बन सकती है। गलतफहमियाँ बढ़ने से रिश्तों में तनाव आ सकता है और परिवार के सदस्यों के बीच दरारें पैदा हो सकती हैं।
- समाज में सोशल मीडिया और परिवार के संबंधों में बदलाव– सोशल मीडिया ने आधुनिक समाज में परिवार और आपसी संबंधों की संरचना को गहराई से प्रभावित किया है। यह संचार का एक सशक्त माध्यम बन गया है, जिससे परिवार के सदस्य आसानी से जुड़े रह सकते हैं, भले ही वे भौगोलिक रूप से दूर हों। हालाँकि, इसके बढ़ते उपयोग ने पारिवारिक रिश्तों में कई बदलाव भी लाए हैं, जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकते हैं।
- पारिवारिक संवाद का स्वरूप बदला– पहले पारिवारिक संवाद आमने–सामने बैठकर या पत्रों के माध्यम से होता था, लेकिन अब सोशल मीडिया के जरिए बातचीत अधिक हो रही है। व्हाट्सएप, वीडियो कॉल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने संचार को आसान बना दिया है, जिससे रिश्ते बनाए रखना सरल हुआ है। हालाँकि, यह भी देखा गया है कि आमने–सामने की बातचीत में कमी आने से पारिवारिक घनिष्ठता पर प्रभाव पड़ सकता है।
- परिवार की भूमिकाओं में परिवर्तन – सोशल मीडिया ने पारंपरिक पारिवारिक भूमिकाओं को भी बदला है। पहले माता–पिता का ज्ञान और अनुभव बच्चों के लिए मार्गदर्शक होता था, लेकिन अब बच्चे सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने लगे हैं। इससे कभी–कभी पारिवारिक निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित होती है, और माता–पिता तथा बच्चों के बीच एक नई प्रकार की शक्ति–संरचना विकसित हो रही है।
- पारिवारिक मूल्यों में परिवर्तन – सोशल मीडिया के माध्यम से नई संस्कृतियाँ और विचारधाराएँ तेजी से फैल रही हैं, जिससे पारिवारिक मूल्य बदल रहे हैं। युवा पीढ़ी पर वैश्विक संस्कृति का प्रभाव बढ़ रहा है, जिससे परंपरागत पारिवारिक रीति–रिवाजों में बदलाव देखा जा रहा है। इससे कभी–कभी पीढ़ियों के बीच टकराव उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि बुजुर्ग पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखना चाहते हैं, जबकि युवा पीढ़ी आधुनिकता की ओर बढ़ रही है।
- रिश्तों की गुणवत्ता पर प्रभाव – सोशल मीडिया ने परिवार के भीतर रिश्तों की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। जहाँ यह भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ाने में सहायक हो सकता है, वहीं अत्यधिक उपयोग से रिश्तों में दूरियाँ भी आ सकती हैं। कई बार लोग ऑनलाइन दुनिया में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ वास्तविक समय बिताने से कतराने लगते हैं। इससे भावनात्मक दूरियाँ बढ़ सकती हैं और पारिवारिक सामंजस्य प्रभावित हो सकता ळें

- सामाजिक आयोजनों और पारिवारिक सहभागिता में बदलाव – पहले पारिवारिक समारोहों और त्योहारों में लोगों की सक्रिय भागीदारी होती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया के कारण ये आयोजन वर्चुअल रूप में भी मनाए जाने लगे हैं। लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर शुभकामनाएँ भेजकर अपने कर्तव्य की पूर्ति मान लेते हैं, जिससे वास्तविक सहभागिता कम हो रही है।
- गोपनीयता और विश्वास के मुद्दे –सोशल मीडिया पर अत्यधिक सक्रियता कभी–कभी पारिवारिक गोपनीयता को प्रभावित कर सकती है। जब परिवार के सदस्य अपने व्यक्तिगत जीवन की जानकारी ऑनलाइन साझा करते हैं, तो इससे परिवार के अन्य सदस्यों में असुरक्षा या अविश्वास की भावना उत्पन्न हो सकती है।

इस अध्ययन में सोशल मीडिया के पारिवारिक रिश्तों पर प्रभाव का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण किया गया। शोध में यह पाया गया कि सोशल मीडिया ने पारिवारिक संचार के नए रास्ते खोले हैं, जिससे परिवार के सदस्य दूर होने के बावजूद जुड़े रह सकते हैं। यह विशेष रूप से उन परिवारों के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ है, जिनके सदस्य भौगोलिक रूप से अलग–अलग स्थानों पर रहते हैं। इसके माध्यम से भावनात्मक समर्थन, जानकारी का आदान–प्रदान और पारिवारिक गतिविधियों की भागीदारी को बढ़ावा मिला है।

हालांकि, अध्ययन यह भी इंगित करता है कि सोशल मीडिया का अत्यधिक और असंतुलित उपयोग पारिवारिक रिश्तों में दूरी, संवादहीनता और अविश्वास पैदा कर सकता है। जब लोग डिजिटल दुनिया में अत्यधिक व्यस्त हो जाते हैं, तो वास्तविक जीवन में आपसी संवाद और भावनात्मक जुड़ाव प्रभावित होने लगता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच व्यक्तिगत समय की कमी हो सकती है, जो रिश्तों को कमजोर कर सकता है।

समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो पारिवारिक संबंधों को संतुलित बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। डिजिटल अनुशासन, आमने–सामने बातचीत को प्राथमिकता देना, और पारिवारिक मूल्यों को संरक्षित रखना रिश्तों की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं। इस शोध का निष्कर्ष यह है कि सोशल मीडिया पारिवारिक जीवन को सकारात्मक दिशा में प्रभावित कर सकता है, बशर्ते कि इसे संतुलित और समझदारी से उपयोग किया जाए। इससे न केवल परिवार के सदस्यों के बीच आपसी विश्वास और सामंजस्य बढ़ सकता है, बल्कि समाज में भी स्वस्थ पारिवारिक संरचना को बढ़ावा मिल सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Parsons, T. (1951). The Social System. Free Press.
2. Giddens, A. (1991). Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Polity Press.
3. Castells, M. (2009). Communication Power. Oxford University Press.
4. Boyd, D. (2014). It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens. Yale University Press.
5. Turkle, S. (2015). Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age. Penguin Press.

*****